ध्येय IAS

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 21 | नवंबर 2023 / Issue 01 | मूल्य : ₹ 70

भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण: शांतिपूर्ण प्रयास और वैश्विक सहयोग

भारत में गर्भपात कानूनों से जुड़े समसामयिक पहलू: विसंगतियां और समाधान

बाल अधिकारिता के संरक्षण हेतु बच्चों में कुपोषण प्रबंधन करने की आवश्यकता

सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका

इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों पर भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन

भारत में खनिज संसाधन संरक्षण विशेषकर स्ट्रेटेजिक मिनरल की दिशा में उठाए गए कदम

भारत में सुशासन की मजबूती के लिए किए गए प्रयास और संबंधित चुनौतियां

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

आगामी अंक में

- भारत और खाड़ी देशों के मध्य बदलते कूटनीतिक रिश्ते
- वैश्विक आपदा प्रबंधन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका
- भारत में सड़क दुर्घटनाः वर्तमान स्थिति और समाधान की राहें
- विश्व व्यापार संगठन में सुधार हेतु मुखर होता भारत
- इलेक्टोरल बॉन्डः चुनावी निष्पक्षता बनाम सूचना का अधिकार
- डीप ओशेन मिशन से होगा भारत की समुद्री क्षमता का विस्तार
- आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा की आवश्यकता और सीसीआईटी

पहला पन्ना

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

ध्येयIAS most trusted since 2003
परफेक्ट 7
यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

संस्थापक : विनय सिंह
प्रबंध निदेशक : क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक : विजय सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग : दीपक त्रिपाठी
: ऋषिका, प्रमोद
: प्रत्यूषा, पूर्णांशी
: रत्नेश, अर्पित
: तपस्या, अर्शदीप
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : नितिन अस्थाना
: शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग : अरूण मिश्र
एवं डेवलेपमेंट : पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

-: साभार :-
PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण: शांतिपूर्ण प्रयास और वैश्विक सहयोग — 5-6
2. भारत में गर्भपात कानूनों से जुड़े समसामयिक पहलू: विसंगतियां और समाधान — 7-8
3. बाल अधिकारिता के संरक्षण हेतु बच्चों में कुपोषण प्रबंधन करने की आवश्यकता — 9-10
4. सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका — 11-12
5. भारत में सुशासन की मजबूती के लिए किए गए प्रयास और संबंधित चुनौतियां — 13-14
6. इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों पर भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन — 15-16
7. भारत में खनिज संसाधन संरक्षण विशेषकर स्ट्रेटेजिक मिनरल की दिशा में उठाए गए कदम — 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-27
- पर्यावरण 28-31
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 32-36
- आर्थिकी 37-41
- विविध 42-45
- ब्रेन-बूस्टर 46-52
- मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न 53

प्री स्पेशल

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 54-57
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 58
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल 59-60
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 61-63
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 64-82

भारत का अंतरिक्ष अन्वेषणः शांतिपूर्ण प्रयास और वैश्विक सहयोग

अंतरिक्ष हमारे दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह सिग्नल व डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर संचार के लिए किया जाता है। ये उपग्रह जीपीएस नेटवर्क का उत्पादन करते हैं जो हमें अपनी सड़कों पर नेविगेट करने, स्थानों को इंगित करने और मौसम की निगरानी करने की अनुमति देते हैं। इंटरनेट के नवीनतम संस्करण की शुरूआत से इंटरनेट की गति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। 80 से अधिक देश अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे 3500 सक्रिय उपग्रहों का संचालन करते हैं जिससे आज दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अंतरिक्ष डेटा/सेवाओं का उपयोगकर्ता है। अंतरिक्ष की हमारी छवि आमतौर पर विभिन्न अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा आयोजित अंतरिक्ष मिशनों के साथ राज्य केंद्रित है, लेकिन निजी क्षेत्र का भी अब अंतरिक्ष में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।

सन्दर्भः

हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विदेश मंत्रालय के सेंटर फॉर कंटेम्परारी चाइना स्टडीज द्वारा 'अंतरिक्ष-वैश्विक नेतृत्व की तलाश में चीन के लिए अंतिम सीमा' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत मानव जाति के व्यापक लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग का समर्थक है। यह हमारी गंभीर प्रतिबद्धता है कि बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, साथ ही इसे संघर्ष से मुक्त रखा जाए।

इसरो के नेतृत्व में भारत का पहला एक्स रे पोलरीमीटर सेटेलाइट (XPoSat : X-ray Polarimeter Satellite) भी लॉन्च किया जाना है जो चमकीले खगोलीय एक्स रे स्त्रोतों से जुड़े डायनामिक्स का अध्ययन करेगा। विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्युकलाई, पल्सर विंड नेबुला आदि के उत्सर्जन तंत्रों को समझने के लिए यह मिशन कार्य करेगा। इस प्रकार के शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषणों के जरिए अब भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एक नई मान्यता मिलेगी। इसके साथ ही वीनस मिशन, आदित्य मिशन, गगनयान, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पेडेक्स) मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एक नया आयाम देने को तैयार हैं।

भारत के शांतिपूर्ण अंतरिक्ष प्रयासः

- पारदर्शिता और जवाबदेही से परिपूर्ण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उपलब्धियों के बावजूद, भारत के चंद्रयान मिशनों ने चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाने जैसी अभूतपूर्व खोजें की हैं। अग्रणी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के शांतिपूर्ण इरादे को दर्शाता है।

लागत प्रभावी और नवीन दृष्टिकोणः

- भारत के अंतरिक्ष मिशनों को उनकी लागत-प्रभावशीलता, मानव संसाधनों और कौशल का लाभ उठाने के लिए सराहा गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन की दक्षता पर प्रकाश डाला जिसकी लागत अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तुलना में काफी कम है। इस मितव्ययी नवाचारी दृष्टिकोण ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है जिससे कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ हुआ है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी और उद्यमिताः

- भारत के प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे निजी उद्योग के लिए भी खोल दिए हैं। 2014 में केवल कुछ मुट्ठी भर से लेकर वर्तमान समय में 150 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की शुरूआत, भारत की गतिशील उद्यमशील भावना का उदाहरण है। 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' की स्थापना अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देती है जो भारत को अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति की ओर प्रेरित करती है।

आर्थिक प्रभाव और भविष्य के अनुमानः

- भारत के अंतरिक्ष प्रयासों ने न केवल वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। कई विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ, भारत ने पर्याप्त राजस्व अर्जित किया है और खुद को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, अनुमान बताते हैं कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संभावित रूप से 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की वर्तमान स्थितिः

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने लागत प्रभावी उपग्रहों के निर्माण और विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की अपनी क्षमता के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध भारत, निःशस्त्रीकरण पर जिनेवा सम्मेलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, अंतरिक्ष क्षमताओं के शस्त्रीकरण का दृढ़ता से विरोध करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) असाधारण सफलता दर के साथ विश्व स्तर पर छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत को निजी अंतरिक्ष उद्योग पर भी गर्व है जिसमें 400 से अधिक कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष उद्यमों की संख्या के मामले में दुनिया में पांचवें स्थान पर है।

पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रमुख गतिविधियांः

- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) और रक्षा अंतरिक्ष मिशनः** भारत ने रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO) द्वारा समर्थित

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) की स्थापना की है। डीएसए को किसी प्रतिद्वंद्वी की अंतरिक्ष क्षमता को खराब करने, बाधित करने, नष्ट करने या धोखा देने के लिए हथियार विकसित करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 में रक्षा अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया जो भारत की रक्षा-उन्मुख अंतरिक्ष पहल में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है।

- **सैटेलाइट विनिर्माण विस्तार:** भारत की उपग्रह निर्माण क्षमता लगातार बढ़ रही है जिसके 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। यह विस्तार वैश्विक उपग्रह निर्माण परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता का संकेत देता है।
- **संवाद कार्यक्रम:** युवाओं के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने संवाद कार्यक्रम शुरू किया। यह छात्र आउटरीच कार्यक्रम इसरो की बेंगलुरु सुविधा में आयोजित किया जाता है जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **व्यवसायीकरण पर विनियमों का अभाव:** इंटरनेट सेवाओं और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसे उद्यमों द्वारा संचालित बाहरी अंतरिक्ष का तेजी से व्यवसायीकरण तथा अंतरिक्ष प्रशासन के सामने कई चुनौतियां पेश करता है क्योंकि एक मजबूत नियामक ढांचे की अनुपस्थिति से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा व अंतरिक्ष संसाधनों तक समान पहुंच के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
- **अंतरिक्ष का बढ़ता मलबा:** अंतरिक्ष अभियानों में वृद्धि के साथ, अंतरिक्ष मलबे का संचय एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया है। यहां तक कि छोटे मलबे के टुकड़े भी अपनी उच्च गति के कारण, संभावित रूप से परिचालन अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे मानवयुक्त और मानवरहित दोनों मिशनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
- **चीन की अंतरिक्ष प्रगति:** अंतरिक्ष उद्योग में चीन की तीव्र प्रगति (जिसका उदाहरण उसके स्वयं के नेविगेशन सिस्टम, बेईडोउ-BeiDou का सफल प्रक्षेपण है) चिंता पैदा करता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) सदस्यों का उनके अंतरिक्ष क्षेत्र में संभावित एकीकरण चीन के वैश्विक प्रभाव को मजबूत करके अंतरिक्ष हथियारीकरण की आशंका को बढ़ाती है जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि क्या है?

- बाह्य अंतरिक्ष संधि पर 1966 में कानूनी उपसमिति द्वारा विचार किया गया जिस पर महासभा में सहमति बनी। यह संधि काफी हद तक बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की घोषणा पर आधारित थी। यह संधि जनवरी 1967 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी जो अक्टूबर 1967 में लागू हुई। बाहरी अंतरिक्ष संधि बाहरी अंतरिक्ष की खोज तथा उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून पर बुनियादी ढांचा प्रदान करती है जो सभी देशों और मानव जाति के लाभ हेतु किया जाना चाहिए। अगस्त 2023 तक 114 देश संधि के पक्षकार हैं, जबकि अन्य 22 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन अनुसमर्थन पूरा नहीं किया।

आगे की राह:

- **भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा:** उपग्रहों सहित अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा और अंतरिक्ष मलबे से बचाव के लिए भारत को अपनी ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाना होगा। भारतीय उपग्रहों के लिए खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, प्रोजेक्ट नेत्र जैसी पहल, इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है जिससे अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **अंतरिक्ष में स्थायी सीट की वकालत:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए और एक ग्रह रक्षा कार्यक्रम की वकालत करनी चाहिए। संयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में शामिल होने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने से भारत के लिए अंतरिक्ष प्रशासन में स्थायी सीट सुरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त गगनयान मिशन जैसी पहल, मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की विकसित होती अंतरिक्ष उपस्थिति में योगदान करती है।
- **अंतरिक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** UNOOSA के Space4Women प्रोजेक्ट का अनुकरण करते हुए, भारत लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी महिलाओं को सशक्त बना सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरिक्ष जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना और कॉलेज-इसरो इंटर्नशिप कॉरिडोर स्थापित करके (जो विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए तैयार किया गया है) युवा दिमागों को प्रेरित किया जा सकता है। भारत की 750 स्कूली छात्राओं द्वारा तैयार किया गया आजादीसैट इस संबंध में देश की प्रगति का उदाहरण है।
- **स्वच्छ स्थान के लिए तकनीकी नवाचार:** भारत अंतरिक्ष स्थिरता के लिए नवीन समाधानों का नेतृत्व कर सकता है। सेल्फ ईटिंग रॉकेट एंड सेल्फ वैनिशिंग रॉकेट से अंतरिक्ष मलबे की पुनर्प्राप्ति के लिए रोबोटिक हथियारों जैसी तकनीकों का प्रयोग भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक समस्या समाधानकर्ता और खोजकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है। इन पहलों को अपनाना स्वच्छ और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण वाले भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांतिपूर्ण सहयोग के प्रतीक के रूप में रहा है जो पारदर्शिता, नवाचार और आर्थिक विकास पर जोर देता है। खुली बातचीत, लागत प्रभावी मिशन और रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारत न केवल अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि पृथ्वी की सीमाओं से परे ज्ञान की वैश्विक खोज में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसे-जैसे राष्ट्र सहयोग की भावना से एक साथ आते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य सभी मानव जाति के लिए अभूतपूर्व खोजों और साझा प्रगति का विस्तार करता है।

भारत में गर्भपात कानूनों से जुड़े समसामयिक पहलू: विसंगतियां और समाधान

गर्भपात का विषय महिला अधिकार और महिला सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मामला है। आम तौर पर भारत में गर्भपात को सामाजिक, धर्मिक और नैतिक कारकों के चलते अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन जैसे जैसे महिला अधिकारों का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे महिलाओं को अपने शरीर तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गर्भपात के अधिकार देने पर बहस छिड़ गई। महिलाओं का अपने शरीर पर नियंत्रण रखने का अधिकार, अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए राज्य के कर्त्तव्य की प्रकृति, मानव जीवन व समाज के धार्मिक विचारों के बीच तनाव, गर्भपात के निर्णय में पति/पत्नी और माता-पिता को शामिल करना आदि गर्भपात से सम्बंधित ऐसे नैतिक तथा सामाजिक मुद्दे हैं जो मानव अस्तित्व के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाते हैं। इसके अलावा गर्भपात के केंद्र में कामुकता सबसे अधिक विवादास्पद सामाजिक मुद्दों में से एक है। गर्भपात की कोई भी चर्चा लगभग अनिवार्य रूप से इस बात पर विचार करती है कि गर्भावस्था कैसे हुई और गर्भनिरोधक तरीकों के उपयोग से गर्भावस्था को कैसे रोका जा सकता था?

सन्दर्भ:

भारत में गर्भपात कानून एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला ने प्रसवोत्तर अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस विवाद ने देश में गर्भपात से जुड़े जटिल कानूनी और नैतिक मुद्दों को उजागर करते हुए जीवन-समर्थक बनाम चयन-समर्थक बहस को उत्पन्न किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 1960 के दशक से पहले भारत में गर्भपात को अवैध माना जाता था और महिलाओं सहित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-312 के अनुसार तीन साल तक की सजा और/या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता था।
- 1960 के दशक में भारत सरकार ने गर्भपात के मुद्दे की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए डॉ. शांतिलाल शाह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया कि क्या भारत को इसे संबोधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए या नहीं?
- शांतिलाल शाह समिति की सिफारिशों के आधार पर गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति से संबंधित एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया गया था। यह विधेयक बाद में अगस्त 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया।
- इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम 1971 के रूप में जाना गया जो आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 1972 को जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि 1860 से चली आ रही भारतीय दंड संहिता की धारा-312 स्वैच्छिक गर्भपात को अपराध मानती है, भले ही गर्भपात महिला की सहमति से किया गया हो। हालाँकि अपवाद स्वरुप जब गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात आवश्यक हो तब इसे अपराध नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि गर्भपात में शामिल होने के लिए स्वयं महिला और मेडिकल प्रैक्टिशनर सहित कोई भी अन्य व्यक्ति अभियोजन के अधीन हो सकता है।

गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) संशोधन अधिनियम 2021:

1971 का एमटीपी अधिनियम भारत में गर्भधारण की समाप्ति को नियंत्रित करता है, लेकिन 2021 में इसमें एक महत्त्वपूर्ण संशोधन हुआ। नए संशोधन के तहत मौजूदा कानून में कई बदलाव लाए गये हैं जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच का विस्तार करना है। एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय:** नए कानून के मुताबिक गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात हेतु केवल एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय की आवश्यकता होती है, जबकि 20 से 24 सप्ताह के बीच के गर्भधारण की समाप्ति के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता होती है।
- **राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड:** संदिग्ध भ्रूण असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ के गर्भपात हेतु राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय की आवश्यकता होती है।
- **गर्भावधि सीमा में वृद्धि:** इस संशोधन ने विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए ऊपरी गर्भकालीन सीमा को 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है जिनमें बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार, विकलांग महिलाएं और नाबालिग शामिल हैं।
- **गोपनीयता खंड:** नए कानून में महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए गोपनीयता खंड पेश किया गया है। यह किसी महिला की पहचान और उसके गर्भपात से संबंधित अन्य विवरणों का खुलासा करने पर रोक लगाता है जब तक कि कानून द्वारा अधिकृत न हो।
- **अविवाहित महिलाओं के लिए पहुंच:** संशोधन ने अविवाहित महिलाओं के लिए एमटीपी सेवाओं का विस्तार किया है जिससे महिला की पसंद के आधार पर सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच सुनिश्चित हो, भले ही उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।

26 सप्ताह की गर्भवती महिला का मुद्दा:

- दो अन्य बच्चों के साथ 26 सप्ताह की गर्भवती एक विवाहित महिला ने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उसने प्रसवोत्तर अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थता

का तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट शुरू में उनकी याचिका पर सहमत हो गया था, लेकिन दो-न्यायाधीशों की पीठ ने बाद में एक विभाजित फैसला सुनाया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक रिपोर्ट के बाद न्यायमूर्ति हिमा कोहली और बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि इस स्तर पर गर्भपात करने से या तो भ्रूण के दिल की धड़कन रुक जाएगी या समय से पहले प्रसव हो जाएगा या भ्रूण के लिए संभावित गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं। इसके बाद मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया जिसने भी अजन्मे बच्चे के अधिकारों पर जोर दिया।

वैश्विक स्तर पर गर्भपात कानून की स्थिति:

- हालाँकि लगभग सभी देशों में कुछ शर्तों के तहत गर्भपात कानूनी है, लेकिन ये स्थितियाँ व्यापक रूप से भिन्न हैं। वर्ष 2021 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 98% देशों में महिलाओं की जान बचाने के लिए गर्भपात की अनुमति है। यह दिखाता है कि गर्भपात से सम्बंधित कानूनों के उदारीकरण और गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि की ओर रुझान बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में 60 से अधिक देशों ने गर्भपात कानूनों को पहले से आसान बनाया है जिससे गर्भपात के लिए कानूनी आधार का विस्तार हुआ है। इस अवधि के दौरान कुछ देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, अल साल्वाडोर, निकारागुआ और पोलैंड) ने गर्भपात से संबंधित कानूनों को हटा दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया जिससे गर्भपात पर बहस पुनः तेज हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विभाजित फैसले और कानूनी व्याख्याएँ:

- जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नागरत्ना की दो-न्यायाधीशों वाली बेंच ने पहले महिला को अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी, लेकिन बाद में एम्स की रिपोर्ट में भ्रूण के हृदय को रोकने की आवश्यकता का पता चलने के बाद फैसले पर मतभेद हुआ। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने जीवन के साथ भ्रूण की दिल की धड़कन रुकने पर चिंता व्यक्त की, वहीं न्यायमूर्ति नागरत्ना ने गर्भावस्था को आगे न बढ़ाने के याचिकाकर्ता के दृढ़ संकल्प को बरकरार रखा जिससे जीवन-समर्थक बनाम चयन-समर्थक बहस का मुद्दा उभर कर आया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसका अनुरोध अनुच्छेद-21 के तहत उसके अधिकारों पर आधारित था जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

भ्रूण की कानूनी स्थिति:

- भारत में भ्रूण की कानूनी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंडियन लीगल थॉट में सहायक प्रोफेसर डॉ. आरती पी.एम. का दावा है कि भारतीय कानूनी ढांचा निश्चित रूप से यह परिभाषित नहीं करता है कि भ्रूण एक जीवित प्राणी है या नहीं। उनका तर्क है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं और निजी स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत को देखते हुए देश में सुरक्षित गर्भपात को अनिश्चित बनाते हुए, चयन-समर्थक (प्रो-चॉइस) तर्क भारतीय समाज के लिए राजनीतिक रूप से अनुकूल तर्क नहीं हो सकता है।

The MTP Act 1971 and The MTP Act Amendments 2020

	Present Law	Proposed Amendments
Indications (Contraceptive failure)	Only applies to married women	Unmarried women are also covered
Gestational Age Limit	20 weeks for all indications	24 weeks for rape survivors Beyond 24 weeks for substantial fetal abnormalities
Medical practitioner opinions required before termination	One RMP till 12 weeks Two RMPs till 20 weeks	One RMP till 20 weeks Two RMPs 20-24 weeks Medical Board approval after 24 weeks
Breach of the woman's confidentiality	Fine up to Rs 1000	Fine and/or Imprisonment of 1 year

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ की टिप्पणियाँ:

12 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने महिला से आग्रह किया कि वह गर्भावस्था को समाप्त करने तथा संभावित विकृति से बचने के लिए भ्रूण को कुछ और हफ्तों तक ले जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बेंच ने अजन्मे बच्चे के अधिकारों और एक महिला की स्वायत्तता के महत्त्व पर जोर दिया जिसका उद्देश्य दोनों के बीच संतुलन बनाना था।

निष्कर्ष:

याचिकाकर्ता के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दोनों ने एम्स की रिपोर्ट के बाद भी महिला की गर्भावस्था जारी रखने की अनिच्छा प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया कि वह असामान्यताओं के लिए भ्रूण की जांच करे और महिला के कथित अवसाद तथा प्रसवोत्तर मनोविकृति को ध्यान में रखते हुए उसके स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन करे। सरकार ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि अगर महिला गर्भावस्था को पूरी अवधि तक जारी रखने के लिए सहमत होती है, तो बच्चे की देखभाल की जाएगी और गोद लेने की सुविधा दी जाएगी। अतः यह देखना शेष है कि मामला देश में गर्भपात कानूनों के व्यापक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करेगा और चल रही बहस का क्या निष्कर्ष होगा? गर्भपात पर भारत के कानूनी ढांचे को काफी हद तक प्रगतिशील माना जाता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों की तुलना में जहां गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं। सभी हितधारकों को महिला तथा उनके प्रजनन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक नीति निर्माण में गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि सभी मुद्दे पर व्यापक सलाह मशविरा हो जिससे जच्चा और बच्चा दोनों के हितों को ध्यान में रखकर संतुलित निर्णय लिया जा सके।

बाल अधिकारिता के संरक्षण के लिए जरूरी है बच्चों में कुपोषण प्रबंधन

बालकों के उत्तम स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखने की बात लंबे समय से होती आई है। कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त बचपन को एक सच्चाई बनाने के लिए भारत सरकार भी इस संदर्भ में प्रतिबद्ध है। हाल ही में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन का यह प्रोटोकॉल भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रोटोकॉल की शुरुआत जिस बैठक में की गई उसमें पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सेवाओं तक पहुंच बनाने और उनकी निगरानी के लिए आईसीटी पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इस वर्ष सितंबर माह के दौरान 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों के पोषण स्तर का पता लगाने की दिशा में उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए कुपोषण को कम करने के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रयासों में यह प्रोटोकॉल एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होगा। इस प्रोटोकॉल में आंगनवाड़ी और चिकित्सा इको-सिस्टम के जरिए कुपोषित बच्चों का आंकलन करने तथा उन्हें देखभाल मुहैया कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।'

कुपोषण से जुड़े नए प्रोटोकॉल के लाभः

- यह प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेगा कि देशभर के सैम/मैम (उम्र के हिसाब से बेहद कम वजन तथा कम लंबाई वाले बच्चे/काफी हद तक कुपोषण से ग्रस्त बच्चे) बच्चों को समय पर और प्रभावी ढंग से समर्थन दिया जा सके। यह प्रोटोकॉल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं, महिला सुपरवाइजरों, बाल विकास परियोजनाओं के अधिकारियों तथा इसे लागू करने के जिम्मेदार पदाधिकारियों समेत सभी लोगों को स्पष्टता और मार्ग निर्देशन देता है। इस मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत से देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक स्तर पर कुपोषण की समस्यां को समझने और उसका प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। खासतौर से उन इलाकों में जहां कोई चिकित्सीय समस्याएं नहीं है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना और कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए स्पष्ट कदम उठाना है। यह जीवन के एक विशेष समय में पोषण की महत्ता पर जोर देकर मानव विकास क्षमता को बढ़ाने का अवसर देता है।
- भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग 67.7 प्रतिशत है। उनके सशक्तीकरण को सुरक्षित और संरक्षित माहौल में सकारात्मक विकास को सुनिश्चित करना जरूरी है। इस कदम से देश का सतत और समतावादी विकास सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव को हासिल करने के लिये इसकी बहुत जरूरत है। महिला और बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि बच्चों का अच्छा पोषण हो, वे खुशहाल हों तथा महिलायें आत्मविश्वास से परिपूर्ण हों और आत्मनिर्भर बनें। इसके लिये उन्हें ऐसा माहौल प्रदान किया जाना है जो उनकी पहुंच में हो, भरोसेमंद हो, आसान हो तथा हर तरह के भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो।
- उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिये भारत सरकार द्वारा तीन महत्त्वपूर्ण योजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित करने को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य शामिल हैं।

मिशन पोषण 2.0:

- यह एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है। यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करता है। इसके लिये पोषण तत्त्वों और उनकी आपूर्ति की एक रणनीतिक पहल की जाती है। इसके अलावा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक ईको-प्रणाली बनाई जाती है ताकि ऐसे तौर-तरीकों को विकसित तथा प्रोत्साहित किया जा सके जो स्वास्थ्य, आरोग्य और रोग-प्रतिरोधक क्षमता का पोषण करें। पोषण 2.0 पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता तथा उनकी आपूर्ति को बेहतर बनाया जाता है।
- यह ऐसी पहल है जो देश के मानवीय पूंजी विकास में योगदान करेगा, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करेगा, सतत स्वास्थ्य और आरोग्य के लिये पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदत को प्रोत्साहित करेगा और प्रमुख रणनीतियों के जरिये पोषण सम्बंधी अभावों को दूर करेगा। यह कार्यक्रम के तहत पोषण नियम, मानक, टीएचआर की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार लाया जायेगा। इसके साथ ही हितधारकों और लाभार्थियों की संलग्नता को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अलावा पारंपरिक सामुदायिक खान-पान आदतों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। पोषण 2.0 के दायरे में तीन महत्त्वपूर्ण जैसे आगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिये योजना और पोषण अभियान कार्यक्रम/योजनायें हैं। पोषण अभियान कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 18 मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के बीच हुए अद्‌भुत समन्वय और सहकार का उदाहरण है।
- इस पहल का पूरा जोर मातृत्व पोषण, नवजात शिशु और बच्चों

के आहार नियम, आयुष के जरिये एमएएम/एसएएम का उपचार तथा आरोग्य पर रहेगा। वह संचालन, शासन और क्षमता-निर्माण पर आधारित है। पोषण अभियान जन संपर्क का प्रमुख माध्यम है जिसके तहत पोषण समर्थन, आईसीटी हस्तक्षेप, मीडिया के जरिये प्रसार और संपर्क, सामुदायिक संपर्क तथा जन आंदोलन सम्बंधी नवोन्मेषों को रखा गया है।

पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़े लाभः

- कोविड महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान तैयार किया गया पोषण ट्रैकर ऐप शुरुआत के सिर्फ पहले तीन महीनों में ही 13 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाकर एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है। पोषण ट्रैकर ऐप पर मिले नतीजे बताते हैं कि एनएफएचएस-5 के नतीजों की तुलना में कुपोषण का स्तर काफी कम है। 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों के आंकड़े दर्शाते हैं कि 0-5 साल की उम्र के 1.98 प्रतिशत बच्चे सैम (कुपोषण के कारण उम्र के हिसाब से बहुत कम वजन और लंबाई वाले तथा अधिक खतरे में) और 4.2 प्रतिशत बच्चे मैम (अपेक्षाकृत कम कुपोषित) है, जबकि एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 19.3 प्रतिशत बच्चे कम कुपोषित हैं।

बाल कुपोषण से जुड़ी चुनौतियांः

- दुनिया भर में कुपोषण की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि देश में अभी भी पांच वर्ष से कम उम्र के 2.19 करोड़ बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई की तुलना में कम है। इसका मतलब यह है कि देश के 18.7 फीसदी बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक वेस्टिंग कुपोषण से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई के लिहाज से कम रह जाता है। इस समस्या में बच्चा अपनी लम्बाई की तुलना में काफी पतला रह जाता है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण सूडान के बाद चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण सूडान में पांच वर्ष से कम उम्र के करीब 22.7 फीसदी बच्चे वेस्टिंग की इस समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं यमन में 16.4 फीसदी, सूडान में 16.3 फीसदी और श्रीलंका में 15.1 फीसदी बच्चे इस समस्या का शिकार हैं। दुनिया में वेस्टिंग के शिकार करीब आधे बच्चे भारत में हैं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट 'लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मालन्यूट्रिशन 2023' में सामने आई है जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और वर्ल्ड बैंक ने संयुक्त रूप से जारी किया है।
- पोषण को लेकर जो 2030 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनके अनुसार दुनिया में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग की दर को 3 फीसदी से नीचे लाना है। ऐसे में क्या भारत 2030 तक इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि आंकड़े जो दर्शाते हैं उनके मुताबिक भारत इस लक्ष्य से काफी पीछे है जिसे हासिल करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है।
- ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ वेस्टिंग के मामले में स्थिति खराब है। यदि बच्चों में कुपोषण को देखें तो देश में स्टंटिंग की समस्या भी काफी गंभीर है। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 31.7 फीसदी बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से छोटे कद के हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो इस मामले में देश पहले स्थान पर है जहां इतनी बड़ी संख्या में बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं।
- कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये भारत सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। हालाँकि उनके वित्तपोषण और कार्यान्वयन में अभी भी विसंगतियां मौजूद हैं। इस मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL

DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR

Follow the below mentioned instructions :
Scan the above QR Code on your phone. | Click on the link. | Subscribe to our channel. | Get updated on Current Affairs & UP Specific News.

सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका

भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है क्योंकि इसने दोहरी राजव्यवस्था की स्थापना की है जिसमें केंद्र में संघ और परिधि पर राज्य शामिल होंगे जिनमें से प्रत्येक को संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। – डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

संघवाद अब केंद्र-राज्य संबंधों की दोष रेखा नहीं, बल्कि टीम इंडिया की नई साझेदारी की परिभाषा है। नागरिकों को अब सबूत और प्रक्रिया के बोझ के बिना विश्वास करने में आसानी है। व्यवसायों को एक ऐसा वातावरण मिलता है जो काम करने में आसान होता है। – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

- 7 अक्टूबर, 2023 को भारत सरकार के केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा उत्तराखंड के नरेन्द्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। केंद्र-राज्य संबंधों के लिहाज से ऐसी बैठकें बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस बैठक में गृह मंत्री का कहना था कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जल आपूर्ति और पर्यटन का प्रमुख केन्द्र हैं। इन राज्यों के बिना जलापूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मध्य क्षेत्रीय परिषद (सेंट्रल जोनल काउंसिल) में शामिल राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हैं। इस बैठक में जिन क्षेत्रों पर विशेष निर्णय लिया गया उनमें कुपोषण के खात्मे हेतु कार्यवाही, स्कूली बच्चों के शून्य ड्रॉपआउट, कोदो और कुटकी उपज के मूल्य को रागी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर तय करने का निर्णय, लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए आईसीएआर द्वारा अध्ययन कराने का निर्णय, 5 किमी के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) के गठन का निर्णय आदि शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद परिषद की 24वीं बैठक में रॉयल्टी तथा खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की भोपाल में 22 अगस्त, 2022 को हुई 23वीं बैठक में लाख के उत्पादन को किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा योजना में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। इसके पश्चात लाख उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया गया है।

क्षेत्रीय परिषद से जुड़ी बैठकों की प्रगति:

- क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, चुनौतियों की गंभीरता पर विचार किया जाता है, साथ ही उसका सामूहिक स्तर पर समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है। केंद्र सरकार इन बैठकों के माध्यम से राज्य सरकारों को यह आश्वासन देती है कि वह विकास तथा सुरक्षा मामलों में राज्य सरकारों को किस स्तर तक सहयोग प्रदान करेगी? राज्य सरकारें भी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं से गृह मंत्री को अवगत कराते हैं और केंद्र सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुरूप राज्यों को मदद देने की बात करती है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 और स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुई, जबकि 2014 से 2023 तक क्षेत्रीय परिषदों की 25 तथा स्थायी समितियों की 29 बैठकें हुई हैं। 2004 से 2014 के बीच कुल 570 मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से 448 को सुलझा लिया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच कुल 1315 मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से 1157 मुद्दों को सुलझा लिया गया है।

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका:

- क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने का मजबूत माध्यम मानी जाती हैं जिससे केंद्र-राज्य के बीच सहयोग, आपसी विश्वास और तालमेल बढ़ता है। भारत के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। समय-समय पर देश के गृह मंत्री की अध्यक्षता में इन सभी क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन परिषदों की बैठकों में केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में समान हित के किसी मामले पर सीमा-विवाद, भाषायी अल्पसंख्यकों अथवा अंतर-राज्य परिवहन से संबंधित किसी मामले पर चर्चा कर समाधान निकालते हैं तथा राज्य के समावेशी विकास की राह खोजते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की संरचना:

- भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों के संगठनात्मक ढाँचें की बात करें, तो इसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- इसके सदस्यों में मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित दो अन्य मंत्री तथा परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य होते हैं, वहीं क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिये नीति आयोग द्वारा नामित

एक मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त होते हैं।

- क्षेत्रीय परिषदों के गठन का विचार सबसे पहले 1956 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जिन राज्यों का पुनर्गठन किया जाना है। उन्हें चार अथवा पांच क्षेत्रीय परिषदों में वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि इन परिषदों की भूमिका सलाहकारी परिषदों की तरह रहे जिससे केंद्र के राज्यों के साथ सहयोग करने की आदतों का विकास होगा।

क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य:

- राष्ट्रीय एकता लाना।
- तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद तथा विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।
- केंद्र और राज्यों को सहयोग करने तथा विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना।

क्षेत्रीय परिषदों में शामिल अन्य परिषदें:

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ हैं।
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा तथा नगर हवेली हैं।
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हैं।
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में शामिल आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी हैं।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, 1972 के तहत बना था उसमें सभी उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। सिक्किम राज्य को भी पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया था। उसके उपरांत ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सिक्किम को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से हटाकर जोड़ा था।
- इस प्रकार क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्त्व के अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच तथा इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) का कार्यान्वयन करना है। इसमें प्रत्येक गांव के 5 किमी के भीतर बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा, देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs) का निर्माण, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी तथा राष्ट्रीय स्तर के सामान्य हित के अन्य मुद्दे शामिल हैं।
- मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कई मायनों में खास होती है। देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के साथ ही उसे बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के चलते उन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हो पाती है जो एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा परिषद की बैठक में राज्यों के बीच सुरक्षा, सड़क, सीमा संबंधी विवाद, पानी, बिजली, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, परिवहन, वन और पर्यावरण के साथ आवास जैसे व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा होती है।
- सहयोगी संघवाद की भावना के अनुरूप कार्य करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए जरूरी है। केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का अविश्वास न बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न मुद्दों पर उनके बीच स्वस्थ संवाद हो। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जो अंतरराज्यीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कई क्षेत्रीय मुद्दों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय परिषद की प्रभावकारिता को और गहराई से सुनिश्चित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यों के मध्य अपने संकीर्ण मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है।

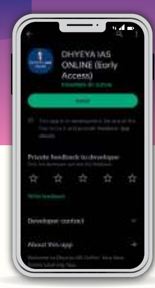
ध्येयIAS most trusted since 2003
DHYEYA IAS most trusted since 2003
DOWNLOAD OUR
ANDROID MOBILE APP
Google Play Store

भारत में सुशासन की मजबूती के लिए किए गए प्रयास और संबंधित चुनौतियां

'उसकी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके कल्याण में उसका कल्याण है जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है उसे वह अच्छा नहीं मानता है, लेकिन जो कुछ भी उसकी प्रजा को प्रसन्न करता है उसे वह अच्छा मानता है' यह वक्तव्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक सुशासित राज्य के अंतर्गत राजा के गुणों का विस्तार से वर्णन करने के लिए दिया है।

हाल ही में जयपुर में सुशासन पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में 'विकसित भारत' बनाने के लिए भारत की अमृत काल यात्रा की सराहना की गई। इस सम्मेलन में कहा गया कि वर्तमान केंद्र सरकार ने नागरिकों को सुशासन और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए नए युग की प्रौद्योगिकियां अपनाने के अनेक कदम उठाए हैं और इनमें से कई व्यवहारों को व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग भी इसका अनुकरण कर सकें।

एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सुशासन की केंद्रीय विशेषता आबादी के सभी वर्गों की प्रभावी भागीदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से विभिन्न स्तरों पर सरकार चुनने का संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। यह सरकार की वैधता और मतदाताओं के प्रति उसकी जिम्मेदारी के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। सरकार को सभी स्तरों पर जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। जवाबदेही से संबंधित भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है जिसे व्यापक रूप से शासन में एक बड़ी कमी के रूप में देखा जाता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने और वास्तविक भागीदारी को सक्षम करने के लिए पारदर्शिता भी महत्त्वपूर्ण है। सरकार को सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में प्रभावी तथा कुशल होना चाहिए जो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं। इसके लिए हमारे कार्यक्रमों के डिजाइन पर निरंतर निगरानी और ध्यान देने की आवश्यकता है।

सुशासन क्या है?

- विश्व बैंक (1992) ने 'शासन और विकास' शीर्षक वाले अपने दस्तावेज में शासन को 'विकास के लिए किसी देश के आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने का तरीका' के रूप में परिभाषित किया है।
- इसके अलावा सुशासन का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें वर्ग, जाति और लिंग के बावजूद सभी नागरिक अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना भी है। इसके 4 स्तंभ हैं जिन पर सुशासन टिका हुआ है:
  - लोकाचार (नागरिक की सेवा)
  - नैतिकता (ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता)
  - समानता (सभी नागरिकों के साथ कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का व्यवहार करना)
  - दक्षता (उत्पीड़न के बिना सेवा की त्वरित और प्रभावी डिलीवरी के लिए आईसीटी का तेजी से उपयोग)

सुशासन की विशेषताएँ:

सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं जिसमें सहभागी, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील, प्रभावी व कुशल, न्यायसंगत और समावेशी तथा कानून का शासन शामिल हैं। यह आश्वस्त करता है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है और निर्णय लेने में समाज के सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाती है। यह समाज की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के प्रति भी उत्तरदायी है।

- **भागीदारी:** यह सुशासन का मूल माना जाता है। सरकारों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने, अपने हितों को स्पष्ट करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नागरिकों को अपेक्षित स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है जो नीतियों तथा कार्यक्रमों में प्रतिबिंबित हो सकें।
- **कानून का शासन:** शासन का अर्थ प्राधिकार का मनमाना उपयोग नहीं है। किसी भी शासन को प्रभावी बनाने के लिए एक निष्पक्ष कानूनी ढांचे का पूरक होना आवश्यक है जिसे उपयुक्त कानून प्रवर्तन मशीनरी तथा स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके।
- **पारदर्शिता:** यह सूचना के मुक्त प्रवाह और शासन प्रक्रिया में लिए गए निर्णयों से प्रभावित लोगों तक पहुंच के आधार पर आधारित हेाता है। लोगों को उचित सीमा के भीतर सूचना का प्रावधान उन्हें सरकारी, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्रों की गतिविधियों को समझने तथा निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- **उत्तरदायित्व:** पूर्ववर्ती शासन तंत्र सभी हितधारकों को अपने दायरे में लाने में विफल रहे। वर्तमान में सभी संस्थानों को उन सभी की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने पर अधिक जोर दिया जा रहा है जो उनके निर्णयों से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं।
- **समानता:** चूंकि शासन संरचना और तंत्र का लक्ष्य भागीदारी है, इसलिए उन्हें समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसी समाज की भलाई और विकास यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है कि सभी सदस्यों की इसमें हिस्सेदारी तथा भूमिका है और किसी को मुख्यधारा से बाहर नहीं रखा गया है।
- **प्रभावशीलता और दक्षता:** सुशासन, नए सार्वजनिक प्रबंधन के समान, सामाजिक आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप संसाधनों के उपयोग में प्रभावशीलता तथा दक्षता का लक्ष्य रखता है।
- **जवाबदेही:** इसे कुछ निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही के साथ-साथ उचित प्रवर्तन भी सुनिश्चित करना होगा। इसमें राजनेताओं, प्रशासकों, अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को उनकी गतिविधियों हेतु जवाबदेह बनाना शामिल है।

- **पूर्वानुमेयता:** इसमें स्पष्ट कानूनों तथा विनियमों की मौजूदगी शामिल है जो समाज और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।

सुशासन को सुदृढ़ करने हेतु की गई पहल:

राष्ट्र की प्रगति के लिए सुशासन महत्त्वपूर्ण है। 'अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार' प्राप्त करने के लिए शासन की कला को अधिक पारदर्शी, कुशल तथा नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए अग्रलिखित उपाय किए गए हैं:

- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** आरटीआई एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है और इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नागरिकों की क्षमता को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा देता है।
- ई-गवर्नेंस कुशल और प्रभावी शासन मॉडल प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में उभरा है। सामान्य सेवा केंद्र ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। उमंग पर 1,570 से अधिक सरकारी सेवाएं और 22,000 से अधिक बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना विभिन्न ई-सेवाएँ जैसे प्रमाण पत्र (जन्म, जाति, मृत्यु, आय और स्थानीय निवासी), पेंशन, भूमि रिकॉर्ड आदि प्रदान करती है।
- **नागरिक चार्टर-** नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को स्थापित करती है। नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना है। नागरिक चार्टर के छह सिद्धांत गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता हैं।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA) जून 2022 में जारी किया गया था। NeSDA ढांचा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के ई-सेवा वितरण अनुप्रयोगों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए है।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24x7 उपलब्ध है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। उमंग के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

भारत में सुशासन से जुड़ी चुनौतियाँ:

- आम आदमी के लिए नौकरशाही नियमित तथा दोहराव वाली प्रक्रियाओं, कागजी काम और देरी को दर्शाती है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की यह टिप्पणी भारत में सुशासन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती हैं। सिस्टम की कठोरता, शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, बड़ी संख्या में मध्यस्थ स्तरों के साथ काम करने का अत्यधिक पदानुक्रमित करने का तरीका, किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने में देरी, जवाबदेही से प्राधिकार के अलग होने के कारण एक ऐसी संरचना तैयार हुई है जिसमें प्रक्रियाओं को अंतिम परिणामों से अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- प्रशासनिक संरचनाओं के गैर-प्रदर्शन, खराब सेवा गुणवत्ता और प्रतिक्रियाशीलता की कमी तथा प्राधिकरण के दुरुपयोग ने शासन प्रणालियों में विश्वास को कम कर दिया है जिसे तत्काल बहाल करने की आवश्यकता है।
- सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकांश नागरिक सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी से संतुष्ट नहीं हैं। एक तिहाई से भी कम नागरिक प्रदत्त सेवाओं से संतुष्ट हैं। वास्तव में पुलिस, न्यायपालिका और नगर पालिकाओं जैसी आवश्यकता-आधारित सेवाओं में 20 प्रतिशत परिवार भी उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। यहां तक कि पीडीएस, अस्पताल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं में भी केवल 30-40 प्रतिशत परिवार ही सेवाओं से खुश हैं।
- कानूनों को लागू करने वाले कर्मियों की अपर्याप्त क्षमता निर्माण के बाद नीतियों और कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है।
- इसके अलावा अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी तथा कुछ नागरिकों की ओर से कानूनों के अनुपालन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण भी सुशासन में बाधाएँ पैदा करते हैं।
- कानूनों और नियमों के अप्रभावी कार्यान्वयन से नागरिकों को बहुत कठिनाई हो सकती है, यहां तक कि सरकारी तंत्र में नागरिकों का विश्वास भी कम हो सकता है।
- दुनिया भर में नौकरशाहों से उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो सुशासन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। हालाँकि कभी-कभी ये नियम व प्रक्रियाएँ गलत और बोझिल होती हैं, इसलिए अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी कभी-कभी नियमों और प्रक्रियाओं में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं तथा इन्हें अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं।
- आमतौर पर शासन में अक्षमता के लिए उद्धृत किया जाने वाला एक सामान्य कारण सिस्टम के भीतर सिविल सेवाओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में असमर्थता है। दोषी सरकारी सेवकों के खिलाफ शायद ही कभी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है जिसमें जुर्माना लगाना तो और भी दुर्लभ है। बोझिल अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं ने सरकार में अनुशासन के प्रति सामान्य उदासीनता बढ़ा दी है।

निष्कर्ष:

लोकतंत्र को एक सूचित नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यह भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों तथा उनके उपकरणों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी आवश्यक है। 'नागरिक-प्रथम' भारत सरकार का मंत्र, आदर्श वाक्य और मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार को नागरिकों को विश्वास में लेना जरूरी है ताकि वे शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों पर भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन

हमास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले के बाद इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में भीषण प्रतिशोध कार्यवाही की गई जो अभी भी जारी है। दोनों तरफ से निर्दोष नागरिकों खासकर महिलाओं और बच्चों को अपनी जान गवानी पड़ी है। इजराइल के साथ हमास द्वारा युद्ध छेड़े जाने के बाद अब तक लगभग 6 हजार निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है जिनमें 2,360 बच्चे शामिल हैं। इस युद्ध के चलते मध्य पूर्व अथवा पश्चिम एशिया की राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आया है। एक तरफ ईरान, सीरिया और लेबनान जैसे राष्ट्र हैं जिन्हें फिलिस्तीन के हमास को समर्थन देने के लिए जाना जा रहा है, वहीं अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि इजरायल और फिलिस्तीन समर्थित हमास के बीच वर्तमान युद्ध पर भारत का पक्ष क्या है? भारत इन दोनों राष्ट्रों के संदर्भ में कौन सी नीति का समर्थन करता आया है? भारत के इन दोनों राष्ट्रों के साथ संबंधों को पृथक पृथक संबंधों के आधार पर समझा जा सकता है।

भारत अपने प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए इजराइल पर निर्भर:

- प्रतिरक्षा और सुरक्षा के संबंध में भारत-इजराइल के मध्य संबंधों में लगातार मजबूती आई है। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिरक्षा उपकरणों की आवश्यकता महसूस करता रहा है, इसीलिए वह इजराइल से प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है। दोनों देशों के मध्य सशस्त्र बलों के मध्य नियमित सूचना विनिमय संपन्न किया जाता है। भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ तथा एयर चीफ मार्शल की इजराइल यात्राएं होती रही हैं। भारत और इजराइल के मध्य प्रतिवर्ष लगभग 1 बिलियन डॉलर का प्रतिरक्षा व्यापार होता है। भारत महत्त्वपूर्ण रक्षा उपकरणों तथा हथियारों का आयात इजराइल से करता रहा है। भारत के लिए दक्षिण एशिया में आतंकवाद से निपटने, हिन्द महासागर की सुरक्षा, पाकिस्तान और चीन से सामरिक दृष्टि से निपटने में इजराइल भारत के लिए उपयोगी है। इजराइल ने भारत को फाल्कन अवाक्स रडार, बराक मिसाइल, ग्रीन पाइन रडार, स्पाइस बॉम्ब प्रदान किए हैं। वर्ष 2019 में भारत ने इजरायल से 300 मिलियन डॉलर मूल्य वाले 100 स्पाइस बॉम्ब खरीदने का समझौता किया गया। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किए गए बालाकोट स्ट्राइक में स्पाइस बॉम्ब का ही उपयोग किया था। इसके अलावा इजराइल भारत को मानव रहित विमान हेरान और हारूप दे चुका है। 2017 में इजराइल में हुए पहले संयुक्त सैन्याभ्यास ब्लू फ्लैग- 17 में भारतीय वायु सेना के गरुण कमांडोज ने भाग लिया था।
- भारत और इजराइल के प्रतिरक्षा संबंधों को मजबूती दोनों के मध्य हुए होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट से भी मिली है। उल्लेखनीय है कि इस समझौते के तहत सीमा पार आतंकवाद से निपटने, आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, अपराध नियंत्रण और निरोध तथा पुलिस आधुनिकीकरण के विषयों पर बल दिया जाता है। भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाना होमलैंड सिक्योरिटी के लिए दोनों की वचनबद्धता को दर्शाता है।
- उल्लेखनीय है कि साल 1992 तक भारत और इजराइल के बीच संबंध कुछ खास नहीं थे। इसके पहले शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश खासकर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। ऐसे में गुटबाजी में न फंसने के लिए जाना जाने वाला भारत भी सोवियत संघ की ओर झुकाव रखते हुए इजराइल का समर्थन करने लगा था। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने आखिरकार अरब देशों के साथ मतभेदों की परवाह किए बिना इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का साहसिक निर्णय लिया। हालांकि इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनियों के लिए भी मुखर समर्थन दिखाना जारी रखा।
- हाल के दिनों में भारत का रुख डी-हाईफेनेशन नीति की ओर देखा जा रहा है। डी-हाईफेनेशन नीति को समझें तो विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पहले चार दशकों के लिए स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक होने से लेकर अंतिम तीन दशक में इजराइल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ संतुलन बनाने वाली रही है।
- इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत की स्थिति को भी इजराइल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। भारत इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में दो-राज्य समाधान में विश्वास करता है तथा शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के लिये आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रस्ताव करता है।
- भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन रखने का रुख अपनाया है, यानी जब भी मानवाधिकार की बात होगी तो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे लेकिन जब भी अपने हितों से जुड़ी बात होगी तो हम इजराइल के साथ होंगे। भारत और इजराइल के संबंध इसलिए भी खास दिखते हैं क्योंकि दोनों देशों में दक्षिणपंथी नेतृत्व है, लेकिन भारत की पॉलिसी इजराइल को लेकर पूरी तरह से यथार्थवादी बनी हुई है। भारत की नीति फिलिस्तीन को लेकर आगे भी आदर्शवादी बनी रहेगी, इसे ही डी-हाईफेनेशन की नीति कहा जाता है। एक तरफ जहां भारत ने 2018 में इजराइल के साथ सामरिक साझेदारी समझौता किया, तो वहीं दूसरी तरफ 2020 में यूएन में फिलिस्तीन के आत्मनिर्धारण के अधिकार के पक्ष में मत दिया।
- भारत का इजराइल के प्रति जो भी झुकाव है, उसकी केवल इस आधार पर व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि इजराइल यूएस ब्लॉक का सदस्य है और अमेरिकी प्रभाव इस मामले में निर्धारक है, बल्कि भारत को अपने कई हितों को पूरा करने के लिए साफ तौर

पर इजराइल से सहयोग समर्थन चाहिए।

भारत-फिलिस्तीन संबंध:

- भारत अपनी विदेश नीति में आत्म निर्धारण के अधिकार पर विशेष बल देता है, यहीं कारण है कि उसने फिलिस्तीन के जायज अधिकारों का समर्थन करने की नीति अपनाई। वर्ष 1974 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकछत्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। इसी क्रम में वर्ष 1988 में भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान किया। फिलिस्तीन के साथ कूटनीतिक संबंधों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने 1996 में गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला जिसे 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में फिलिस्तीनी लोगों के निर्धारण के अधिकारों के प्रारूप प्रस्ताव का सह प्रायोजक बनने की भूमिका निभाई और अक्टूबर 2003 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके समर्थन किया जिसके तहत इजराइल द्वारा पृथकता की दीवार के निर्माण का विरोध किया गया था। वर्ष 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनाने के पक्ष में मतदान किया और वर्ष 2012 में भारत ने उस संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में मत अधिकारों के बिना उसका गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश बनाने का प्रस्ताव किया गया था।
- भारत ने फिलिस्तीन के हितों के सच्चे समर्थक के रूप में उसे अनवरत अपना समर्थन दिया है। वर्ष 2015 में भारत ने एशियाई अफ्रीकी कमेमोरेटिव कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन पर जारी बंगडुंग उद्घोषणा का समर्थन के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में फिलिस्तीनी झंडे को लगाए जाने का समर्थन किया। भारत और फिलिस्तीन के मध्य द्विपक्षीय राजनीतिक यात्राओं के जरिए संबंधों को मजबूती दी जाती रही है। फरवरी 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन की पहली यात्रा की और संबंधों को मजबूत बनाया गया। इब्सा के सदस्य के रूप में भारत ने सदस्य देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन में 5 परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है जिसमें इंडोर मल्टीपरपज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, चिकित्सालय और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने का निर्णय भी शामिल है। वर्ष 2015 में भारत ने सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के आधार पर रामल्ला में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 2017 में बेथलहम में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया। पुन: वर्ष 2017 में भी रामल्ला में इस दिवस को मनाया गया और 2018 में फिर से बेथलहम में योग दिवस मनाया गया। इसी के साथ भारत ने फिलिस्तीन के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2017 में शुरू किया और विभिन्न छात्रवृत्ति शैक्षणिक अंतर संपर्को के जरिए मानव पूंजी के निर्माण पर बल दिया।
- भारत ने 166 देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में फिलिस्तीनी लोगों के आत्म निर्धारण के अधिकार के पक्ष में मतदान किया जबकि अमेरिका, इजराइल, नौरू, माइक्रोनेशिया और मार्शल द्वीप ने विपक्ष में मतदान किया। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव का प्रायोजक उत्तर कोरिया, मिस्र, निकारागुआ, जिम्बाम्बे और फिलिस्तीन हैं। इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर, 2019 को मतदान हुआ जिसमें भारत ने फिलीस्तीन के आत्म निर्धारण के अधिकार के पक्ष में अपना मतदान किया था। 18 नवंबर, 2019 को अमेरिका ने फिलिस्तीनी अधिकृत क्षेत्र में इजराइली अधिवासों पर अपने नीति में बदलाव की घोषणा की जिसमें कहा गया कि यहूदी नागरिक अधिवासों को अंतर्राष्ट्रीय कानून से असंगत कहने का कोई लाभ नहीं मिला है और न ही इसने शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता का इस पर कहना है कि यूएन का स्थाई मत है कि फिलिस्तीनी अधिकृत क्षेत्रों में इजराइली अधिवासों का होना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायली अधि ग्रहण जो कि 1967 में शुरू हुआ था उसका खात्मा होना चाहिए और इजराइल फिलिस्तीन समस्या का समाधान यूएन के प्रस्तावों पर आधारित होना चाहिए। इस क्रम में मेड्रिड टर्म ऑफ रेफरेंस, लैंड फॉर पीस सिद्धांत, अरब पीस इनिशियेटिव आदि के मूल भावों के अनुरूप अरब-इजराइल समस्या का समाधान होना चाहिए। इसमें एक स्थाई द्वि-राज्य समाधान के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सभी विशेषज्ञों और संगठनों तथा सभी राज्यों को फिलिस्तीन के लोगों के आत्म निर्धारण के अधिकार को अनवरत समर्थन देने का निवेदन किया गया है। भारत ने फिलिस्तीन में विकासात्मक परियोजनाओं को चलाने, क्षमता निर्माण के लिए हाल के समय में 72.1 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता और समर्थन प्रदान किया है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से इंस्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी का निर्माण, भारत फिलिस्तीन टेक्नोलॉजी पार्क, प्रिंटिंग प्रेस, स्कूल और हॉस्पिटल का गठन शामिल है।
- भारत प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में सहयोग दे रहा है। वर्तमान में इसके तहत भारत 5 मिलियन डॉलर का योगदान देता है। भारत ने फिलिस्तीन को शर्त रहित समर्थन और सहयोग समय-समय पर देना जारी रखा। वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन में विकास परियोजनाओं के लिए 42.1 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके पूर्व 2017 में भारत ने फिलीस्तीन की इंटरपोल में सदस्यता का समर्थन किया था। 2017 में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जेरूसलम पर प्रस्ताव का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी लोगों के आबादी के संरक्षण के लिए लाए गए प्रस्तावों के पक्ष में भारत ने मतदान किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति में फिलिस्तीन के अधि कारों के समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अरब विश्व और इस्लामिक विश्व के साथ अपने मधुर संबंधों को बेहतर करने तथा खाड़ी देशों से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाए रखने आदि कारकों से भी प्रेरित होते हुए भारत ने एक संप्रभु फिलिस्तीन का समर्थन किया है ताकि फिलिस्तीन विवाद का शांतिपूर्ण और राजनीतिक समाधान हो सके।

भारत में खनिज संसाधन संरक्षण विशेषकर स्ट्रेटेजिक मिनरल की दिशा में उठाए गए कदम

'महत्त्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण से आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियां और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान भी हो सकता है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन तकनीकों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा समेत कई क्षेत्रों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। वे कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिवर्तन को शक्ति देने के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दुनिया भर के देशों की बढ़ती संख्या की 'नेट जीरो' प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। इसलिए हमारे देश में महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान करना और उन्हें विकसित करना अनिवार्य हो गया है।' –महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान समिति की रिपोर्ट, 2023, खान मंत्रालय।

सन्दर्भः

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन महत्त्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों लिथियम, नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

- हाल ही में खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था जो 17 अगस्त, 2023 से लागू हो गया है। संशोधन के जरिये अन्य बातों के अलावा लिथियम और नायोबियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है जिससे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें देने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा संशोधन में प्रावधान किया गया है कि लिथियम, नायोबियम और आरईई (यूरेनियम तथा थोरियम रहित) के साथ 24 रणनीतिक खनिजों (जो अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध हैं) के खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

महत्त्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्त्वपूर्ण खनिज एक धात्विक या गैर-धात्विक तत्व होते हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व इत्यादि।
- इनका उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फाइबर-ऑप्टिक केबल, सेमीकंडक्टर, बैंकनोट और रक्षा, एयरोस्पेस तथा चिकित्सा अनुप्रयोगों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए किया जाता है।
- इनमें से कई का उपयोग कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन, सौर पैनल और रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। अलग-अलग देश अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए विशेष खनिजों के सापेक्ष महत्त्व और आपूर्ति जोखिमों के रणनीतिक मूल्यांकन के आधार पर महत्त्वपूर्ण खनिजों की अपनी सूची विकसित करते हैं।

गहराई में पाए जाने वाले खनिज क्या हैं?

- गहराई में पाए जाने वाले खनिज जैसे-सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज उच्च मूल्य वाले खनिज हैं। थोक खनिजों की तुलना में इन खनिजों का पता लगाना और खनन करना कठिन तथा महंगा है। ये खनिज नए युग के इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा (सौर, पवन तथा इलेक्ट्रिक वाहन) के संक्रमण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और रक्षा आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों की प्रासंगिकताः

- महत्त्वपूर्ण खनिज वह नींव है जिस पर आधुनिक तकनीक का निर्माण किया जाता है। सौर पैनलों से लेकर अर्धचालकों तक पवन टरबाइनों से लेकर भंडारण और परिवहन के लिए उन्नत बैटरियों तक, दुनिया को इन उत्पादों के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। स्पष्ट कहा जाए तो, महत्त्वपूर्ण खनिजों के बिना कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, यहीं कारण है कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए बढ़ती प्राथमिकता बन गई है।
- मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 100 गीगावॉट लक्ष्य तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए पीएलआई योजनाओं आदि त्वरित विकास के प्रति देश में महत्त्वपूर्ण खनिजों की मांग को बढ़ाएंगे।
- भारत के भविष्य की आर्थिक समृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपनी ताकत के अनुसार अपने विशाल खनिज संसाधनों का कितनी अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं, साथ ही शून्य उत्सर्जन की दिशा में वैश्विक बाजार बदलाव का पालन करने के लिए हम कितनी अच्छी तरह अनुकूलित कर सकते हैं?

महत्त्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी चुनौतियाँः

- महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला की प्रमुख चुनौतियों में से एक वैश्विक बाजार की गतिशीलता में निहित है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में अस्थिरता और आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार महत्त्वपूर्ण खनिजों के घरेलू संसाधनों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
- स्वच्छ ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित होने के कारण लिथियम-आयन

बैटरी में उपयोग किए जाने वाले लिथियम जैसे खनिजों की मांग कई गुना बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में भारत इनमें से अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है क्योंकि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कारण इन खनिजों की अधिक खोज या खनन नहीं हो रहा है। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण इन खनिजों का उच्च आर्थिक महत्त्व है जिसकी आपूर्ति जोखिमपूर्ण है।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में उनके निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियां और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान भी हो सकता है।
- यद्यपि खनन और अन्वेषण क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, फिर भी इन क्षेत्रों में कोई खास एफडीआई प्राप्त नहीं हुआ है। दुनिया भर में विशेषज्ञता रखने वाली खनन कंपनियाँ खनिजों की खोज में लगी हुई हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में एफडीआई को आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।

पहल:

- हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने 'भारत के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज' पर देश की पहली रिपोर्ट को प्रकाशित किया। यह पहली बार है कि भारत ने 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची की पहचान की है जिनमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकेल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम शामिल हैं।
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना तथा अन्वेषण पर जोर देने और अवैध खनन के लिए कड़े दंड सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना करना महत्त्वपूर्ण है।
- अधिनियम परमाणु खनिजों की सूची से कुछ खनिजों को हटाने का प्रावधान करता है। जैसे-लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नाइओबियम, टैंटलम और जिरकोनियम के खनिज आदि। ये खनिज अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और संचार, ऊर्जा क्षेत्र तथा इलेक्ट्रिक बैटरियों में उपयोग के लिए ऊर्जा महत्त्वपूर्ण हैं।
- इन खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिए जाने पर, इन खनिजों की खोज और खनन निजी क्षेत्र के लिए खुला हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप देश में इन खनिजों की खोज तथा खनन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
- अधिनियम ने केंद्र सरकार को कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों जैसे-मोलिब्डेनम, रेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, इंडियम, गैलियम, ग्रेफाइट तथा वैनेडियम, टेल्यूरियम, सेलेनियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, प्लैटिनम तत्वों का समूह, दुर्लभ पृथ्वी समूह के खनिज (यूरेनियम और थोरियम युक्त नहीं) उर्वरक खनिज जैसे पोटाश, ग्लौकोनाइट तथा फॉस्फेट के लिए विशेष रूप से खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया है।
- अधिनियम ने अन्वेषण लाइसेंस देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। नीलामी के माध्यम से दिया गया अन्वेषण लाइसेंस लाइसेंसधारी को अधिनियम की नई प्रस्तावित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण और गहरे खनिजों के लिए टोही तथा पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति देगा। इस संशोधन से देश में एफडीआई और जूनियर खनन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल कानूनी माहौल मिलने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में हुई संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान भारत 14 विकसित देशों के अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) में शामिल हो गया। भारत एकमात्र विकासशील देश है जो महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए जून 2022 में स्थापित विशिष्ट महत्त्वपूर्ण खनिज क्लब एमएसपी का हिस्सा बना है।

आगे की राह:

- एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देश की वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को समझना तथा उनका दोहन करना आवश्यक है। भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनों की व्यापक समझ विकसित करके यह कार्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग हितधारकों को सूचित निर्णय लेने तथा स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को चलाने के लिए सशक्त बनाता है।
- महत्त्वपूर्ण खनिज सूची का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह सूची उन खनिजों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन की गई है जो उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन तथा रक्षा जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं।
- यह सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करेगी। यह पहल एक मजबूत और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के लिए 'नेट जीरो' लक्ष्य प्राप्त करने के बड़े दृष्टिकोण के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

अन्वेषण में निजी एजेंसियों की भागीदारी से गहरे और महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज में उन्नत तकनीक, वित्त और विशेषज्ञता बढ़ेगी। प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था से एक सक्षम तंत्र बनाने की उम्मीद है जहां अन्वेषण एजेंसियां भूवैज्ञानिक डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला में दुनिया भर से प्रौद्योगिकियाँ तथा विशेषज्ञता लाएंगी। इसी विशेषज्ञता के माध्यम से खनिज भंडार की खोज के लिए जोखिम लेने की क्षमता का विकास होगा जिससे देश के आर्थिक विकास को लाभ होगा।

राष्ट्रीय मुद्दे

1 सूचना आयोगों में 3.21 लाख अपीलें लंबित: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित हुई सतर्क नागरिक संगठन (SNS) की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के 27 राज्य सूचना आयोगों में तीन लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले नागरिकों का एक समूह है।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार 3,21,537 लंबित अपीलों में से सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (1,15,524) में है जिसके बाद कर्नाटक (41,047) में दर्ज की गई, वहीं तमिलनाडु ने सूचना देने से मना कर दिया।
- रिपोर्ट के अनुसार 2019 के आंकलन में पाया गया कि 31 मार्च 2019 में 26 सूचना आयोगों में कुल 2,18,347 शिकायतें लंबित थीं जो 30 जून, 2021 तक 2,86,325 और 30 जून, 2022 तक तीन लाख को पार कर गई।
- झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे चार सूचना आयोग निष्क्रिय हैं क्योंकि यहां पद छोड़ने के बाद कोई नया सूचना आयुक्त नियुक्त ही नहीं किया गया है।
- केंद्रीय सूचना आयोग और मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार तथा पंजाब के राज्य सूचना आयोग सहित छह सूचना आयोग वर्तमान में नेतृत्वविहीन हैं।
- 28 सूचना आयोगों द्वारा 1 जुलाई, 2022 से 30 जून 2023 के बीच 2,20,382 अपील और शिकायतें दर्ज की गई जिनके लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी।
- इसी दौरान 29 सूचना आयोगों द्वारा 2,14,698 मामलों का निपटारा किया गया जिनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी।
- रिपोर्ट में सूचना आयुक्तों की कम होती क्षमता पर चिंता जताई गई है क्योंकि अपील और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं जिस पर समय से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचना आयोगों ने 91 प्रतिशत मामलों में जुर्माना नहीं लगाया जहां जुर्माना लगाया जाना संभावित था।
- कर्नाटक के एसआईसी ने 30,207 अपीलें तथा शिकायतें दर्ज कीं, जबकि उत्तर प्रदेश ने 29,637 और सीआईसी ने 20,083 अपीलें/शिकायतें दर्ज कीं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में:

- इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाना जरूरी होता है।
- यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना को 48 घंटे के अन्दर ही उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

Case backlog

The time taken to dispose a complaint filed was computed using the average monthly disposal rate and the pendency

Information Commission	Estimated time for disposal
West Bengal	24 years and 1 month
Chhattisgarh	4 years and 4 months
Maharashtra	4 years
Arunachal Pradesh	2 years and 11 months
Odisha	2 years and 7 months
Madhya Pradesh	1 year and 11 months
Karnataka	1 year and 11 months
Telangana	1 year and 7 months
Kerala	1 year
Himachal Pradesh	1 year

DATA: SATARK NAGRIK SANGATHAN

आरटीआई का मुख्य उद्देश्य:

- इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

आगे की राह:

आरटीआई अधिनियम की धारा-25 प्रत्येक आयोग को प्रत्येक वर्ष सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य करती है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है।

2 समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। यह निर्णय पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 3:2 बहुमत के साथ समान-लिंग विवाहों को संवैधानिक वैधता प्रदान करने के खिलाफ दिया गया। इसने निष्कर्ष निकाला कि अदालत समान-लिंग वाले व्यक्तियों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए 1954 के विशेष विवाह अधिनियम को न तो अमान्य कर सकती है और न ही संशोधन क्योंकि प्रासंगिक कानून बनाना संसद तथा राज्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी है।

फैसले की मुख्य बातें:

- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह की अवधारणा तय नहीं है, परंतु यह स्वीकार किया कि समलैंगिक व्यक्तियों को 'संघ' बनाने का समान अधिकार और स्वतंत्रता है।

- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बेंच के सभी पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त किया कि संविधान के तहत शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
- इस ऐतिहासिक मामले में विधायिका और कार्यपालिका के प्रति न्यायालय का सम्मान, विशेष रूप से सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाई गई समिति के रूप में न्यायिक सक्रियता के खिलाफ संकेत देता है।
- हालाँकि एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों के मामले में न्यायालय ने इस मुद्दे को बाहरी समितियों को सौंपते हुए अधिक सतर्क रुख अपनाया।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 क्या है?

- 1954 का विशेष विवाह अधिनियम भारत में विवाह पंजीकरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन अधिनियम 1937 जैसे व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित विवाहों के विपरीत विशेष विवाह अधिनियम, विवाह पंजीकरण के लिए एक अलग विकल्प प्रदान करता है। न्यायपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी ऐसे विवाहों में दोनों पति-पत्नी के अधिकारों की रक्षा करना है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय नागरिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह की सुविधा के लिए बनाया गया है, भले ही उनकी धार्मिक मान्यताएँ या आस्था कुछ भी हो। यह धर्मनिरपेक्ष कानून व्यक्तियों को विवाह से जुड़ी पारंपरिक बाधाओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष में तर्क:

- विशेष विवाह अधिनियम विवाह का एक नागरिक रूप प्रदान करता है। यह उन जोड़ों को समायोजित करता है जो व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के तहत विवाह करने में असमर्थ हैं। यह उन लोगों के लिए एक समावेशी कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो पारंपरिक धार्मिक मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।
- एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सदस्यों के पास अन्य नागरिकों के समान ही मानवीय, मौलिक और संवैधानिक अधिकार हैं। उनके यौन रुझान के आधार पर उन्हें शादी से रोकना कानून के तहत उनके समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सहित दुनिया भर के कई देशों ने पहले ही समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। यह तर्क दिया जाता है कि भारत को एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने तथा समाज के भीतर समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रथाओं के साथ जुड़ना चाहिए।

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के विरुद्ध तर्क:

- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, लेकिन विवाह, विरासत या गोद लेने जैसे नागरिक अधिकारों के मामलों को संबोधित नहीं किया जिससे उन्हें एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए गैर-गारंटी छोड़ दिया गया।
- हालाँकि मौलिक अधिकार महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु ये असीमित नहीं हैं, इसीलिए इन्हें अन्य संवैधानिक सिद्धांतों पर हावी नहीं होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित वैवाहिक कानूनों में अदालत का हस्तक्षेप समाज को बाधित करेगा और इन कानूनों को बनाने में संसद के इरादों का विरोध करेगा।
- भारत में मौजूदा कानूनी ढांचा एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने में सक्षम नहीं बनाता है जिससे गोद लेने, संयुक्त बैंक खाते खोलने और बच्चे के प्रवेश जैसे क्षेत्रों में अनिश्चितता पैदा होती है।

आगे की राह:

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एलजीबीटीक्यू+ समुदाय, सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। सहयोग से एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण हो सकता है जहां हर किसी को अपने जेंडर की परवाह किए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से प्यार करने और शादी करने की आजादी हो।

3 नमो भारत ट्रेन के पहले चरण का परिचालन शुरू

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद और दुहाई के बीच चलने वाली भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। आरआरटीएस ट्रेनों को 'नमो भारत ट्रेन' के नाम से जाना जाएगा।

आरआरटीएस क्या है?

- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) एक नई समर्पित, उच्च गति, उच्च क्षमता वाली, आरामदायक कम्यूटर सेवा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ती है। यह कई मायनों में मेट्रो और पारंपरिक रेलवे दोनों से अलग है। संपूर्ण आरआरटीएस नेटवर्क 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- आरआरटीएस को मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप और अधिक गति वाली लंबी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है।
- आरआरटीएस पारंपरिक रेलवे की तुलना में अधिक विश्वसनीय और उच्च आवृत्ति वाला है। यह एक समर्पित पथ के साथ पॉइंट-टू-पॉइंट यात्रा प्रदान करता है।

नमो भारत ट्रेन की विशेषताएं:

नमो भारत ट्रेन भारत में परिवहन के भविष्य में एक बड़ा निवेश है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार, यातायात की भीड़ कम होने और क्षेत्र में नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। नमो भारत ट्रेन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 160 किमी/घंटा तक की गति के लिए डिजाइन किया जाना।
- एक समर्पित ट्रैक पर काम करना।
- 5 से 10 मिनट की उच्च आवृत्ति।
- आधुनिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित।

नमो भारत ट्रेन के लाभ:

- **यात्रा का समय कम होना:** नमो भारत ट्रेन 160 किमी/घंटा तक की गति से चलेगी जिससे एनसीआर के विभिन्न शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
- **बढ़ी हुई आवृत्ति:** नमो भारत ट्रेन 5 से 10 मिनट की उच्च आवृत्ति पर संचालित होगी जिससे यात्रियों के लिए अपनी सुविधानुसार यात्रा करना आसान हो जाएगा।
- **बेहतर विश्वसनीयता:** नमो भारत ट्रेन एक समर्पित ट्रैक पर चलेगी जो इसे परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाएगी।
- **बेहतर आराम:** नमो भारत ट्रेन यात्रियों हेतु आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।

आरआरटीएस चरण-I के तहत विकसित किए जा रहे गलियारे:

- **चरण-I:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास के लिए आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है जिनमें से दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर को चरण-I में प्राथमिकता दी गई है।

आगे की राह:

यह सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एनसीआर में शहरी, औद्योगिक, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय केंद्रों में कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार करेगी। यह मौजूदा परिवहन केंद्रों के माध्यम से एनसीआर में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।

4 सरकार की देरी से न्यायिक वरिष्ठता में पड़ती बाधा: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 'द एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य' की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की देरी से न्यायिक वरिष्ठता में पड़ती बाधा पर खेद व्यक्त किया। जब कॉलेजियम जजशिप के लिए एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की सिफारिश करता है, तब केंद्र केवल कुछ को नियुक्त करता है जिससे अनुशंसित व्यक्तियों की वरिष्ठता में गड़बड़ी होती है।

सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं:

- उच्च न्यायालय के जजशिप के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित प्रतिभावान वकील अक्सर पीछे रह जाते हैं क्योंकि केंद्र सरकार चुनिंदा नामों पर कार्यवाही करती है जिससे उम्मीदवारों की संभावित वरिष्ठता प्रभावित होती है।
- न्यायालय ने न्यायाधीशों के तबादले के लिए कॉलेजियम की

सिफारिशों को मंजूरी देने में सरकार की देरी पर भी सवाल उठाया।

- कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पांच वरिष्ठ न्यायाधीश अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश करते हैं, तो केंद्र सरकार को उस फाइल को रोकने के बजाय जल्द से जल्द सहमति देनी चाहिए।

Courtesy: Department of Justice & National Judicial Data Grid

- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास 10 महीने से अधिक समय से लंबित 70 हाई कोर्ट कॉलेजियम सिफारिशों के महत्त्वपूर्ण बैकलॉग के बारे में चिंता जताई है।
- पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्रीय कानून सचिव से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने कहा कि आज तक पांच दोहराए गए नाम और ग्यारह स्थानांतरण से संबंधित फाइलें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।
- पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने 26 लंबित स्थानांतरण सिफारिशों को मंजूरी दी जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 16 तबादलों को अधिसूचित किया, साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया।

आगे की राह:

कॉलेजियम अनुशंसित सूचियों से नामों को अलग करने की सरकार की प्रथा गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने पीठ को आश्वासन दिया कि लंबित मामलों में दो सप्ताह में कमी आ जाएगी। इसके अब इस मामले की सुनवाई नवंबर 2023 के दूसरे हफ्ते में पुनः करने में सहमति बनी।

5 बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक -2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिलाओं की शादी की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक की जांच कर रही एक संसदीय समिति को राज्यसभा के सभापति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन महीने का नया विस्तार दिया गया है। यह विधेयक दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश होने के बाद शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक:

- यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके महिलाओं की विवाह की आयु को वर्तमान 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सिफारिश करता है। यह विधेयक किसी भी अन्य कानून या प्रथा को खत्म कर देगा।
- 2006 अधिनियम के तहत न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह करने वाला व्यक्ति वयस्क होने के दो साल के भीतर यानी 20 वर्ष की आयु से पहले विवाह को रद्द करने (विवाह को शून्य घोषित करने) के लिए आवेदन कर सकता है। विधेयक इसे बढ़ाकर 5 वर्ष अर्थात 23 वर्ष की आयु करता है।

विधेयक से संबंधित प्रमुख मुद्देः

बाल विवाह पर महत्त्वपूर्ण प्रभावः

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाओं की शादी उम्र 18 वर्ष से पहले हो गई थी। नवीनतम सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह समस्या ग्रामीण भारत में 27% अधिक प्रचलित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह सभी विवाहों का 14.7% है।
- 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी, वहीं लड़कियों की शादी की उम्र में दूसरा संशोधन करने की योजना 2021 में की गयी थी। कैबिनेट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 पेश करने को मंजूरी दी थी।

बाल विवाह के पीछे कारणः

- यूनिसेफ के अनुसार, बाल विवाह की प्रथा की जड़ें अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं, लेकिन संस्कृतियां, गरीबी, शैक्षिक अवसरों की कमी, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच इसमें बढ़ोतरी करती है।

आगे की राहः

यह स्पष्ट है कि बाल विवाह के खतरे को नियंत्रित करने के लिए केवल कानूनी हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह पूरी व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा क्योंकि लैंगिक संवेदनशील समाज विकसित करने के लिए नियमों का पर्याप्त कार्यान्वयन आवश्यक है।

6 'एक देश-एक चुनाव' पर विधि आयोग ने दिया सुझाव

चर्चा में क्यों?

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी तथा विधि आयोग की अहम बैठक हुई।

विधि आयोग द्वारा दिये गये प्रमुख सुझावः

- विधि आयोग ने 'एक देश-एक चुनाव' के विचार को सफल बनाने हेतु सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद उच्च स्तरीय आयोग को संविधान में आवश्यक संभावित बदलावों एवं बाधाओं की एक प्रस्तुति दी।
- विधि आयोग के द्वारा 2018 में केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी

गई एक मसौदा रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा और सरकार का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

क्या है एक देश एक चुनाव?

- एक देश एक चुनाव से तात्पर्य संसद एवं विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने से है। यह विचार वर्ष 1967 तक देश में लागू भी रही थी, लेकिन दल-बदल, बर्खास्तगी और सरकार के विघटन जैसे विभिन्न पदों से यह व्यवस्था भंग हो गई।

पक्ष में तर्क:

- एक देश एक चुनाव से अलग-अलग समय होने वाले चुनाव से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
- **शासन में सुधार**- यह प्रणाली सत्तारूढ़ दलों को लगातार चुनाव मोड में रहने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।
- यह दीर्घकालिक योजना और नीतिगत लक्ष्यों से भटकाव को कम करता है।
- विधि आयोग के अनुसार, इससे मतदाताओं की भागीदारी बढ़ सकती है।
- **प्रशासन में सुधार**- यह राष्ट्र पर प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान बढ़ाएगा ताकि विकासात्मक प्रयासों पर लगातार ध्यान केंद्रित रहे।

विपक्ष में तर्क:

- इसके लिए लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की आवश्यकता होती है।
- इसके लिए देश भर में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की आवश्यकता होगी।
- 1967 तक संसद और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन उसके बाद विधानसभाएं और लोकसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग होने लगीं, इसलिए एक साथ चुनाव की प्रणाली प्रभावित हुई।

आगे की राह:

इस प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु संसद के सदनों की अवधि से लेकर राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा को भंग करने तक राज्य विधानमंडलों की अवधि से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही सबसे बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना है।

7 मैनुअल सीवर सफाई का उन्मूलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को उचित उपाय करने, नीतियां बनाने और निर्देश जारी करने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चरणबद्ध तरीके से मैन्युअल सीवर सफाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।

हाथ से मैला ढोने का खतरा:

- भारत में सीवर सफाई का बड़ा हिस्सा अभी भी मैन्युअल (हाथ से) आधार पर ही जारी है। भारत में मैनुअल मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन यह प्रथा अभी भी प्रचलित है, कठोर जाति नियमों और आजीविका के अन्य विकल्पों की कमी के कारण कई लोगों को इसमें मजबूर होना पड़ रहा है।
- इन्हें स्थानीय निगमों या निजी ठेकेदारों द्वारा कीचड़ तथा प्लास्टिक के कारण अवरुद्ध हुए सीवरों और नालियों को साफ करने के लिए काम पर रखा जाता है। 2021 में यह बताया गया कि सरकार ने सर्वेक्षणों के माध्यम से भारत में 58,098 मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की थी।

हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली मौतें:

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा बहुत ही अमानवीय है जिससे अक्सर सीवर की जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से मौतें हो जाती हैं। जुलाई 2023 में सरकार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 339 लोगों की मौत हो गई है।
- मैला ढोने की प्रथा के पीछे मुख्य कारण यह है कि कई निगमों और ठेकेदारों के पास यांत्रिक सीवर सफाई के लिए उपकरण या पूंजी नहीं है। सीवर भी अक्सर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उन्हें साफ करने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस जनहित याचिका पर आया जिसमें केंद्र और राज्यों को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार तथा शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 व मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने सीवर पीड़ितों की स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे के संबंध में भी दिशानिर्देश प्रदान किए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि एक मॉडल अनुबंध तैयार करने के लिए, जहां भी अनुबंध दिए जाने हैं वहां इसका उपयोग किया जाना चाहिए या एजेंसियों और निगमों को 2013 के अधिनियम के अनुरूप मानकों को बनाए रखना चाहिए।

आगे की राह:

सर्वेक्षण राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नैट डाट कॉम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम सहयोगात्मक प्रयासों से आयोजित किया जाना है। भारत में हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों में वैकल्पिक सीवर सफाई उपकरणों तथा मशीनों का पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इसे जल्द से जल्द रोका जा सके।

1 आईपीसी बना पीडीजी का नया सदस्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप (PDG) के हितधारकों की बैठक के दौरान पीडीजी सदस्य के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) की घोषणा की गई। आईपीसी आधिकारिक तौर पर पीडीजी की वार्षिक बैठक एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।

फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप (PDG) के बारे में:

- पीडीजी वैश्विक फार्माकोपियाल मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यूरोपीय फार्माकोपिया (PH Euro), जापानी फार्माकोपिया (JP), यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया (USP) और भारतीय फार्माकोपिया (IP) में सामंजस्य स्थापित करेगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग फार्माकोपियल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृति मानदंडों का उपयोग करके, विभिन्न तरीकों से विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के निर्माताओं के बोझ को कम करना।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC):

- 2022 में शुरू किए गए पायलट चरण के लिए चयनित होने वाला आईपीसी दुनिया का एकमात्र फार्माकोपिया निकाय था।
- यह दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स हेतु विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिए आईपीसी की निरंतर प्रतिबद्धता तथा क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

पीडीजी सदस्य के रूप में आईपीसी का वैश्विक प्रभाव:

- पीडीजी में आईपीसी को शामिल करने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय फार्माकोपिया में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- यह आईपी को प्रगतिशील फार्माकोपिया के रूप में स्थापित करेगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवा गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है।
- इससे वैश्विक बाजारों में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों की स्वीकार्यता में सुधार होने की भी संभावना है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं।
- आईपीसी को अन्य पीडीजी सदस्यों के साथ सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान से लाभ होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने से व्यापार बाधाएं कम होंगी और भारतीय दवा कंपनियों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी।
- पीडीजी सदस्यों के बीच फार्माकोपियल मानकों का सामंजस्य विपणन फार्मास्युटिकल उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देगा।
- इसका दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने में मदद मिलेगी।

आगे की राह:

पीडीजी में आईपीसी की सदस्यता फार्मास्युटिकल मानकों के सामंजस्य को बढ़ावा देने, नियामक अनुपालन में सुधार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने, दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा के आश्वासन के माध्यम से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

2 ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्यवसाय निर्माण, साझेदारी बनाने, नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक नेता के रूप में उभरने में अवसर पैदा करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया।

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट:

- इस समिट का विषय 'हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी' और 'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' पर आधारित था जिसमें समुद्री क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए विजन:

- प्रधानमंत्री ने अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया जो समुद्री नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक पहलें हैं।

जी-20 सर्वसम्मति:

- प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक जी-20 सर्वसम्मति द्वारा सक्षम प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला।

परियोजना की आधारशिला:

- प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जो भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए 'अमृत काल विजन 2047' के अनुरूप हैं।

बुनियादी ढांचा विकास:

- पीएम मोदी ने नेक्स्ट जेनरेशन मेगा पोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, द्वीप विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टी-मॉडल हब जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की।

व्यापार में समुद्री भूमिका:

- वैश्विक व्यापार में समुद्री मार्गों की भूमिका पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद की दुनिया में एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

साझेदारी के लिए एमओयू:

- 7 लाख करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के लगभग 300 समझौता ज्ञापन (एमओयू) समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारी के लिए समर्पित किए गए।

डीकार्बोनाइजेशन:

- समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं और रणनीतियों की खोज करना।

जहाज निर्माण:

- जहाज निर्माण में भारत की भूमिका और आने वाले दशक में शीर्ष जहाज निर्माण राष्ट्र बनने की उसकी आकांक्षाओं की जांच करना।

आगे की राह:

इस प्रकार स्पष्ट है कि जीएमआईएस एक प्रमुख समुद्री क्षेत्र का कार्यक्रम है जो भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व के प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा।

3 एसडीजी शिखर सम्मेलन सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की कमी पर अफसोस जताते हुए न्यूयॉर्क के एसडीजी शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने एक बार फिर गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

एसडीजी पर प्रगति के बारे में:

- हाल ही में लॉन्च की गई संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट (जिसका शीर्षक है 'संकट में दुनिया के लिए सिनर्जी समाधान: एक साथ जलवायु और एसडीजी कार्यवाही से निपटना) महत्त्वपूर्ण सबूतों के सामने सहक्रियात्मक कार्यवाही की कमी पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
- 17 एसडीजी की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है, जबकि 169 लक्ष्यों में से केवल 15% ही पूरा होने की राह पर है।
- सालाना 500 अरब डॉलर के एसडीजी प्रोत्साहन का वायदा किया गया था, लेकिन एक महत्त्वपूर्ण निवेश अंतर आज भी बना हुआ है जिसका अनुमान विकासशील देशों के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
- प्रभावी प्रगति के लिए एसडीजी के बीच तालमेल महत्त्वपूर्ण है, लेकिन समन्वित कार्यवाही और संस्थागत बाधाओं की समझ की कमी दिखाती है।
- भारतीय संदर्भ में ऐसी बाधाओं को दूर करने और वांछित परिणामों के साथ लक्ष्यों को संरेखित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने से विशेष रूप से वायु प्रदूषण को कम करने और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहक्रियात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- एसडीजी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तालमेल तथा व्यापार-बंद को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- अकादमिक साहित्य ने एसडीजी हस्तक्षेपों में सहक्रियाओं के प्रकारों की पहचान की है।
- सतत विकास प्रयासों के लिए वैकल्पिक मार्गों और उनके सहक्रियात्मक अवसरों की पूर्ण लागत का अनुमान महत्त्वपूर्ण है।
- उच्च-कार्बन परिणामों में निवेश से ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक असहमति देखी गई।

आगे की राह:

वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध तथा सामंजस्यपूर्ण दुनिया सुनिश्चित करने के लिए एसडीजी हासिल करना महत्त्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों की दिशा में काम करना और सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हुए ग्रह की भलाई की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

4 श्रीलंका को चीन की आर्थिक सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन बिना राजनीतिक शर्तों के श्रीलंका को सहायता देने और बकाया ऋण के लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर को कवर करने के लिए चीन के निर्यात-आयात बैंक के साथ एक समझौता किया।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

- श्रीलंका के ऋण अनुकूलन कार्यक्रम के लिए मैत्रीपूर्ण, व्यावहारिक और समय पर समर्थन के आश्वासन का उल्लेख किया गया, लेकिन चीनी पक्ष के बयान में श्रीलंका पर बकाया ऋण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।
- चीनी पक्ष श्रीलंका को उसकी मौजूदा कठिनाईयों को दूर करने, ऋण के बोझ को कम करने और सतत विकास में मदद करने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए संबंधित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने को सहमत हुए हैं।
- इसके अलावा श्रीलंका चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल का दृढ़ता से समर्थन करता है।
- श्रीलंका का यह निर्णय नेपाल द्वारा शी जिनपिंग की वैश्विक सुरक्षा पहल में शामिल होने से इंकार करने के एक महीने बाद आया है, जब प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले महीने बीजिंग का दौरा किया था।

आईएमएफ व भारत की पहलः

- श्रीलंका को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आईएमएफ विस्तारित निधि सुविधा प्राप्त हुई।
- श्रीलंका ने चीन और भारत से सहायता मांगी, जहां भारत ने ईंधन के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन दी।

भारत की चिंताएँ:

- चीन द्वारा प्रस्तावित हिंद महासागर द्वीपीय देशों के विकास पर फोरम भारत की सागर पहल के विरोध में था।
- 99 साल की लीज के तहत श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन का औपचारिक नियंत्रण है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक माना जा रहा है।
- बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए चीन की ओर रुख कर रहे हैं।

आगे की राहः

चीन परंपरागत रूप से गोपनीय शर्तों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करता रहा है, जबकि भारत को एक साझा मंच में शामिल होने को लेकर चिंता थी जिसमें चीन शामिल नहीं है, क्योंकि इसका हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और रणनीतिक हितों पर प्रभाव पड़ सकता है।

5 भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मिली मौत की सजा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारीयों को कतर की एक अदालत ने एक साल से अधिक समय से हिरासत में रखने के बाद मौत की सजा सुनाई है। ये सभी अधिकारी एक निजी फर्म 'डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज' के लिए काम कर रहे थे जब उन्हें पिछले साल अगस्त में दोहा में कतर की खुफिया एजेंसी ने हिरासत में लिया था।

मामले से सम्बंधित प्रमुख बातें:

- ये सभी अधिकारी एक रक्षा सेवा प्रदाता संगठन 'डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज' के लिए काम कर रहे थे जिसका स्वामित्व ओमान देश की रॉयल वायु सेना के एक सेवानिवृत्त सदस्य के पास है। फर्म के मालिक को भी इन अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था।
- अभी तक न तो कतर की तरफ से और न ही भारत सरकार द्वारा इन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया गया है, परन्तु मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इन अधिकारियों पर कतर की उन्नत पनडुब्बियों का इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों को मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इस मुद्दे को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे।

भारत-कतर सम्बन्धः

- कतर जोकि गल्फ कोपरेशन काउंसिल, अरब लीग तथा आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोपरेशन का प्रमुख सदस्य है, भारत के साथ कूटनीतिक संबंध 1973 ई. में स्थापित हुए थे। उसके बाद से ही लगातार दोनों देशों की ओर से उच्च स्तरीय यात्रायें होती रही हैं। इस वर्ष भारत और कतर अपने सम्बन्धों के पूर्ण हुए 50 वर्ष को मना रहे हैं।
- आर्थिक संबंधों में भारत कतर से एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक तथा एल्यूमीनियम आर्टिकल्स आयात करता हैं, जबकि कतर को खाद्य सामग्री, तांबे की वस्तुएं, लौह-इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, कपड़ा और परिधान निर्यात करता हैं। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 70% प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है।
- दोनों देशों के बीच में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 15 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा है। कतर में सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय रहता है जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं जिससे भारत में प्रेषण (Remittances) का प्रसार होता है।

आगे की राहः

कतर सरकार को वियना कन्वेंशन में दिए गये कांसुलर एक्सेस के अधिकार को प्रदान करना चाहिए जिससे इन अधिकारियों की रक्षा की जा सके। चूंकि भारतीय कतर की अर्थव्यवस्था में अद्वितीय योगदान दे आ रहे हैं, ऐसे में एक अच्छा सन्देश देने से भारत-कतर सम्बन्धों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

6 वियना कन्वेंशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का अनुपालन चर्चा में है क्योंकि भारत और कनाडा की सरकारों ने एक-दूसरे पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया है। मौजूदा गतिरोध के बीच दोनों देशों ने अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है।

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन क्या है?

- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961 एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो सामान्य सिद्धांतों और शर्तों को निर्धारित करती है कि देशों को एक-दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस सम्मेलन का उद्देश्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना और उचित संचार चैनल बनाए रखना है।
- इस कन्वेंशन के अनुच्छेद-29 में कहा गया है कि एक राजनयिक एजेंट का व्यक्तित्व अनुल्लंघनीय होगा। वह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

गतिरोध किस बात को लेकर था?

- कनाडा में खालिस्तान समर्थक की हत्या में भारतीय एजेंटों पर

कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा आरोप लगाये जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच गतिरोध पैदा हो गया है।

- भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय मिशनों के वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया क्योंकि कनाडा में राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में थी।
- इसके जवाब में कनाडा सरकार ने भारत में तैनात अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया था। भारत सरकार कनाडा के साथ राजनयिक समानता की मांग कर रही है क्योंकि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या भारतीय राजनयिकों की कनाडा की तुलना में बहुत अधिक है।
- भारत ने जोर देकर कहा कि उसके कार्य कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- अनुच्छेद 11.1 अन्य देशों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मिशन के आकार से संबंधित है।

भारत-कनाडा आर्थिक सम्बन्धः

- भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्षिक लगभग 8 अरब डॉलर का है जिसमें भारतीय निर्यात 4 अरब डॉलर से अधिक है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग 3,306 मिलियन डॉलर के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है। 1,000 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। दोनों देशों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और व्यापार सुविधा में व्यापार सहित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए तकनीकी वार्ता जारी है। दोनों देश जी-20 के सक्रिय सदस्य हैं।

भारत के लिए चुनौतियाँः

- कनाडा के रुख का अमेरिका और ब्रिटेन सरकार ने भी समर्थन किया है जो भारतीय हितों के खिलाफ था। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संकट लंबे समय से चल रहा है जिससे पश्चिमी देशों के समूह के बीच भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है।
- विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। जैसे खालिस्तान और कश्मीर मामलों पर असहमति ने राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है।
- भारत और कनाडा के बीच व्यावसायिक संबंधों में भी बाधाएं आ रही हैं क्योंकि उनके बीच मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से रोक लगा दी गई है।

आगे की राहः

भारत और कनाडा को सक्रिय बातचीत और सहयोग के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करना होगा क्योंकि दोनों देशों के पारस्परिक हित एक दूसरे के पक्ष में हैं। कनाडा की श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा मूल रूप से भारतीय है।

7 इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023

चर्चा में क्यों?

'इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023' के अनुसार, भारत में 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) देशों में सबसे अधिक प्रवासन प्रवाह देखा गया।

ओईसीडी देशों के बारे मेंः

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 38 सदस्य देश हैं। अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक (HDI) बहुत ऊंचा है, इन्हें विकसित देश भी कहा जाता है। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
- भारत इसका सदस्य नहीं बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।

आप्रवासियों की भूमिकाः

- विकासशील देशों और उनके संगठनों के प्रवासी विकास सहयोग में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे देशों और आबादी के बीच संबंधों एवं आपसी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं, विकास सहयोग का मामला बना सकते हैं और विशेष चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। कई मामलों में उनका प्रेषण मूल देश में आय और निवेश का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बनता है। इसके अलावा वे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और अर्जित ज्ञान को स्थानांतरित कर सकते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बातेंः

- रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ओईसीडी देशों में भारतीय सबसे बड़े उच्च-कुशल प्रवासी हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत से 4.1 लाख से अधिक तृतीयक-शिक्षित प्रवासी हैं जो 2020 में 2.3 लाख भारतीयों की तुलना में 86% अधिक था।
- 2 लाख नए प्रवासियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है जिसके बाद रोमानिया, यूक्रेन और जर्मनी हैं।
- जलवायु-प्रेरित विस्थापन और नीति आधारित-प्रतिक्रियाएँ।
- रूसी-यूक्रेन युद्ध के कारण ओईसीडी क्षेत्र में रिकॉर्ड शरणार्थी प्रवाह का अनुभव हुआ। भारत, उज्बेकिस्तान और तुर्की से श्रमिकों के प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जिससे वे प्रमुख स्रोत देश बन गए।
- सभी शीर्ष चार गंतव्य देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूके और स्पेन) में साल-दर-साल 21% से 35% के बीच बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। पांचवें गंतव्य देश कनाडा (8%) में वृद्धि कम थी।
- ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक ने 2023-24 (FY24) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.9% के पहले अनुमान से मामूली बढ़ाकर 6% कर दिया है।

आगे की राहः

भारतीय प्रवासी कई विकसित देशों में सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक हैं। उनका लाभ 'प्रवासी कूटनीति' में स्पष्ट है जिसके तहत वे अपने मूल देश और वर्तमान समय में रह रहे देशों के बीच 'पुल-निर्माता' के रूप में कार्य करते हैं।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 पोंटस (Pontus) टेक्टोनिक प्लेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा प्रशांत महासागर के एक चौथाई आकार की टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई जिसे 'पोंटस' नाम दिया गया है।

पोंटस टेक्टोनिक प्लेट के बारे में:

- यह टेक्टोनिक प्लेट भूमध्य सागर के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है जो दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
- यह प्लेट पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है।
- पोंटस प्लेट एक महत्त्वपूर्ण टेक्टोनिक प्लेट थी जो प्रशांत महासागर के आकार का लगभग एक चौथाई थी। यह एक समय उस क्षेत्र का आधार था जिसे अब दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन पोंटस महासागर से जुड़े होने के कारण इसे 'पोंटस प्लेट' नाम दिया गया।
- इस प्लेट को केवल बोर्नियो के पहाड़ों के कुछ चट्टानी टुकड़ों से ही जाना जाता है जिसके विशाल स्लैब के अवशेष पृथ्वी की गहराई में पाए गए हैं।
- यह एक महासागर के नीचे स्थित थी जिसे पोंटस महासागर के नाम से जाना जाता था।
- यह प्लेट यूरेशियन प्लेट, अनातोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच अभिसरण क्षेत्र से जुड़ी हुई है।
- यह पोंटस प्लेट लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले बनी थी।

टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है?

- टेक्टोनिक प्लेट एक ठोस चट्टान की एक विशाल स्लैब होती है जो आम तौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय लिथोस्फियर दोनों से बना होता है।
- ये टेक्टोनिक प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बलमंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं।
- प्लेट टेक्टॉनिक सिद्धान्त का प्रयोग समुद्री तल प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन, भूपटलीय संरचना, भूकम्प एवं ज्वालामुखी क्रिया इत्यादि को समझने के लिए किया जाता है।

प्लेट टेक्टॉनिक सिद्धान्त क्या है?

- प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भू-पर्पटी अनेक छोटी-बड़ी प्लेटों में विभक्त है।
- पृथ्वी के स्थलीय दृढ़ भू-खंड को प्लेट कहा जाता है तथा टूटे हुए भाग को टेक्टॉनिक कहा जाता है।
- पृथ्वी पर उपस्थित प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बलमंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं।
- प्लेटों की इन्हीं गति के परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टॉनिक सिद्धान्त के अंतर्गत किया जाता है।

आगे की राह:

पोंटस प्लेट की खोज पृथ्वी के टेक्टोनिक इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है जो प्राचीन टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता के बारे में हमारी समझ बढ़ाने में मदद करती है। टेक्टोनिक प्लेटों का अध्ययन उन गतिशील प्रक्रियाओं को समझने के लिए मौलिक रूप प्रदान करता है जिन्होंने पृथ्वी की सतह को आकार दिया है।

2 ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको-मार्क योजना

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर में लोगों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु दो प्रमुख पहल 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) और इकोमार्क योजना' को अधिसूचित किया है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में:

- इसकी घोषणा पहली बार 2023-24 के बजट में मिशन LiFE के तहत की गई थी।
- ग्रीन क्रेडिट एक निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक अनूठी इकाई है जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
- इसे व्यक्तियों, किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), उद्योगों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य सकारात्मक हितधारकों द्वारा अपने पर्यावरण-सकारात्मक कार्यों के लिए अर्जित किया जा सकता है।
- यह एक ऐसा तंत्र है जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है, जबकि घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO_2 उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य पर्यावरणीय दायित्वों को भी पूरा करना है।

कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा?

- पर्यावरण मंत्रालय ने 8 गतिविधियों का चयन किया है जिनके लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है। इसमें वृक्षारोपण, जल, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण और बहाली, इको-मार्क, सतत भवन तथा बुनियादी ढांचे-आधारित ग्रीन क्रेडिट शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन-** पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति जीसीपी के कार्यान्वयन का संचालन करेगी।
- **प्रशासक-** भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)

इको-मार्क योजना के बारे में:

- इको मार्क एक स्वैच्छिक गैर-बाध्यकारी योजना है जो उपभोक्ता

उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल बताती है। कोई भी उत्पाद जो इस तरह से बनाया, उपयोग या निपटाया जाता है कि इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी आती है, उसे पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद माना जा सकता है।

उद्देश्य:

- उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु विनिर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- यह पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करके पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्पों को प्रोत्साहित करेगा।
- यह योजना सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करने और उत्पादों के बारे में भ्रामक जानकारी को रोकने का प्रयास करती है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ साझेदारी में इस योजना का संचालन करता है जो मानकों और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय निकाय है।

आगे की राह:

दोनों योजनाएं वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हैं जो पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी।

3 प्रतिवर्ष 100 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि निम्नीकरण के कारण नष्ट हो रही- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित 'संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी)' के आंकड़ों के अनुसार, 2015-2019 तक दुनिया में हर साल लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक भूमि नष्ट हो रही।

इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्य:

- यूएनसीसीडी के पहले डेटा डैशबोर्ड के अनुसार, दुनिया के सभी क्षेत्रों में भूमि क्षरण तेजी से बढ़ रहा है जिसमें 126 देशों के राष्ट्रीय आंकड़े संकलित हैं।
- पूर्वी और मध्य एशिया के साथ ही लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन में सबसे गंभीर भूमि क्षरण देखा गया है जिससे उनके कुल भूमि क्षेत्र का 20% से अधिक प्रभावित हुआ है।
- उप-सहारा अफ्रीका, पश्चिमी और दक्षिणी एशिया, लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र सहित वैश्विक औसत की तुलना में भूमि क्षरण की तेज दर का अनुभव हुआ।
- उप-सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 2015 से भूमि क्षरण के कारण क्रमशः 163 मिलियन तथा 108 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है।
- बोत्सवाना को अपने क्षेत्र में भूमि क्षरण को 36% से 17% करने में मदद मिली।
- इसी तरह वर्ष 2015 और 2019 के बीच डोमिनिकन गणराज्य की निम्नीकृत भूमि का अनुपात 49% से घटकर 31% हो गया।
- अरल सागर के सूखने से उज्बेकिस्तान में तीन मिलियन हेक्टेयर भूमि खराब हो गई है। 2018 से 2022 तक उज्बेकिस्तान ने अरल सागर के सूखे तल से नमक और धूल उत्सर्जन को खत्म करने के लिए 1.6 मिलियन हेक्टेयर सैक्सौल (Saxaul) लगाया।
- भारत में निम्नीकृत भूमि क्षेत्र 2015 में 4.42% से बढ़कर 2019 में 9.45% हो गया है।
- यदि वर्तमान भूमि-क्षरण की प्रवृत्ति जारी रहती है, तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, दुनिया को 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करना होगा।

वैश्विक प्रयास:

- **बॉन चैलेंज:** 2020 तक दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई और बंजर भूमि बहाल करने का लक्ष्य है, जबकि वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य है।
- **महान हरी दीवार:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा शुरू किया गया।

आगे की राह:

भूमि को क्षरण से बचाने के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

4 अमेजन वर्षावन में भयंकर सूखे की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेजन वर्षावन में सूखे की स्थितियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के खतरनाक संकेतों में से एक देखा गया है। अल-नीनो घटना और अन्य गंभीर मानवजनित कारणों की वजह से दुनिया का सबसे हरा-भरा क्षेत्र अत्यधिक तापमान तथा उच्च वर्षा का अनुभव कर रहा है।

सूखे के कारण:

- सूखा आम तौर पर लंबी शुष्क अवधि को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप पानी की कमी होती है। अमेजन क्षेत्र पर अल नीनो प्रभाव के कारण अमेजन क्षेत्र में सूखे की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका के 8 देशों ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना और फ्रेंच गुयाना (फ्रांस का ओवरसीज भू-क्षेत्र) में फैला हुआ है।
- अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का सतही जल असामान्य तरीके से गर्म हो जाता है जिसके कारण नमी में कमी हो जाती है और अमेजन क्षेत्र में वर्षा की कमी हो जाती है।
- वनों की कटाई (कृषि भूमि के विस्तार तथा सड़क निर्माण के

लिए), अव्यवस्थित खनिज निष्कर्षण और जलविद्युत बांध जैसे मानवजनित कारण सूखे के प्रभावों को और बढ़ा रहे हैं।

अमेजन सूखे का प्रभाव:

- आम तौर पर सूखे से प्रभावित क्षेत्र के आसपास वनस्पति, जीव-जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अनियंत्रित लॉगिंग गतिविधि अमेजॅन वर्षावन की जलवायु को विनियमित करने और नमी बनाए रखने की क्षमता को कम कर रही है।
- वनों की कटाई से वाष्पीकरण-उत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है जो क्षेत्र में जल संतुलन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
- दक्षिण अमेजन देशों में बीआर-319 जैसे राजमार्गों के निर्माण से बढ़े कंक्रीट के कारण अमेजन क्षेत्र की जल धारण क्षमता कम हो रही है।
- वनों की कटाई के प्रभाव ने नदियों के सूखे के कारण नेविगेशन और रसद के लिए बाधाओं को बढ़ा दिया है।
- बड़े जलाशयों में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण जलविद्युत बांधों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन ने जलवायु परिवर्तन को तेज कर दिया है।
- उपरोक्त सभी कारकों के गंभीर प्रभाव जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर लोगों की आजीविका पर भी इन क्षतियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह:

वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हम पहले से ही अमेजन में हो रहे वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट की दहलीज पर हैं, इसलिए अमेजॅन क्षेत्र में प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। वनों की कटाई विरोधी नीतियों का कड़ाई से पालन बनाए रखा जाना चाहिए।

5 'बफ-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्कटिक टुंड्रा का एक दुर्लभ पक्षी 'बफ-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर' केरल के कन्नूर में देखा गया है। यह वर्ष 2010 के बाद पुनः मदायिपारा घास के मैदान में पहुंचा है।

बफ-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर के बारे में:

- बफ-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर (कैलिड्रिस सबरूफिकोलिस) एक छोटा समुद्री पक्षी है।
- यह प्रजाति ऊपर से भूरे रंग की होती है जिसके सभी पंख भूरे रंग के होते हैं। इसकी चोंच छोटी और टांगें पीली होती हैं।
- यह तटीय पक्षी सबसे नाजुक रूप से सुंदर पक्षियों में से एक है।
- यह एक लंबी दूरी का प्रवासी पक्षी है जो उच्च-आर्कटिक शुष्क टुंड्रा घोंसले के मैदानों को छोड़कर ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे के घास के मैदानों में सर्दियों के लिए हजारों मील की दूरी पर प्रवास करता है।
- यह उत्तरी अमेरिका के खुले आर्कटिक टुंड्रा में और आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में सर्दियों में प्रजनन करता है।

संरक्षण की स्थिति:

- **आईयूसीएन:** इसे IUCN रेड लिस्ट में खतरे के करीब (Near Threatened) माना जाता है।
- निवास स्थान की हानि, विखंडन और गिरावट आदि संभवतः बफब्रेस्टेड सैंडपाइपर आबादी के लिए प्राथमिक खतरे हैं।

मदायिपारा घास का मैदान:

- मदायिपारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित एक पठार है।
- यह कुप्पम नदी, रामापुरम नदी और पेरुम्बा नदी द्वारा प्रवाहित होता है।
- यह अपने कम ऊंचाई वाले घास के मैदानों, लेटराइट पत्थर की चोटियों, प्राचीन मंदिरों तथा एक खंडहर किले के लिए जाना जाता है।
- इसमें पौधों, कीड़ों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियाँ मौजूद हैं।
- ये लौह अयस्क, मैंगनीज और टाइटेनियम के भंडार भी पाये जाते हैं।

आर्कटिक टुंड्रा के बारे में तथ्य:

- यह सबसे उत्तरी बायोम है जो कुछ पेड़ों वाला एक विशाल, शुष्क, चट्टानी स्थान है। यह दक्षिण में कनाडा के हडसन खाड़ी क्षेत्र और आइसलैंड के उत्तरी भाग तक पहुँचता है।
- आर्कटिक टुंड्रा में जमीन पथरीली होती है और मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां कार्बनिक पदार्थ बहुत धीरे-धीरे टूटते हैं।
- पेड़ों की कमी के बावजूद इस बायोम को अभी भी एक प्रमुख कार्बन सिंक माना जाता है। पीट और ह्यूमस के भंडार में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाने के कारण ऐसा है।

6 सूक्ष्म शैवाल ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूल ढल रहे- नेचर जर्नल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक शोध अध्ययन से पता चला है कि माइक्रोएल्गे ने ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूल होने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई है।

सूक्ष्म शैवाल के बारे में:

- सूक्ष्म शैवाल नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। वे आम तौर पर ताजे पानी और समुद्री प्रणालियों में पाए जाते हैं। वे एककोशिकीय प्रजातियाँ हैं जो व्यक्तिगत रूप से या श्रृंखलाओं या समूहों में मौजूद होती हैं। ऊँचे पौधों के विपरीत, सूक्ष्म शैवाल में जड़ें, तना या पत्तियाँ नहीं होती हैं। सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं। वे वायुमंडलीय ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा उत्पन्न

करते हैं तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं।

सूक्ष्मशैवाल का महत्त्व:

वे खाद्य श्रृंखला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे निम्न रूप में कार्य करते हैं:

- **पोषण:** सूक्ष्म शैवाल की कुछ प्रजातियाँ जैसे-स्पिरुलिना और क्लोरेला अत्यधिक पौष्टिक होती हैं जो आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग की जाती हैं। वे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हैं।
- **जैव ईंधन:** माइक्रोएल्गे का उपयोग बायोडीजल जैसे जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इनमें लिपिड की मात्रा अधिक होती है जिसे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय निवारण:** सूक्ष्म शैवाल अपशिष्ट जल उपचार और कार्बन कैप्चर में मदद कर सकते हैं। वे पानी से पोषक तत्वों और प्रदूषकों को अवशोषित कर सकते हैं तथा पानी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
- **जैव प्रौद्योगिकी:** सूक्ष्म शैवाल का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में रंगद्रव्य, फार्मास्यूटिकल्स और रसायनों सहित विभिन्न यौगिकों के उत्पादन के लिए किया जाता है।

ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूल होने के लिए माइक्रोएल्गे द्वारा अपनाई गई रणनीति:

- चूँकि जलवायु परिवर्तन से समुद्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, इसलिए सूक्ष्म शैवाल रोडोप्सिन नामक प्रोटीन को सक्रिय करते हैं। यह प्रोटीन मानव आंख में कम रोशनी में दृष्टि के लिए जिम्मेदार प्रोटीन से संबंधित है। पोषक तत्वों की कमी होने पर रोडोप्सिन पारंपरिक क्लोरोफिल के बजाय सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके इन सूक्ष्म शैवाल को पनपने में सक्षम बनाता है।
- रोडोप्सिन को समुद्र में प्रमुख प्रकाश संग्राहक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वे ऊर्जा और भोजन उत्पन्न करने के लिए समुद्र में क्लोरोफिल-आधारित प्रकाश संश्लेषण जितना प्रकाश अवशोषित करते हैं।

आगे की राह:

सूक्ष्म शैवाल विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों के पोषण का प्राथमिक स्रोत हैं। इनका सेवन अक्सर जोप्लांकटन सहित विभिन्न जलीय जीवों द्वारा किया जाता है जो मछली जैसे बड़े जीवों द्वारा खाए जाते हैं।

7 दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में विलम्ब होने की संभावना-आईएमडी

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, भारत का मानसून समय से आठ दिन की देरी से वापस होने की संभावना है। पिछले 13 वर्षों से मानसून की वापसी में हो रही किसी भी देरी से कृषि उत्पादन पर असर पड़ रहा है। मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है जो सितंबर की शुरुआत में भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है तथा अक्टूबर के मध्य तक यह प्रायद्वीप के उत्तरी भाग पर पहुंच जाता है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का पूर्वानुमान:

- भारत में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक 796.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 843.2 मिमी मानी जाती है जो छह प्रतिशत की कमी दर्शाती है। दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 94 प्रतिशत से 106 प्रतिशत के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। आम तौर पर चार महीने के मानसून सीजन (जून से सितंबर) के दौरान देश में औसतन 870 मिमी वर्षा होती है।
- इस वर्ष भारत में जून में वर्षा की कमी का अनुभव हुआ, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार पश्चिमी विक्षोभ और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ) के अनुकूल चरण के कारण जुलाई में अत्यधिक वर्षा हुई जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब में बढ़ते संवहन के लिए जाना जाता है।
- एमजेओ एक बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय अशांति है जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में उत्पन्न होती है तथा पूर्व की ओर बढ़कर प्रायः 30 से 60 दिनों तक चलती है।
- अगस्त 2023 को 1901 के बाद से सबसे शुष्क महीना और भारत में अब तक का सबसे गर्म महीना माना गया जिसका कारण अल नीनो की स्थिति को मजबूत करना है।
- हालाँकि, कई निम्न दबाव प्रणालियों और एमजेओ के सकारात्मक चरण के कारण सितंबर में अधिक बारिश हुई।

आईएमडी की प्री मानसून भविष्यवाणी:

- प्री-मानसून ब्रीफिंग में आईएमडी ने भारत के लिए सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की थी। हालाँकि विभाग ने आगाह किया था कि अल नीनो 'दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी का गर्म होना दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरार्ध को प्रभावित कर सकता है।' अल नीनो के परिणामस्वरूप भारत में कमजोर मानसूनी हवाएँ और शुष्क स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून एक मौसमी हवा का पैटर्न है जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करता है और दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर अरब सागर के पार भारत, नेपाल, भूटान तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण:

- उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के थार रेगिस्तान तथा आसपास के क्षेत्र में गर्मियों के दौरान काफी गर्म हो जाते हैं।
- इससे उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है।
- इस निम्न दबाव को भरने के लिए हिंद महासागर से नमी भरी हवाएं उपमहाद्वीप में आती हैं।

1 सीएआर-टी सेल थेरेपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रिलैप्स्ड-रिफ्रैक्टरी बी-सेल लिंफोमा और ल्यूकेमिया के इलाज के लिए, मुंबई स्थित इम्यूनोएडॉप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड (ImmunoACT) ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा भारत की पहली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) टी-सेल थेरेपी को मंजूरी देने की घोषणा की।

NexCAR19 के बारे में:

- यह एक स्वदेशी रूप से विकसित CD19-लक्षित CAR-T सेल थेरेपी है। सीडी-19 बी लिम्फोसाइट के लिए बायोमार्कर है जिसका उपयोग ल्यूकेमिया इम्यूनोथेरेपी के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।
- यह पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है।
- NexCAR19 साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम (CRS) और न्यूरोटॉक्सिसिटी की उल्लेखनीय अनुपस्थिति के साथ एक अनुकूल सुरक्षा प्रोफाइल भी प्रदर्शित करता है जो इसे CD19-निर्देशित CAR-T सेल थेरेपी से अलग करती है।

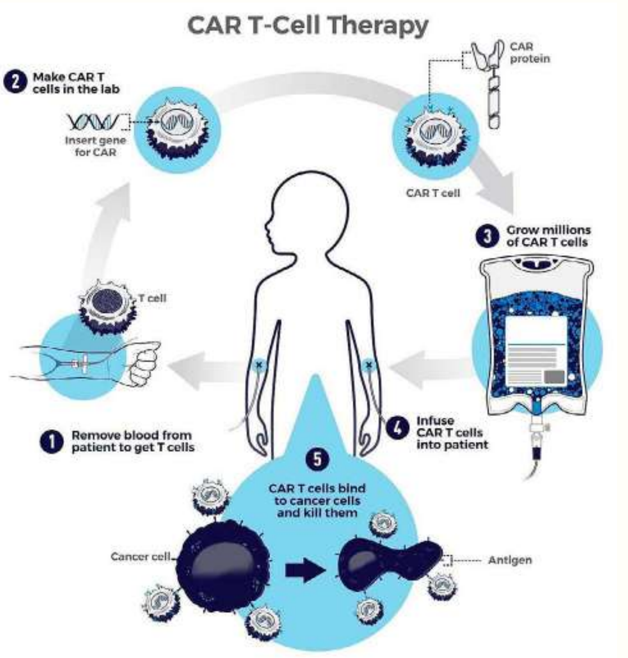

सीएआर-टी सेल थेरेपी क्या है?

- यह एक प्रकार का कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है जिसमें सबसे पहले रोगी से रक्त लिया जाता है, फिर टी-कोशिकाओं नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एक प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। यह कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए रोगी में वापस इंजेक्ट किया जाता है।
- सीएआर टी-कोशिकाएं बढ़ने पर रक्त में साइटोकिन्स नामक बड़ी मात्रा में रसायन छोड़ती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती हैं।

यह किस प्रकार से कार्य करता है?

- रोगी का रक्त टी-कोशिकाओं और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जो ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
- सीएआर टी-सेल थेरेपी में जब संशोधित टी-कोशिकाओं को शरीर में शामिल किया जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है जो इन कोशिकाओं के बढ़ने पर धीरे-धीरे और निरंतर ट्यूमर को खत्म करने की अनुमति देती है।

महत्त्व:

- CAR-T सेल थेरेपी की लागत प्रति मरीज लगभग 3-4 करोड़ है। NexCAR19 की कीमत प्रति मरीज 30-40 लाख रुपये होगी जो विदेश में लागत से काफी कम है।
- तकनीकी उपलबधता भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में रखता है जिनके पास CAR-T थेरेपी तक पहुंच है।

आगे की राह:

NexCAR19 कैंसर के उपचार में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो भारत में रिलैप्स्ड-रिफ्रैक्टरी बी-सेल लिंफोमा और ल्यूकेमिया के लिए एक सटीक तथा किफायती थेरेपी प्रदान करेगा जो भारत को CAR-T सेल थेरेपी में अग्रणी एवं उन्नत कैंसर उपचार पहुंच प्रदान करेगा।

2 क्वांटम एल्गोरिदम

चर्चा में क्यों?

क्वांटम कंप्यूटर को अक्सर जटिल समस्याओं को हल करने के उपाय के रूप में पेश किया जाता है जो पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं, भले ही क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए हार्डवेयर उपलब्ध हो। इसकी क्वांटम सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए हमें स्मार्ट एल्गोरिदम लिखने की आवश्यकता होती है।

क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में:

- क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का एक अत्याधुनिक तरीका है जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में मौलिक रूप से अलग तरीकों से कम्प्यूटेशनल कार्यों को करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करता है। पारंपरिक कंप्यूटिंग में जानकारी को बिट्स का उपयोग करके संसाधित किया जाता है जो 0 या 1 का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट्स या क्वैबिट का उपयोग करता है जो राज्यों के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकता है। यह 0 और 1 दोनों को एक साथ दर्शाता है।

एल्गोरिदम क्या है?

- एल्गोरिदम किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित चरण-दर-चरण प्रक्रिया या नियमों का एक सेट है। यह तार्किक रूप से जुड़े गणितीय या कम्प्यूटेशनल चरणों का एक क्रम है जो प्रारंभिक इनपुट या स्थिति से वांछित आउटपुट या परिणाम तक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। एल्गोरिदम कंप्यूटर विज्ञान, गणित तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूलभूत हैं जो समस्याओं को कुशलतापूर्वक और लगातार हल करने के लिए आवश्यक ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं।

क्वांटम एल्गोरिदम बनाम पारंपरिक कंप्यूटिंग एल्गोरिदम:

- क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल कर सकते हैं जो शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं।
- क्वांटम एल्गोरिदम क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं और कार्यान्वयन के लिए क्वांटम गेट्स के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं जो सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे एक साथ 0 और 1 दोनों की स्थिति में हो सकते हैं जो पारंपरिक बिट्स से एक बुनियादी अंतर है।

शोर का एल्गोरिदम: कुशल गुणनखंडन

- शोर का एल्गोरिदम एक क्वांटम एल्गोरिदम है जो कुशलतापूर्वक बड़ी संख्याओं को कारक बनाता है।
- यह पारंपरिक फैक्टराइजेशन एल्गोरिदम से बेहतर प्रदर्शन करता है जो पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी के लिए संभावित चुनौती पेश करता है।

ग्रोवर का एल्गोरिदम: क्वांटम खोज

- ग्रोवर का एल्गोरिदम एक क्वांटम खोज एल्गोरिदम है जो पारंपरिक एल्गोरिदम की तुलना में बहुत तेजी से बड़े डेटासेट में पैटर्न ढूंढ सकता है।
- यह पैटर्न पहचान के लिए आवश्यक चरणों की संख्या को कम करते हुए घातीय गति प्राप्त करता है।

डॉयचे-जोजसा एल्गोरिदम:

- डॉयचे-जोजसा एल्गोरिथ्म एक अन्य क्वांटम एल्गोरिदम है जो सेटों के बीच संबंधों को कुशलतापूर्वक निर्धारित करता है।
- यह सुपरपोजिशन की बदौलत इनपुट आकार की परवाह किए बिना, एकल क्वांटम गणना के साथ निरंतर और संतुलित संबंधों को अलग कर सकता है।

क्वांटम एल्गोरिदम के अनुप्रयोग:

- इन क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता के साथ अनुकूलन, दवा डिजाइन और पैटर्न खोज सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए क्वांटम एल्गोरिदम पर शोध किया जा रहा है।
- अंतः विषय क्षेत्र और चल रहे अनुसंधान।
- क्वांटम कंप्यूटिंग एक अंतः विषय क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, गणित और भौतिकी शामिल है।

आगे की राह:

क्वांटम कंप्यूटिंग में हार्डवेयर, एल्गोरिदम विकास, अंतः विषय सहयोग, त्रुटि सुधार, सॉफ्टवेयर, स्केलेबिलिटी और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में प्रगति का संयोजन शामिल है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को मिलकर काम करना चाहिए।

3 आईडीएफ पर लगा गाजा में सफेद फास्फोरस के प्रयोग करने का आरोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हमास द्वारा इजराइल पर अचानक भीषण मिसाइली हमला किया गया जिसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी आक्रमण किया। इस दौरान गाजा और लेबनान में किये गये सफेद फास्फोरस के उपयोग का इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) पर आरोप लगा।

सफेद फास्फोरस क्या है?

- सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है जिससे गाढ़ा, हल्का धुआं और तीव्र 815 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा होती है। हवा के संपर्क में आने पर पायरोफोरिक पदार्थ अनायास या बहुत तेजी से प्रज्वलित होते हैं।
- यह रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग की विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में 'पायरोफोरिक ठोस, श्रेणी 1' के अंतर्गत आता है जो इसकी अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता को दर्शाता है।
- सफेद फास्फोरस एक लहसुन जैसी गंध उत्सर्जित करता है।

सफेद फास्फोरस के सैन्य उपयोग:

- इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग एक स्मोकस्क्रीन के रूप में होता है जो जमीन पर सेना की गतिविधियों को छुपाता है। धुआं इन्फ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम में भी हस्तक्षेप करता है जो निर्देशित मिसाइलों से बलों की रक्षा करता है।
- सांद्रित धुएं के लिए युद्ध सामग्री को या तो जमीन पर फोड़ा जा सकता है या बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए हवा में छोड़ा जा सकता है।
- इसका उपयोग छुपे हुए लड़ाकों को अपनी स्थिति छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु एक आग लगाने वाले हथियार के रूप में किया जा सकता है।

सफेद फास्फोरस के हानिकारक प्रभाव:

- सफेद फास्फोरस के संपर्क में आने से गंभीर रूप से ज्वलनशील होती है जो बेहद दर्दनाक होती है जिससे संक्रमण का खतरा होता है।
- शरीर में बचे सफेद फास्फोरस के कण हवा के संपर्क में आने पर फिर से सक्रिय हो सकते हैं। यहां तक कि शरीर का केवल 10% हिस्सा भी जलना घातक हो सकता है।
- सफेद फास्फोरस के कण या धुआं अंदर लेने से श्वसन क्षति और आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है जिसमें प्रभावित व्यक्ति

आजीवन पीड़ा का अनुभव करते हैं।

- सफेद फास्फोरस बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है, फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है और पशुधन को मार सकता है, खासकर जब हवा में जलाया जाता है।

सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री का ऐतिहासिक उपयोग:

- सफेद फॉस्फोरस युद्ध सामग्री का उपयोग पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में आयरिश राष्ट्रवादियों द्वारा 'फेनियन फायर' के रूप में किया जाता था।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश तथा राष्ट्रमंडल सेनाओं ने ग्रेनेड, बम, गोले और रॉकेट में बड़े पैमाने पर सफेद फास्फोरस का उपयोग किया था।
- इन हथियारों का इस्तेमाल विभिन्न संघर्षों में किया गया है जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध, 2004 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण और नागोर्नो-काराबाख संघर्ष शामिल हैं। रूस पर यूक्रेन में आक्रमण के दौरान सफेद फास्फोरस बमों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री की कानूनी स्थिति:

- सफेद फॉस्फोरस युद्ध सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (आईएचएल) के तहत विनियमित है।
- उन्हें रासायनिक हथियारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि उनकी प्राथमिक परिचालन उपयोगिता विषाक्तता के बजाय गर्मी और धुएं पर आधारित है।
- सफेद फास्फोरस का उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन (सीसीडब्ल्यू) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, विशेष रूप से प्रोटोकॉल III द्वारा जो आग लगाने वाले हथियारों में प्रयोग किया जाता है। फिलिस्तीन और लेबनान ने प्रोटोकॉल III का अनुमोदन किया है, लेकिन इजराइल ने नहीं किया है।

आगे की राह:

इजराइल द्वारा गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने के हालिया आरोपों के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे का पालन करना तथा इन चिंताओं को दूर करने और आईएचएल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयासों में संलग्न होना आवश्यक है।

4 लार्ज लैंग्वेज मॉडल

चर्चा में क्यों?

भारत लार्ज लैंग्वेज मॉडल के विकास का पता लगाने के लिए एक 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' का गठन करेगा। यह ऐसा उपकरण है जो मानव भाषा को समझने और संसाधित करने वाले एप्लिकेशन बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है?

- एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) एक गहन शिक्षण एल्गोरिदम है जो मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। ये मॉडल ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर बनाए गए हैं जो व्यापक और विविध डेटासेट पर प्रशिक्षित हैं, इसलिए इसे 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल' कहा जाता है।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल के मुख्य घटक:

- एम्बेडिंग परत इनपुट टेक्स्ट से एम्बेडिंग बनाती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यह हिस्सा इनपुट के वाक्यात्मक अर्थ को पकड़ता है ताकि मॉडल संदर्भ को समझ सके।
- एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की फीडफॉरवर्ड परत (एफएफएन) पूरी तरह से जुड़ी हुई कई परतों से बनी होती है जो इनपुट एम्बेडिंग को बदल देती है।
- आवर्ती परत इनपुट टेक्स्ट में शब्दों के क्रम से व्याख्या करती है।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे कार्य करते हैं?

- लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ट्रांसफार्मर मॉडल पर आधारित होता है जो प्राप्त इनपुट को एन्कोड करके आउटपुट भविष्यवाणी उत्पन्न करने के लिए उसे डिकोड करने का काम करता है।

पूर्व प्रशिक्षण:

- **कॉर्पस:** इन मॉडलों को शुरू में इंटरनेट से पाठ के विशाल संग्रह पर प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें अरबों शब्द होते हैं तथा विषयों और भाषाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है।
- **बिना पर्यवेक्षित शिक्षण:** पूर्व-प्रशिक्षण के दौरान मॉडल बिना पर्यवेक्षित शिक्षण में संलग्न रहता है।

फाइन ट्यूनिंग:

- **विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलन:** पूर्व-प्रशिक्षण के बाद मॉडल को विशिष्ट कार्यों के लिए ठीक किया जाता है।
- **पर्यवेक्षित शिक्षण:** फाइन-ट्यूनिंग आमतौर पर पर्यवेक्षित शिक्षण के माध्यम से किया जाता है।

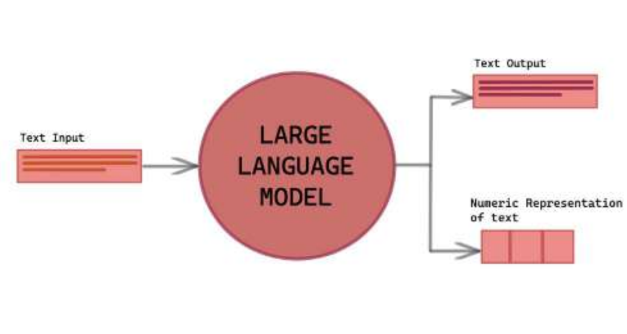

लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लाभ:

- लार्ज लैंग्वेज मॉडल विविध अनुप्रयोगों और तेजी से सीखने तथा अनुकूलन करने की क्षमता वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। वे स्पष्ट संवादी शैली में जानकारी प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जिससे वे विभिन्न उद्योगों और डोमेन में समस्याओं तथा चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के समाधान के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल की सीमाएँ और चुनौतियाँ:

- **मतिभ्रम:** एलएलएम गलत या असंबंधित परिणाम मानवीय पहचान या रोमांटिक भावनाएं उत्पन्न कर सकता है।
- **सुरक्षा जोखिम:** अनुचित तरीके से प्रबंधित एलएलएम निजी जानकारी लीक करके स्पैम उत्पन्न कर सकते हैं जिससे गलत सूचना का प्रसार हो सकता है।
- **पूर्वाग्रह:** आउटपुट प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं।
- **स्केलिंग चुनौतियाँ:** एलएलएम को स्केल करना और बनाए रखना संसाधन-गहन तथा समय लेने वाला है।

आगे की राह:

भारत की लार्ज लैंग्वेज मॉडल की खोज और इसकी गहरी तकनीकी स्टार्टअप नीति प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी परिदृश्य में खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता का संकेत देती है। इस विकास का भारत के तकनीकी भविष्य और वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

5 डेंगू की दवा का परीक्षण सफल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित डेंगू बुखार के लिए एक दवाई (गोली) संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गये मानवीय परीक्षण में वायरस के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

डेंगू एक वैश्विक खतरे के रूप में:

- डेंगू वायरस हर साल दुनिया भर में लगभग 400 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है।
- यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है जो प्रभावी दवाओं की अनुपस्थिति के कारण एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है।

ट्रायल परिणाम:

- परीक्षण में जेएनजे-1802 नामक एक यौगिक शामिल था जिसने प्लेसबो की तुलना में मनुष्यों में डेंगू के DENV-3 तनाव के खिलाफ एंटीवायरल गतिविधि प्रदर्शित की।
- जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सहयोग से आयोजित परीक्षण में 10 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया जिन्हें डेंगू के संपर्क में आने से पांच दिन पहले जे एंड जे गोली की उच्च खुराक मिली थी।
- प्रतिभागियों ने एक्सपोजर के बाद 21 दिनों तक गोली लेना जारी रखा।
- परीक्षण के प्रारंभिक चरण में दस में से छह स्वयंसेवकों के संपर्क में आने के बाद उनके रक्त में कोई पता लगाने योग्य डेंगू वायरस नहीं था। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने 85 दिनों की निगरानी अवधि के दौरान वायरस के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
- इसके विपरीत प्लेसीबो समूह के पांच व्यक्ति जो डेंगू के संपर्क में थे, उनमें वायरस का स्तर पता लगाने योग्य था।

इस दवा की क्रियाविधि:

- गोली दो वायरल प्रोटीन की क्रिया को अवरुद्ध करने में काम करती है जिससे वायरस की प्रतिकृति बनने से रोका जा सके।
- इसे सभी परीक्षण प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह से सहन किया गया।

भविष्य की चुनौतियाँ:

- नई दवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां इसकी आवश्यकता है।
- यह विकास डेंगू वैक्सीन के सामने आने वाली चुनौती का अनुसरण करता है जिसका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहले समर्थन किया था।

डेंगू की गंभीरता एवं प्रसार:

- जोड़ों के दर्द और ऐंठन की गंभीरता के कारण डेंगू बुखार को अक्सर 'हड्डी तोड़ बुखार' कहा जाता है।
- यह एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है जिससे हर साल लाखों संक्रमण होते हैं जिसमें हजारों मौतें होती हैं।
- जलवायु परिवर्तन से उन क्षेत्रों का विस्तार होने की संभावना है जहां डेंगू फैलाने वाले मच्छर मौजूद हैं।

डेंगू बुखार के लक्षण:

- डेंगू बुखार के सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, ग्रंथियों में सूजन शामिल हैं।
- डेंगू खतरनाक हो सकता है जब यह किसी व्यक्ति को दूसरी बार प्रभावित करता है जिससे पेट में दर्द, लगातार उल्टी, तेजी से सांस लेना, मसूड़ों से खून आना, थकान, बेचैनी, अत्यधिक प्यास और थकान जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं।

आगे की राह:

अगले चरण में रोकथाम के अलावा डेंगू के उपचार के रूप में गोली का परीक्षण भी शामिल होगा। उपचार को परिष्कृत और बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान तथा विकास जारी रहेगा जिससे बड़े पैमाने पर इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।

6 सर्वाधिक दूर 'फास्ट रेडियो बर्स्ट'

चर्चा में क्यों?

'फास्ट रेडियो बर्स्ट' की हालिया खोज (जो अब तक की सबसे दूर की खोज है) खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण विकास साबित हो सकता है।

फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है?

- पहली बार 2006 में देखा गया यह विस्फोट अत्यंत अल्पकालिक और तीव्र घटना होती है।
- वे नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं लेकिन रेडियो दूरबीनों द्वारा उनका

पता लगाया जा सकता है।

- अधिकांश एफआरबी हमारी अपनी आकाशगंगा के बजाय दूर की आकाशगंगाओं से उत्पन्न होते हैं।
- एफआरबी पल्सर की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जावान हैं जो हमारी आकाशगंगा में घूम रहे न्यूट्रॉन तारे हैं।
- वे आकाशगंगाओं के बीच पदार्थ के 'ब्रह्मांडीय वेब' का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करते हैं जिससे ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ के वितरण के बारे में अंतर्दृष्टि का पता चलता है।
- अधिक दूर और चरम एफआरबी ब्रह्मांड के बारे में अधिक रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं जो खगोलविदों के लिए बहुत रुचिकर होते हैं।

मुख्य खोजः

- वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे दूर की एफआरबी (जोकि 8 अरब वर्ष पुरानी है) का पता लगाया है जो ब्रह्मांड के आधे से अधिक जीवनकाल से यात्रा कर रही है।
- फास्ट रेडियो बर्स्ट रहस्यमय और बेहद ऊर्जावान घटनाएं हैं जो हमारी आकाशगंगा में पल्सर की तुलना में एक ट्रिलियन गुना अधिक ऊर्जावान हैं।
- एफआरबी आकाशगंगाओं के बीच पदार्थ के 'ब्रह्मांडीय वेब' का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण प्रदान करते हैं और उनकी धीमी गति की डिग्री उनके द्वारा तय की गई दूरी को निर्धारित करने में मदद करती है।
- सबसे दूर का FRB, जिसका नाम "FRB 20220610A" है, ऑस्ट्रेलियाई SKA पाथफाइंडर (ASKAP) रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके पाया गया और चिली में वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) का उपयोग करके इसकी पुष्टि की गई।

महत्त्वः

- **ब्रह्मांडीय दूरी रिकॉर्डः** यह खोज 8 अरब वर्ष पुराने एफआरबी का पता लगाने का प्रतिनिधित्व करती है जिसने ब्रह्मांड के आधे से अधिक जीवनकाल की यात्रा की है और अब तक पता लगाए गए सबसे दूर के एफआरबी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- **लुप्त पदार्थ का खुलासाः** पिछले एफआरबी के विश्लेषण ने इस रहस्योद्घाटन में योगदान दिया है कि ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ का आधे से अधिक हिस्सा ब्रह्मांडीय वेब में मौजूद है जिसका खगोलविद हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
- **सुदूर ब्रह्मांड की खोजः** दूर की आकाशगंगाओं से एफआरबी का पता लगाकर, खगोलविद प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं जिससे यह जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांडीय समय में आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई हैं।

आगे की राहः

यह खोज एफआरबी में आगे के शोध का मार्ग प्रशस्त करती है जिसमें एएसकेएपी जैसे रेडियो दूरबीनों की संवेदनशीलता को बढ़ाने और स्क्वायर किलोमीटर एरे (एसकेए) जैसे अधिक उन्नत उपकरणों के विकास की योजना है जो क्षेत्र में और भी बड़ी खोजों की अनुमति देगा।

7 केन्या में टेपवार्म संक्रमण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार केन्या के गैर-स्थानिक क्षेत्र में टेपवार्म संक्रमण के प्रसार का पता लगाया है। यह संक्रमण केन्या के उत्तर-पश्चिमी भाग और मासाईलैंड में चरवाहे समुदायों में स्थानिक है।

टेपवार्म (Tapeworm) के बारे में:

- इचिनोकोकस ग्रैनुलोसस (Echinococcus Granulosus) टैपवार्म एक प्रकार का हानिकारक परजीवी है जो दुनिया भर में दस लाख लोगों को प्रभावित करता है।
- यह परजीवी वर्षों तक लोगों में धीरे-धीरे विकसित होकर महत्त्वपूर्ण अंगों जैसे लीवर और फेफड़ों में मोटी दीवार वाली सिस्ट बना सकता है, इसे हाइडैटिड रोग के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक जूनोटिक बीमारी है क्योंकि यह जानवरों से मनुष्यों में फैलती है जिसमें एक जीवन चक्र होता है। इसमें मनुष्य, कुत्ते और जुगाली करने वाले पशुधन शामिल होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा इसे 'उपेक्षित-बीमारी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- उपेक्षित रोग या उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) 20 वायरल, परजीवी और जीवाणु रोगों का एक विविध समूह है जो मुख्य रूप से दुनिया के सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं।

केन्या और टेपवार्मः

- टेपवार्म रोग लंबे समय से केन्या में स्थानिक बीमारी रही है। इस पूर्वी अफ्रीकी देश के चरवाहा समुदाय (जो मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी भाग और मासाईलैंड में रहता है तथा पशुधन के साथ मिलकर काम करता है) ने बीमारी के खतरे को केंद्रित कर दिया है, लेकिन मांस उद्योग के विस्तार के कारण यह बीमारी केन्या के अन्य हिस्सों में भी फैल रही है।

बीमारियों का बोझः

- यह बीमारी पेट में दर्द, मतली तथा उल्टी का कारण बन सकती है और अगर इलाज न किया जाए तो यह घातक हो सकती है। मामलों के इलाज और दुनिया भर में पशुधन उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई करने में लगभग 3 बिलियन डॉलर का खर्च आता है।
- उच्च टेपवार्म रोग प्रसार वाले अन्य क्षेत्रः लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, उप-सहारा अफ्रीका और एशिया है।

आगे का राहः

स्थानिक टेपवार्म क्षेत्रों से संक्रमित पशुओं के परस्पर संपर्क और कुत्तों द्वारा निस्तारित पशु उप-उत्पादों की खोज के कारण टेपवार्म रोग तेजी से फैल रहा है, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य प्रकोप को रोकने के लिए मनुष्यों में बीमारियों के निदान के लिए रोग निगरानी प्रणाली तथा उपकरणों का प्रावधान आवश्यक है।

1 30 वर्षों में आपदाओं के कारण किसानों को 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसानः एफएओ

चर्चा में क्यों ?

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अनुमानतः 3.8 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की फसल तथा पशुधन उत्पादन का नुकसान हुआ है जिसमें एशिया का कुल आर्थिक नुकसान में सबसे बड़ा हिस्सा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः

- यह नुकसान प्रति वर्ष औसतन $123 बिलियन या वार्षिक वैश्विक कृषि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5 प्रतिशत है। फसलों और पशुधन पर केंद्रित कृषि उत्पादन पर आपदाओं के प्रभाव का यह पहला वैश्विक अनुमान है।
- पिछले तीन दशकों में अनाज में नुकसान औसतन 69 मिलियन टन प्रति वर्ष था जो 2021 में फ्रांस के संपूर्ण अनाज उत्पादन के बराबर है।
- अनाजों में नुकसान के बाद फलों, सब्जियों और चीनी फसलों का नुकसान हुआ जिनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष औसतन 40 मिलियन टन का नुकसान हुआ।
- फलों और सब्जियों के लिए घाटा 2021 में जापान तथा वियतनाम में फलों और सब्जियों के पूरे उत्पादन के बराबर है।
- मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों में प्रति वर्ष औसतन 16 मिलियन टन का नुकसान हुआ जो 2021 में मैक्सिको तथा भारत में मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों के कुल उत्पादन के बराबर है।
- यदि मत्स्य पालन, जलीय कृषि और वानिकी उपक्षेत्रों में नुकसान पर व्यवस्थित डेटा उपलब्ध होता, तो नुकसान के आंकड़े अधिक हो सकते हैं।

अन्य महादीपों में नुकसान के आंकड़ेः

- एशिया के साथ-साथ अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ने भी नुकसान का समान क्रम प्रदर्शित किया।
- एशिया में घाटा कृषि वर्धित मूल्य का केवल 4 प्रतिशत, जबकि अफ्रीका में यह लगभग 8 प्रतिशत था।
- पिछले तीन दशकों में आपदाओं ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों को सबसे अधिक सापेक्ष नुकसान पहुँचाया है जो उनके कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत तक है।
- आपदाओं ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को भी महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया जिससे उन्हें अपने कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7 प्रतिशत का नुकसान हुआ।

आपदाओं में निरंतर वृद्धिः

- 1970 के दशक में आपदा की घटनाएँ 100 प्रति वर्ष से बढ़कर पिछले 20 वर्षों में दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग 400 घटनाएँ हो गई हैं।
- किसान, विशेष रूप से वर्षा आधारित परिस्थितियों में खेती करने वाले छोटे किसान, कृषि खाद्य प्रणालियों में सबसे कमजोर हैं जो आपदा प्रभावों को सबसे अधिक महसूस करते हैं।
- आपदा जोखिम चालकों में जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता, जनसंख्या वृद्धि, महामारी स्वास्थ्य आपात, अस्थिर भूमि उपयोग तथा प्रबंधन, सशस्त्र संघर्ष और पर्यावरणीय गिरावट शामिल हैं।

आगे की राहः

आपदाओं से निपटने के लिए कृषि के सभी उप-क्षेत्रों (जिनमें फसल, पशुधन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और वानिकी पर आपदाओं के प्रभावों पर डेटा शामिल है) में सुधार करने के साथ-साथ सभी स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण दृष्टिकोण को विकसित करना होगा।

2 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर होने की संभावना- IN-SPACe

चर्चा में क्यों?

IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोयनका के अनुसार, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वैश्विक हिस्सेदारी में 8% के साथ 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के बारे में:

- इन-स्पेस सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त तथा एकल विंडो नोडल एजेंसी है। यह इसरो और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

गहन विकास की संभावनाः

- वर्तमान समय में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% हिस्सेदारी के साथ भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 6,700 करोड़ ($8.4 बिलियन) रूपये है। हालाँकि IN-SPACe का विजन प्रोजेक्ट है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में काफी विस्तार हो सकता है जो 2033 तक 35,200 करोड़ ($44 बिलियन) रूपये तक पहुंच सकती है जिसके बाद वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में लगभग 8% हो जायेगी।

बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरीः

- वर्तमान घरेलू बाजार हिस्सेदारी 6,400 करोड़ ($8.1 बिलियन) रूपये है जबकि निर्यात बाजार हिस्सेदारी 2,400 करोड़ ($0.3 बिलियन) रूपये है। इसका उद्देश्य घरेलू हिस्सेदारी को 26,400 करोड़ ($33 बिलियन) रूपये और निर्यात हिस्सेदारी को 88,000 करोड़ ($11 बिलियन) रूपये तक बढ़ाना है जो स्थानीय तथा वैश्विक योगदान को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रदर्शन करता है।

निवेश प्रतिबद्धताः

- अगले दशक में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17,600 करोड़ ($22 बिलियन) रूपये का निवेश निर्धारित किया गया है।

तीन प्रमुख फोकस क्षेत्रः

- दशकीय दृष्टिकोण अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को तीन प्राथमिक खंडों में वर्गीकृत करता है जिसमें अंतरिक्ष-पृथ्वी, पहुंच-से-अंतरिक्ष और अंतरिक्ष-के-अंतरिक्ष है जो अंतरिक्ष-संबंधित गतिविधियों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

दशकीय विजनः

- दशकीय दृष्टिकोण कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है जिसमें मांग का निर्माण, स्थानीय विनिर्माण क्षमताएं, बुनियादी ढांचे का विकास तथा एक स्पष्ट और व्यापक नियामक ढांचे की स्थापना शामिल है। यह ढांचा अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

सहयोगः

- IN-SPACe के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग के महत्त्व पर जोर दिया है। इसरो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु अपने दरवाजे खोलने पर काम कर रहा है।

प्रमुख रणनीतिक और सक्षम क्षमताएँः

IN-SPACe का लक्ष्य निम्नलिखित रणनीतिक क्षमताओं के माध्यम से अपनी दशकीय दृष्टि को प्राप्त करना हैः

- मांग सृजन
- पृथ्वी अवलोकन (ईओ) मंच
- संचार मंच
- नेविगेशन प्लेटफार्म
- अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र
- प्रतिभा पूल का निर्माण
- वित्त तक पहुंच
- अंतर्राष्ट्रीय तालमेल
- सहयोग
- नीति एवं विनियमन विकास

आगे की राहः

दृष्टि और रणनीति का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना, हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक मजबूत और 'आत्मनिर्भर भारत' में योगदान देना है।

3 नई परियोजनाओं में गिरावट के कारण उद्योग क्षेत्र की ऋण वृद्धि धीमी-RBI

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उद्योग क्षेत्र में ऋण विस्तार धीमा हो रहा है, जबकि कुल गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि एक साल पहले के 16 प्रतिशत मामूली रूप से घटकर अगस्त 2023 तक 15 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बिंदुः

- बड़े उद्योग क्षेत्रों पर बकाया ऋण की वृद्धि अगस्त 2023 तक गिरकर 5.4 प्रतिशत (25.30 लाख करोड़ रुपये) हो गई जो एक साल पहले 6.3 प्रतिशत थी।
- मध्यम क्षेत्र की वृद्धि में भारी गिरावट देखी गई और यह 9.8 प्रतिशत (2.55 लाख करोड़ रुपये) हो गई।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऋण वृद्धि 27.7 प्रतिशत से घटकर 10.7 प्रतिशत रह गई, जबकि क्रेडिट ग्रोथ में यह गिरावट पिछली दो तिमाहियों में नई परियोजनाओं में गिरावट के बीच आई है।
- केयर रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार इनपुट कीमतों में नरमी से लाभप्रदता में सुधार हुआ है। कॉरपोरेट्स की लाभप्रदता में सुधार से निजी पूंजीगत व्यय चक्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
- वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में नई परियोजनाओं की घोषणा के मामले में जहां निजी क्षेत्र ने सरकार को पीछे छोड़ दिया है, वहीं पूर्ण परियोजनाओं और कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के मामले में यह सरकारी क्षेत्र से पिछड़ गया है।

परियोजनाओं पर सीएमआईई का डेटाः

- भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र (CMIE) का डेटा वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में शुद्ध नई परियोजनाओं में भारी मंदी दर्शाता है।
- नई परियोजनाओं का मूल्य वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में घटकर 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 6.6 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 13.4 लाख करोड़ रुपये था।
- वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 4.2 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 4 लाख करोड़ रुपये हो गया।

आधार पर क्रेडिट कार्ड का बकायाः

- आधार पर क्रेडिट कार्ड का बकाया 30 फीसदी बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये हो गया जो पिछले साल 26.8 फीसदी था। गोल्ड लोन

का बकाया 9.2 फीसदी के मुकाबले 22.1 फीसदी बढ़कर 96,265 करोड़ रुपये हो गया।

आगे की राह:

प्रमुख उद्योगों में बुनियादी धातु और वस्त्रों के लिए ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में अगस्त 2023 में तेज हुई, जबकि रसायनों और रासायनिक उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण तथा बुनियादी ढांचे में गिरावट आई।

4 भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी-एसएंडपी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़कर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बातें:

- रिपोर्ट के अनुसर भारत वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरी और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- इस तीव्र गति के परिणामस्वरूप 2030 तक भारतीय जीडीपी का आकार जापानी जीडीपी से अधिक हो जाएगा जिससे भारत दूसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दशक तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा जो इसे ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विनिर्माण उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास बाजारों में से एक बना देगा।
- 2021 और 2022 में दो साल की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023 कैलेंडर वर्ष के दौरान निरंतर वृद्धि देखा गया है।
- 2023 के अप्रैल-जून में देश की जीडीपी वृद्धि दर साल-दर-साल बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई, जबकि 2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि थी।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में तेजी:

- रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें युवा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और तेजी से बढ़ती शहरी घरेलू आय से मदद मिली है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को कई प्रमुख विकास चालकों का समर्थन प्राप्त है जिसमें इसका बड़ा और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग एक महत्त्वपूर्ण कारक है जो उपभोक्ता के खर्च को बढ़ाने में मदद कर रहा है।

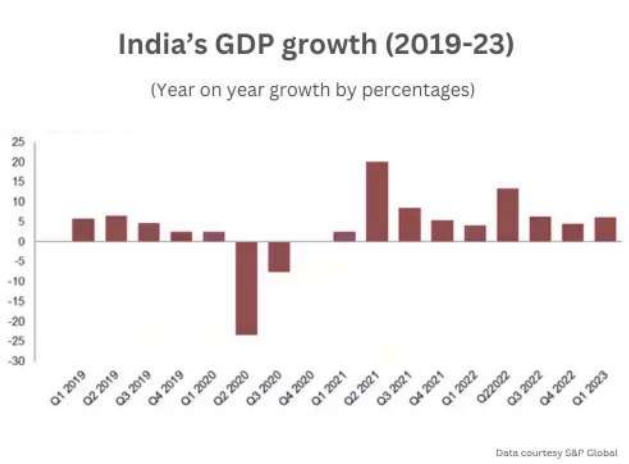

एक महत्त्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में:

- भारतीय घरेलू उपभोक्ता बाजार के साथ-साथ इसके बड़े औद्योगिक क्षेत्र ने देश को विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण निवेश गंतव्य बना दिया है।

डिजिटल परिवर्तन से ई-कॉमर्स में तेजी:

- डिजिटल परिवर्तन से ई-कॉमर्स के विकास में तेजी आने की उम्मीद है जिससे अगले दशक में खुदरा उपभोक्ता बाजार परिदृश्य बदल जाएगा। यह प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स में अग्रणी वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू बाजार में आकर्षित कर रहा है।

आगे की राह:

2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि 2022 के अंत में भारतीय जीडीपी का आकार यूके और फ्रांस की जीडीपी से भी अधिक हो गयी है। भारत की आर्थिक संवृद्धि भारत सहित दुनिया के लिए एक सुखद अनुभूति होगी।

5 आयात निर्भरता में कटौती के लिए भारत ने संदर्भ ईंधन लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित गैसोलीन और डीजल संदर्भ ईंधन लॉन्च किया। इसका शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने किया।

गैसोलीन और डीजल संदर्भ ईंधन क्या है?

- संदर्भ ईंधन कड़े विनिर्देशों के साथ विशेष उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन हैं जिनका उपयोग ऑटो निर्माताओं द्वारा आंतरिक दहन इंजन और वाहनों के परीक्षण तथा मापांकन के लिए किया जाता है।
- संदर्भ ईंधन इंजन और वाहन निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर

विविध जलवायु परिस्थितियों में इष्टतम इंजन प्रदर्शन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ये ईंधन वाहनों की उत्सर्जन विशेषताओं का आंकलन करने में भी सहायता करते हैं।

- यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई चार-कोणीय ऊर्जा सुरक्षा कार्यनीति का आधार है जो 2047 तक भारत को ऊर्जा-आत्मनिर्भर राष्ट्र में रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विजन द्वारा निर्देशित रणनीति है।

ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण:

- भारत की उत्खनन और उत्पादन उपस्थिति वृद्धि।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और गैस आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण को पूरा करना।
- हरित हाइड्रोजन एवं ईवी पर आधारित ईंधन।

संदर्भ ईंधन के फायदे:

- स्वदेशी रूप से विकसित ये उत्पाद वाहन निर्माताओं के लिए बेहतर कीमत और न्यूनतम समय सीमा पर आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देंगे।
- इंडियन ऑयल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) विनिर्देशों को पूरा करता है।
- उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन मिश्रण के त्वरित कार्यान्वयन में 2025 से 2030 तक 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग प्राप्त करने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
- अधिक टिकाऊ भविष्य की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में भारत द्वारा महत्त्वपूर्ण नीतियों के पहल को लगातार आगे बढ़ाना। जैसे हाल ही में दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों की शुरुआत करना।
- कच्चे तेल की कीमतों में संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रतिष्ठित देश के रूप में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना।

आगे की राह:

स्वदेशी संदर्भ ईंधन तेल शोधन और विशेष रसायनों में भारत की अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाता है। यदि उचित तरीके से पोषण किया जाए, तो भारत उच्च-प्रौद्योगिकी ईंधन के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

6 सरकार ने खेती पर डेटा तैयार करने हेतु डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि फसल क्षेत्र तथा उत्पादन के आंकलन की वर्तमान प्रणाली 'पूरी तरह से मैनुअल' है जिसके परिणामस्वरूप 'देरी और मैन्युअल त्रुटियां' होती हैं, इसलिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली को अपनाकर प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की आवश्यकता है।

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के बारे में:

- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-संचालनीय सार्वजनिक वस्तु के रूप में बनाया गया है। यह फसल योजना तथा स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि आदानों, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार की जानकारी और स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान-केंद्रित समाधान पेश करेगा। उदाहरण- एग्रीस्टैक और कृषि डीएसएस कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करेंगे।
- डिजिटल फसल सर्वेक्षण विभिन्न कृषि मौसमों के दौरान देश के सभी खेतों में बोई जाने वाली फसल की स्पष्ट तस्वीर स्थापित करेगा। परियोजना का लक्ष्य किसान और उसकी बोई गई फसल के डेटा के बारे में सच्चाई का एक सत्यापित स्रोत तैयार करना है।
- कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे केवल कुछ राज्यों ने फसल क्षेत्र के लिए जीपीएस-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में डिजिटल डेटा संग्रह प्रणाली स्थापित की है, इसलिए तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मौजूदा उत्पादन अनुमान प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।
- **ड्रोन सर्वेक्षण के लिए जियो-रेफरेंसिंग टूल का उपयोग-** कृषि भूमि की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत के साथ आगे बढ़ने के लिए असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सर्वेक्षण में उपग्रह की भूमिका:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रिसोर्ससैट-2A, रडार इमेजिंग सैटेलाइट (RIS)-1A को ध्रुवीय कक्षाओं में और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (INSAT) 3D को भूस्थैतिक कक्षाओं में लॉन्च किया है।
- इनका उद्देश्य देश भर में खेती के तहत कुल क्षेत्रफल, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान, बीमारी के हमलों, कृषि-मौसम सेवाओं का आंकलन करने के लिए डेटा प्रदान करना है।

आगे की राह:

एक मजबूत, प्रभावी, समय पर, पारदर्शी डिजिटल रूप से संचालित फसल सर्वेक्षण प्रणाली जो दृश्य तथा उन्नत विश्लेषण, जीआईएस-जीपीएस प्रौद्योगिकियों और एआई/एमएल जैसी नवीनतम तकनीकी प्रगति का उपयोग करती है। इस प्रकार उपरोक्त सूचीबद्ध मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

7 मनरेगा के तहत सक्रिय कार्यबल में 7.5% की गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लिबटेक इंडिया द्वारा किये गये डेटा विश्लेषण के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत सक्रिय श्रमिकों की संख्या में अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच 7.5% की कमी देखी गई है।

आंकड़ों से सम्बंधित मुख्य बिंदुः

- रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत सक्रिय श्रमिकों की संख्या में 7.5% की कमी आई है तथा इसी अवधि में कार्यबल 15.49 करोड़ से घटकर 14.33 करोड़ हो गया।
- लिबटेक के एमजीएनआरईजीएस ट्रैकर ने एक ही समय सीमा के अन्दर पिछले वित्तीय वर्षों के डेटा की समीक्षा की है।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नरेगा में 80 लाख कर्मचारियों की कमी देखी गई है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मनरेगा के तहत व्यक्तिगत दिनों में 9% की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट में रोजगार के रुझानों में राज्य-स्तरीय भिन्नताओं का भी उल्लेख किया गया है। कुल 14 राज्यों में इसकी वृद्धि दर्ज की गई।

रोजगार में अन्य राज्यों की स्थितिः

- पश्चिम बंगाल (99.5%) में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जहां कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार ने योजना को निलंबित कर दिया है।
- जिन अन्य राज्यों में गिरावट दर्ज की गई है उनमें हिमाचल प्रदेश (28.6%) और मध्य प्रदेश (25.2%) शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ (106.4%), झारखंड (75.6%) तथा तमिलनाडु (67.4%) में सबसे अधिक वृद्धि देखा गया।

गिरावट का मुख्य कारणः

- कृषि कार्य में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण लोग मनरेगा कार्य के बजाय कृषि रोजगार को प्राथमिकता देने लगे हैं।
- नौकरी की संभावनाओं ने लोगों को मनरेगा के बाहर काम की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है जिससे कार्यक्रम के कार्यबल में कमी आई है।
- कुछ व्यक्तियों ने कौशल विकास या शैक्षिक संभावनाओं की तलाश के कारण उन्हें अस्थायी या स्थायी रूप से मनरेगा से बाहर निकलना पड़ा।
- रोजगार में राज्य-स्तरीय भिन्नताएँ थीं। इन भिन्नताओं को प्रत्येक राज्य के लिए अद्वितीय कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसे-स्थानीय आर्थिक स्थिति, सरकारी नीति या प्रशासनिक दक्षता आदि।

आगे की राहः

डेटा श्रम मांग में वृद्धि के बावजूद, मनरेगा कार्यक्रम में कम भागीदारी एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करती है। कार्यक्रम के प्रदर्शन को सुदृढ़ करने और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त शोध की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

1 दिव्यांगों को आपदा से निपटने में मदद हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं- UNDRR

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले दशक में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विकलांग लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी नीतियों में प्रगति की कमी देखी गयी है।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के लगभग 16 प्रतिशत लोगों में किसी न किसी प्रकार की विकलांगता है जो अन्य लोगों की तुलना में दो से चार गुना अधिक बार आपदाओं में मारे जाते हैं।
- यूएनडीआरआर ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार संगठन तथा रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल का हवाला देते हुए कहा कि 2011 के पूर्वी जापान भूकंप में विकलांग व्यक्तियों के मरने की संभावना दोगुनी थी।
- केवल 11 प्रतिशत ने बताया कि वे अपने स्थानीय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन योजना के बारे में जानते हैं जो 2013 में 17 प्रतिशत से कम है।
- विकलांग व्यक्तियों को आपदाओं से बचाने के लिए अपर्याप्त प्रक्रिया वाले देश विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं जो आपदाओं से विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दायित्वों को निर्दिष्ट करता है।
- यूएनडीआरआर ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क में विकलांगता समावेशन तथा सुलभ आपदा जोखिम जानकारी का प्रावधान और समावेशी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का भी आह्वान किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों की आपदा के समय तैयारी:

- विकलांग व्यक्तियों में 84 प्रतिशत ने बताया कि उनके पास आपदाओं के लिए कोई व्यक्तिगत तैयारी योजना नहीं है।
- 56 प्रतिशत ने बताया कि समुदायों एवं सुलभ प्रारूपों में आपदा जोखिम के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है या उन तक पहुंच नहीं है।
- विकलांग व्यक्तियों के बीच आपदा-जोखिम शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर केवल 11 प्रतिशत और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 14 प्रतिशत आपदा-जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं के बारे में जागरूक हैं।
- 86 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों ने बताया कि समुदाय-स्तरीय डीआरआर निर्णय लेने और योजना में उनकी कोई भागीदारी नहीं है।

यूएनडीआरआर के बारे में:

- यूएनडीआरआर देशों के साथ काम करता है ताकि उन्हें आपदाओं का कारण बनने से पहले जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और उन पर कार्यवाही करने में मदद मिल सके।
- यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सरकारों और भागीदारों का समर्थन करके ऐसा करता है।

आगे की राह:

जब आपदा स्थितियों में विकलांग व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, तो हम अंततः किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को धोखा देते हैं। सभी को जीवन का अधिकार है। सरकारों को अपने प्रयासों को दोगुना करने और आपदा प्रबंधन निर्णय लेने में विकलांग व्यक्तियों के लिए नेतृत्व की भूमिका एवं सिफारिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2 कोंगाली बिहू

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के लोगों को कोंगाली बिहू के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दीं। यह त्यौहार असम में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।

कोंगाली बिहू के बारे में:

- कोंगाली बिहू भारत के असम राज्य में मनाए जाने वाले तीन बिहू त्यौहारों में से एक है।
- बिहू त्यौहार असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं जो कृषि या खेती के सीजन से जुड़े हुए हैं।
- कोंगाली बिहू (जिसे कटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है) दूसरा बिहू त्यौहार है और अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जो बुआई के मौसम की समाप्ति तथा कटाई की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है।

महत्त्व और उत्सव:

- **कृषि महत्त्व:** कोंगाली बिहू मुख्य रूप से एक कृषि त्यौहार है जो फसलों की बुआई के पूरा होने और उनकी वृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है।
- **प्रार्थना और प्रसाद:** लोग भरपूर फसल का आशीर्वाद लेने के लिए तुलसी के पौधे, अन्न भंडार और धान के खेतों के सामने मिट्टी के दीपक जलाते हैं।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम:** लोग पारंपरिक असमिया पोशाक पहनते हैं और समुदाय विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं।

अनुष्ठान और परंपराएँ:

- **मिट्टी के दीपक जलाना:** कोंगाली बिहू के दौरान मिट्टी के दीपक जलाना एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह धन की देवी की पूजा और समृद्ध फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है।
- **देवताओं को प्रसाद:** लोग विभिन्न देवताओं की प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। अपने परिवार की खुशहाली और अपने कृषि

प्रयासों की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं।

- **सामुदायिक जुड़ावः** कोंगाली बिहू सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देता है जिसमें लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दावतों और विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं जिससे समुदाय के भीतर एकता तथा सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राहः

बिहू त्यौहार सामूहिक रूप से असम की सांस्कृतिक समृद्धि और कृषि महत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है। इन त्यौहारों में न केवल कृषि चक्र का जश्न मनाया जाता है, बल्कि असम के लोगों के बीच समुदाय, एकता और सांस्कृतिक पहचान की भावना को भी बढ़ावा मिलता है।

3 धार्मिक ग्रंथ और बौद्धिक संपदा अधिकार

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के कॉपीराइट का बड़े पैमाने पर उल्लंघन देखा है। इसने धार्मिक ग्रंथों से संबंधित कॉपीराइट मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है।

मुद्दे के बारे में अधिक जानकारीः

- भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ने दावा किया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम हैंडल और मोबाइल एप्लिकेशन उसके कॉपीराइट किए गए कार्यों को अपने संबंधित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहे थे। ज्यादातर मामलों में पुनरुत्पादन उन कार्यों की एक सटीक प्रतिलिपि है जिसका कॉपीराइट विशेष रूप से ट्रस्ट का है।
- 1977 में स्वामी प्रभुपाद की मृत्यु के बाद ट्रस्ट को उनके कार्यों का कॉपीराइट प्राप्त हुआ। धार्मिक पुस्तकों और धर्मग्रंथों को सरल बनाते हुए ये रचनाएँ कई भाषाओं में प्रकाशित हुई।

भारतीय संदर्भ में कॉपीराइट कानूनः

- 1957 का भारतीय कॉपीराइट अधिनियम उन 'मूल कार्य' की सुरक्षा करता है जो रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ स्वतंत्र रूप से बनाई जाती हैं और एक मूर्त माध्यम में तय की जाती हैं। यह परिवर्तनकारी कार्यों की भी सुरक्षा करता है जो कुछ अलग बनाने के लिए मौजूदा सामग्री को रचनात्मक रूप से संशोधित, पुनर्व्याख्या या निर्माण करते हैं।
- धार्मिक ग्रंथ सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, किंतु लेखक द्वारा की गई व्याख्याएँ और कोई भी अन्य रचनात्मक उपमाएँ कॉपीराइट कानूनों के तहत संरक्षित होती हैं।
- उदाहरण के लिए रामायण और भागवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ कॉपीराइट कानूनों के पूर्वावलोकन के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसकी रचनात्मक व्याख्याएं, दृश्य, श्रव्य या दृश्य रूप इस कानून के अंतर्गत सुरक्षित हैं।

कोर्ट की टिप्पणीः

- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि धार्मिक ग्रंथों को उनके मूल रूप में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। कॉपीराइट संरक्षण साहित्यिक कार्यों के मूल भागों पर लागू होता है जो धर्मग्रंथ का उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं या समझाते हैं।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि स्पष्टीकरण, अर्थ, व्याख्या और ऑडियो-विजुअल कार्यों सहित पवित्र ग्रंथों के रूपांतरण कॉपीराइट सुरक्षा के हकदार हैं क्योंकि वह स्वयं लेखकों द्वारा मूल कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
- अदालत ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संस्थाओं द्वारा श्लोकों (छंदों), अनुवादों और व्याख्याओं सहित अनधिकृत पुनरुत्पादन से ट्रस्ट को भारी राजस्व हानि होगी।

आगे की राहः

धार्मिक ग्रंथों के कॉपीराइट संरक्षण के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे। यह एक उदाहरण के रूप में काम करेगा जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले संगठनों के आईपीआर की रक्षा करेगा और उनके संबंधित कार्यों के किसी भी प्रकार के अनधिकृत पुनरुत्पादन को हतोत्साहित करेगा।

4 प्रोजेक्ट उद्भव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, वाइस एडमिरल जे. एस. सिंह की उपस्थिति में 'प्रोजेक्ट यूडीबीएचएवी' लॉन्च किया।

प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में:

- 'उद्भव', जिसका अनुवाद 'उत्पत्ति' है, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्मग्रंथों और लेखों को स्वीकार करता है जो सदियों पुराने हैं जिनमें गहन ज्ञान शामिल है तथा आधुनिक सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकता है।
- इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान को संश्लेषित करना है।
- यह भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है जो सदियों पुराने ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षाशास्त्र के साथ एकीकृत करना चाहती है।
- प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली 5000 साल पुरानी सभ्यतागत विरासत में निहित है जिसने ज्ञान को बहुत महत्त्व दिया है। यह बौद्धिक ग्रंथों के आश्चर्यजनक विशाल संग्रह, पांडुलिपियों, विचारकों और ज्ञान के कई क्षेत्रों में स्कूलों के दुनिया के सबसे बड़े संग्रह है।
- प्रोजेक्ट यूडीबीएचएवी हमारी ज्ञान प्रणालियों और दर्शन की गहन समझ की सुविधा प्रदान करेगा जो आधुनिक समय में स्थायी जुड़ाव, प्रासंगिकता तथा प्रयोज्यता को समझने का भी लक्ष्य रखेगा।

प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्यः

- इसका उद्देश्य अंतःविषय अनुसंधान, कार्यशालाओं और नेतृत्व सेमिनारों के माध्यम से प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षाशास्त्र के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है।
- यह रणनीतिक सोच, शासन कला और युद्ध से संबंधित पहले से

कम खोजे गए विचारों तथा सिद्धांतों के उद्भव की सुविधा प्रदान करेगा। यह गहरी समझ को बढ़ावा देने के अलावा सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को समृद्ध करने में योगदान देगा।

प्रोजेक्ट उद्भव से सेना को लाभ:

- प्रोजेक्ट उद्भव एक मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना हेतु मंच तैयार करेगा जो न केवल देश की ऐतिहासिक सैन्य दूरदर्शिता के साथ प्रतिध्वनित होती है बल्कि मांगों तथा गतिशीलता से भी मेल खाती है।

आगे की राह:

प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना एक नए युग की शुरुआत करेगा जो एक ऐसे भविष्य के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शायेगा जहां हमारी सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच हमारे समृद्ध तथा रणनीतिक अतीत से आगे बढ़ेगी।

5 वायनाड के चमगादड़ों में निपाह वायरस एंटीबॉडी का पता चला-ICMR रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वायनाड के मननथावाडी और सुल्तान बाथरी क्षेत्रों से एकत्र किए गए फल में चमगादड़ों के नमूनों में घातक वायरस के उपस्थिति की पुष्टि की है।

निपाह वायरस (NiV) क्या है?

- यह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- हेंड्रा वायरस (HeV) संक्रमण एक जूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर एवं घातक बीमारी का कारण बनता है।
- पहली बार घरेलू सूअरों के अलावा कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया है।
- निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस का कारण बनने वाला जीव पैरामाइक्सोविरिडे तथा जीनस हेनिपावायरस परिवार का एक राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस है जो हेंड्रा वायरस से संबंधित है।
- यह सर्वप्रथम 1998 एवं 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था।

सर्वेक्षण से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- आईसीएमआर ने एक चमगादड़ निगरानी सर्वेक्षण में 14 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में टेरोपस चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस (NiV) एंटीबॉडी खोजे गये हैं।
- यह खोज वायरस की व्यापक उपस्थिति का संकेत देती है जो देश भर में संभावित प्रकोप के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
- निपाह के खिलाफ स्वदेशी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने पर काम चल रहा है। यह विकास अधिक प्रभावी उपचार के लिए महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि भारत में स्ट्रेन आयातित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भिन्न है।
- निपाह प्रकोपों का अनुभव करने के बावजूद, वायरल स्पिलओवर घटनाओं, संचरण मार्गों और केरल के कुछ क्षेत्रों में केंद्रित प्रकोपों में योगदान देने वाले कारकों की वैज्ञानिक समझ सीमित है। जलवायु परिवर्तन और कृषि/वनस्पति पैटर्न में बदलाव को इन घटनाओं को प्रभावित करने वाले संभावित चर के रूप में जाना जाता है।

केरल वन हेल्थ सेंटर की स्थापना:

- केरल वन हेल्थ प्लेटफॉर्म निपाह वायरस से संबंधित रोकथाम, उपचार और अनुसंधान प्रयासों को बढ़ाने के लिए कोझिकोड में निपाह अनुसंधान के लिए 'केरल वन हेल्थ सेंटर' की स्थापना कर रहा है।
- वन हेल्थ सेंटर कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करेगा जो 2021 एनआईवी प्रकोप के बाद से ही निपाह परीक्षण और निगरानी गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

आगे की राह:

राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गर्व की बात है कि प्रकोप के दौरान ही मामले का पता लगाने में कामयाब रही तथा अपनाए गए सभी रोकथाम उपाय सफल रहे। इसका श्रेय स्वास्थ्य प्रणाली को भी जाता है कि वह मृत्यु दर को सामान्य 70-90% के बजाय 33.3% तक लाने में कामयाब रही।

6 मेहरौली पुरातत्व पार्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली में स्थित मेहरौली पार्क की संरचनाओं को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में दक्षिणी दिल्ली के पार्क में पुनर्निर्मित ऐतिहासिक संरचनाओं और स्मारकों का अनावरण किया। मेहरौली पुरातत्व पार्क में 55 स्मारकों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए 2.6 करोड़ की परियोजना मार्च में शुरू की गई थी।

मेहरौली पुरातत्व पार्क के बारे में:

- 1997 में एक पुरातत्व पार्क के रूप में इस क्षेत्र का नवीनीकरण और महत्त्वपूर्ण संरचनाओं की बहाली शुरू हुई।
- यह 200 एकड़ में फैला हुआ है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार के निकट स्थित है।
- यह ऐतिहासिक महत्त्व के 100 से अधिक स्थलों से मिलकर बना है।
- इसमें खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल और ब्रिटिश शासन समय के भी स्थल शामिल हैं।
- इसमें जमाली कमाली मस्जिद, मेटकाफ हाउस, राजोन की बावली, मामलुक सुल्तान गियास-उद-दीन बलबन और मुगल गवर्नर शाह कुली खान का मकबरा शामिल है।
- मेहरौली पुरातत्व पार्क कुतुब मीनार विश्व धरोहर स्थल के पास

स्थित है।

बहु-एजेंसी द्वारा निर्माण:

- यह काम मार्च में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के नेतृत्व में कई एजेंसियों द्वारा लगभग 2.6 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था।
- संरचनाओं को बहाल करने के अलावा पार्क में जल निकायों से गाद निकाली गई है और स्मारकों को जोड़ने के लिए रास्ते बनाए गए हैं।
- दिल्ली मास्टर प्लान-2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के सिद्धांत (जो ऐतिहासिक इमारतों के अनुकूली पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हैं) पुनर्विकास कार्य के दौरान लागू किए गए थे।

आगे की राह:

इस पार्क का एक समृद्ध इतिहास है। बहुत से लोग दिल्ली का इतिहास केवल 14-15वीं शताब्दी से जानते हैं, लेकिन शहर के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। इतिहास को बार-बार गढ़ा गया है और अन्य विरासत स्थलों के पुनर्विकास पर भी विचार किया जा रहा है जिससे भारतीय पुरातत्व धरोहर तथा संस्कृति का संरक्षण और विकास संभव है।

7 मार्शल आर्ट वज्र मुष्टी कलागा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाडियार परिवार की ओर से वज्र मुष्टि कलागा (जो कि एक मार्शल आर्ट रूप है) का आयोजन नवरात्रि में किया गया।

वज्र मुष्टि कलागा (Vajra Mushti Kalaga) क्या है?

- वज्र मुष्टि कलागा मार्शल आर्ट का एक रूप है।
- प्रतिद्वंद्वी को उनके हथियार का मुकाबला करते हुए निष्क्रिय करना।
- हाथापाई, कुश्ती और प्रहार जैसी हाथ से हाथ की लड़ाई का प्रयोग किया जाता है।
- हथियार में नक्कल डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो एक छोटा धातु हथियार है।
- नकल डस्टर सामग्री जानवरों के सींगों से बनी होती है।

विशेषताएँ:

- 'वज्र मुष्टि कलागा' पारंपरिक कुश्ती से अलग कुश्ती का एक रूप है जिसमें दो जेटी एक-दूसरे के सिर पर नक्कलडस्टर से वार करते हैं।
- जो सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी के सिर से खून निकालता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है।
- यह 14वीं-17वीं शताब्दी विजयनगर शासकों के दौरान लोकप्रिय था।
- मध्यकालीन पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य में नवरात्रि उत्सव के दौरान कुश्ती के इस रूप को देखा जिसके बारे में विस्तृत विवरण भी दिया गया है।

आगे की राह:

ऐतिहासिक रूप से मार्शल आर्ट का यह रूप लोकप्रिय था जिसका आयोजन काफी समय से होता रहा है, लेकिन पिछले कई दशकों से इसमें गिरावट आयी है। हाल ही में हुए आयोजन से इसको पुन: बढ़ावा मिलेगा जिससे सांस्कृतिक महत्त्व भी बढ़ेगा।

ब्रेन बूस्टर

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

कार्यक्रम के बारे में

प्रधानमंत्री द्वारा 7 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी- एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम) लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके, परिणाम प्राप्त करने और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है।

एबीपी के स्तंभ

- अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाएं)।
- सहयोग (नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और जिला और ब्लॉक प्रशासन)।
- जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा।

एबीपी हेतु रणनीति

ब्लॉक विकास रणनीति का विकास:
- ब्लॉक एबीपी के सभी क्षेत्रों में प्रमुख लक्ष्यों की पहचान करेंगे जो सेवाओं की पूर्णता प्राप्त करने और प्रमुख सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर राज्य के औसत से आगे निकलने में मदद कर सकते हैं।

राज्यों के लिए लचीलापन:
- राज्यों को अपनी जरूरत के आधार पर कुछ संकेतक चुनने के लिए अपेक्षित परिवर्तन का अधिकार होगा।

एपीआई आधारित डेटा सोर्सिंग:
- यह कार्यक्रम मंत्रालयों और विभागों की प्रबंधन सूचना प्रणाली के संकेतकों से सीधे डेटा प्राप्त करेगा।

पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण:
- एबीपी योजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की निरंतर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा।

निरंतर सीखने के लिए ज्ञान पोर्टल:
- कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और प्रसार के लिए एक पोर्टल होगा।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत निरंतर सीखने हेतु ज्ञान प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

ब्लॉकों की रैंकिंग:
- कार्यक्रम प्रत्येक तिमाही में सभी ब्लॉकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करेगा।
- ब्लॉकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी तिमाही आधार पर दिया जाएगा।

पुरस्कार और प्रोत्साहन:
- कार्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकरणीय योगदान करने वालों को एबीपी पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

साझेदारी और नेटवर्क

एबीपी को जन आंदोलन बनाने के लिए ब्लॉक निम्नलिखित कार्य करेंगे:
- निर्वाचित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेना।
- एबीपी में कॉलेज, विश्वविद्यालयों और स्कूलों की भागीदारी।
- व्यवहार परिवर्तन के प्रेरक और साधन के रूप में एसएचजी।
- सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी के लिए गहन आईईसी।

क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण एबीपी का एक केंद्रीय घटक है जिसमें क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एबीपी क्षमता निर्माण रणनीति इस पर केंद्रित है:
- कार्यक्रम अभिविन्यास और नेतृत्व प्रशिक्षण
- डोमेन विशेषज्ञता का निर्माण
- एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडी के साथ साझेदारी
- क्षमता निर्माण के लिए आईजीओटी का उपयोग

ब्लॉकों का चयन

- 500 ब्लॉक जो एबीपी का हिस्सा हैं, उन्हें राज्यों के परामर्श से एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा चुना गया था।
- मिशन अंत्योदय और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011-12 का उपयोग करके स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और गरीबी के प्रॉक्सी से संबंधित डेटा सेट के आधार पर पिछड़ेपन का एक सूचकांक विकसित किया गया था।

ब्रेन बूस्टर

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

योजना के बारे में

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। मिशन को जनांदोलन के रूप में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण और उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को खत्म करना था।

उपलब्धि

मिशन के तहत, भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके खुद को 'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) घोषित कर दिया।

विजन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त व्यवहार को कायम रखना सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य

- खुले में शौच मुक्त व्यवहार कायम रहे और कोई भी पीछे ना छुटे।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुलभ रहें और ओडीएफ व्यवहार को मजबूत करे और गांवों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन के लिए सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और सतत स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और उचित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
- जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली विकसित करना।
- विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों में स्वच्छता में सुधार करके लैंगिक आधार पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

ओडीएफ समुदायों को बनाए रखना

ओडीएफ की उपलब्धि में काफी हद तक व्यवहार परिवर्तन पर काम करना शामिल है, जिसे बनाए रखने के लिए समुदाय द्वारा ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है। कई जिलों और राज्यों ने ओडीएफ को बनाए रखने के लिए मानदंड विकसित किए हैं।

रणनीति

रणनीति का फोकस राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करके 'स्वच्छ भारत' की ओर बढ़ना है। स्वच्छता राज्य का विषय है, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी कार्यान्वयन नीति, धन और तंत्र के उपयोग पर निर्णय लिया जा रहा है।

रणनीति के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

- जमीनी स्तर पर गहन व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ शुरू करने के लिए जिलों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।
- कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू करने और सामूहिक परिणामों को मापने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करना।
- समुदायों में व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को लागू करने के लिए राज्य-स्तरीय संस्थानों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान

- व्यवहार परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य विभेदक रहा है और इसलिए व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC: Behaviour Change Communication) पर जोर दिया गया है।
- जागरूकता सृजन पर जोर दिया जाता है, जिससे सामुदायिक व्यवहार में बदलाव लाने वाली मानसिकता पैदा होती है और घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सामुदायिक केन्द्रों में और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग उत्पन्न होती है।

ब्रेन बूस्टर

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

मिशन के बारे में

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) आधिकारिक तौर पर विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15/07/2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। मिशन को कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण हेतु विकसित किया गया है। 'स्किल इंडिया' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, एनएसडीएम न केवल कौशल प्रयासों को समेकित और समन्वित करेगा, बल्कि स्पीड और स्टैंडर्ड्स के साथ बड़े पैमाने पर स्किल प्राप्त करने के लिए विभिन्न सेक्टर्स में निर्णय लेने में भी तेजी लाएगा।

मिशन के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करने के लिए सात उप-मिशन प्रस्तावित किए गए हैं।

- संस्थागत प्रशिक्षण
- इन्फ्रास्ट्रक्चर
- अभिसरण
- प्रशिक्षक
- विदेशी रोजगार
- सतत आजीविका
- सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना

मिशन स्टेटमेंट

परिणाम-केंद्रित कार्यान्वयन ढांचे का निर्माण करके भारत में कौशल विकास प्रयासों को तेजी से बढ़ाना, जो स्थायी आजीविका के लिए भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुशल कार्यबल के लिए नियोक्ताओं की मांगों को संरेखित करता है।

संबंधित मंत्रालय

इसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया गया है।

संस्थागत तंत्र

मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्रों को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है।

- शीर्ष स्तर पर नीति मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग काउंसिल
- संचालन समिति
- मिशन निदेशालय

मिशन निदेशालय को तीन अन्य संस्थानों द्वारा समर्थित किया गया है:

- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए)
  - एनएसडीए राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग के माध्यम से नीति अनुसंधान, गुणवत्ता आश्वासन और सभी कौशल एजेंसियों में गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - यह निजी प्रशिक्षकों आदि के लिए प्रशिक्षण और मान्यता के लिए प्रोटोकॉल विकसित करता है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)
  - एनएसडीसी सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण पहलुओं को देखता है, उद्योगों के साथ जुड़ाव का नेतृत्व करता है, सेक्टर कौशल परिषदों का संचालन करता है।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)
  - डीजीटी एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एटीआई), क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) और ऐसे अन्य संस्थानों की कौशल प्रशिक्षण संरचनाओं का रखरखाव करता है।
  - यह प्रशिक्षण नीतियों पर सलाह देता है, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, महिला-केंद्रित प्रशिक्षण संस्थान चलाता है आदि।

ब्रेन बूस्टर

अपार (APAAR)

योजना के बारे में

APAAR (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री) की कल्पना भारत में बचपन से शुरू होने वाले सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली के रूप में की गई है। यह केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' पहल का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजी है।

APAAR का उद्देश्य

- पहल के तहत, प्रत्येक छात्र को आजीवन APAAR आईडी मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
- APAAR डिजिलॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा, एक डिजिटल प्रणाली जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहीत कर सकते हैं, जिससे भविष्य में उन तक पहुंच और उपयोग करना आसान हो जाएगा।

APAAR की आवश्यकता

- APAAR शुरू करने के पीछे का लक्ष्य शिक्षा को परेशानी मुक्त बनाना और छात्रों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना है।
- इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकारें साक्षरता दर, स्कूल छोड़ने की दर पर नजर रख सकें और उन्हें सुधार करने में मदद मिल सके।
- APAAR का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल, विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लिकेट शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को कम करना भी है।
- इस योजना के तहत, प्रमाण पत्र जारी करने वाले केवल प्रथम पक्ष स्रोतों को प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हुए सिस्टम में क्रेडिट जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

समाधान

- सरकार ने बताया कि छात्रों द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और शैक्षिक गतिविधियों में लगी संस्थाओं को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाएगी।
- किसी भी समय, छात्रों के पास उल्लिखित पक्षों के साथ अपनी जानकारी साझा करना बंद करने का विकल्प होगा, और उनकी डेटा प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी।
- हालाँकि, सहमति वापस लेने पर पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डेटा अप्रभावित रहेगा।

APAAR के लिए सरकार का विजन

- प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय APAAR आईडी होगी, जो अकादमिक बैंक क्रेडिट (ABC: Academic Bank Credit) से जुड़ी होगी।
- ABC एक डिजिटल स्टोरहाउस है जिसमें छात्रों द्वारा उनकी सीखने की यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल है।
- APAAR आईडी के साथ, छात्र अपने सभी प्रमाणपत्र और क्रेडिट (औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा दोनों से) संग्रहीत करने में सक्षम होंगे।
- जब कोई छात्र कोई पाठ्यक्रम पूरा करता है या कुछ हासिल करता है, तो उसे अधिकृत संस्थानों द्वारा डिजिटल रूप से प्रमाणित और उसके खाते में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
- यदि छात्र स्कूल बदलता है, चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, ABC में उसका सारा डेटा सिर्फ APAAR आईडी साझा करने से उसके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाएगा। उसे भौतिक दस्तावेज या स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

APAAR के संबंध में चिंताएं

माता-पिता और छात्रों को अपने आधार विवरण साझा करने को लेकर चिंता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी बाहरी पार्टियों को लीक हो सकती है।

ब्रेन बूस्टर

भारत में निर्मित ईवी चार्जिंग मानक

मानकों के बारे में

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने स्कूटर, बाइक और रिक्शा जैसे हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों (एलईवी) के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एसी और डीसी संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर मानक को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग कनेक्टर मानक वैचारिक रूप से मोबाइल फोन के लिए चार्जिंग कनेक्टर मानकों के समान हैं।

अन्य देशों में स्थिति

चीन:

- बिक्री और सड़क पर वाहन दोनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार बाजार जो ईवी चार्जिंग कनेक्टर के लिए एक राष्ट्रीय मानक का उपयोग करता है जिसे जीबी/टी कहा जाता है।
- दुनिया में चार्जिंग स्टेशनों के सबसे घने नेटवर्क में से एक के साथ-साथ राष्ट्रीय मानक ने चीन को रेंज की चिंता संबोधित करने में सहायता की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- अमेरिका के पास कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन ईवी निर्माता स्वयं मानकीकरण पर जोर देने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

यूरोप:

- यूरोप में, सीसीएस प्रमुख चार्जिंग कनेक्टर मानक है यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा समर्थित है।

उद्देश्य

- सुरक्षित, विश्वसनीय, सुलभ और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इको-सिस्टम सुनिश्चित करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाना।
- चार्जिंग स्टेशन संचालकों/मालिकों और ईवी मालिकों से किफायती शुल्क वसूलने की व्यवस्था करना।
- छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार/आय के अवसर उत्पन्न करना।
- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को सक्रिय समर्थन देना।
- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए इलेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तैयारियों को प्रोत्साहित करना।
- संपूर्ण ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना और उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना।

नए ईवी चार्जिंग मानक का महत्त्व

- स्वदेशी रूप से विकसित विश्व का पहला चार्जिंग मानक है जो एलईवी के लिए प्रत्यावर्ती धारा (एसी) और डायरेक्ट धारा (डीसी) को जोड़ता है।
- इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए संयुक्त एसी और डीसी चार्जिंग मानक पहले से ही दुनिया भर में उपयोग में हैं, जैसे संयुक्त चार्जिंग सिस्टम (सीसीएस) मानक जो यूरोप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- एक संयुक्त चार्जिंग मानक अपनी अंतरसंचालनीयता के कारण आकर्षक है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ईवी मॉडल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं द्वारा किया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रीय मानक की आवश्यकता

- भारत में, ईवी निर्माताओं को चार्जिंग कनेक्टर के लिए किसी विशिष्ट मानक का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता अपने ईवी के लिए विभिन्न चार्जिंग मानकों का उपयोग करते हैं।
- हालांकि नया स्वीकृत मानक एक संयुक्त मानक बनाकर एसी और डीसी चार्जिंग के लिए अलग-अलग मानकों की समस्या को हल करता है, लेकिन यह ईवी निर्माताओं को एक समान मानक का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं करता है जो रेंज की चिंता को दूर करने और ईवी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

ब्रेन बूस्टर

सागर समृद्धि

योजना के बारे में

राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग एवं तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी), एमओपीएसडब्ल्यू की प्रौद्योगिकी शाखा, ने इस प्रणाली का निर्माण किया। इस प्रणाली ने ड्राफ्ट और लोडिंग मॉनिटर (डीएलएम) सिस्टम को प्रतिस्थापित किया है। यह प्रणाली दक्षता और अनुबंध प्रबंधन में सुधार करने के साथ-साथ ड्रेज्ड सामग्री के उचित पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एनटीसीपीडब्ल्यूसी के बारे में

- एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना अप्रैल 2023 में एमओपीएसडब्ल्यू के सागरमाला कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आईआईटी मद्रास में की गई थी, जिसकी कुल लागत 77 करोड़ रुपये थी।
- केंद्र का मिशन समुद्री क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को सुविधाजनक बनाना है, जिससे देश में एक संपन्न समुद्री उद्योग को विकसित करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- यह अत्याधुनिक सुविधा सभी विषयों में बंदरगाह, तटीय और जलमार्ग क्षेत्रों के लिए 2डी और 3डी अनुसंधान और परामर्श अध्ययन आयोजित करने के लिए विश्व स्तरीय क्षमताएं प्रदान करती है।

क्षमताएं

- वास्तविक समय पर ड्रेजिंग प्रगति रिपोर्ट।
- दैनिक और मासिक प्रगति विजुअलाइजेशन।
- ड्रेजर प्रदर्शन और डाउनटाइम मॉनिटरिंग।
- लोडिंग, अनलोडिंग और निष्क्रिय समय के स्नैपशॉट के साथ आसान लोकेशन ट्रैक डेटा।

महत्त्व

- प्रौद्योगिकी के उपयोग से निम्नलिखित हासिल किया जा सकता है:
  - परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।
  - ड्रेजिंग की कम लागत।
  - पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि।
  - पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
- प्रमुख बंदरगाहों और जलमार्गों पर ड्रेजिंग का वार्षिक रखरखाव लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसके लिए बंदरगाह और IWAI प्रति वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं।
- परिशिष्ट को अपनाने और 'सागर समृद्धि' पद्धति को नियोजित करने से ड्रेजिंग लागत बहुत कम हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।
- सागर समृद्धि से परियोजना नियोजन में सुधार, परिचालन लागत में कमी और गहरे ड्राफ्ट बंदरगाहों के निर्माण में तेजी आएगी।

ड्रेजिंग के बारे में

- ड्रेजिंग झीलों, नदियों, बंदरगाहों और पानी के अन्य निकायों के तल से तलछट और मलबे को हटाने की प्रक्रिया है।
- अवसादन, नीचे की ओर रेत और गाद डालने की प्राकृतिक प्रक्रिया, धीरे-धीरे दुनिया भर में नदियों के चैनलों और बंदरगाहों को भर देती है।

कुछ महत्वपूर्ण डेटा

- प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात: 795 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 2021-22)
- प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने वाले माल में वृद्धि दर: 10.4%
- सभी भारतीय बंदरगाहों की कुल कार्गो क्षमता: 2 एमटीपीए (वित्त वर्ष 2020-21)
- भारत के बाहरी व्यापार में समुद्री परिवहन का हिस्सा:
  - लगभग 95% (मात्रा के अनुसार)
  - 68% (मूल्य के अनुसार)

ब्रेन बूस्टर

सागरमाला

योजना के बारे में

सागरमाला की अवधारणा को 25 मार्च 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, भारत की 7,500 किलोमीटर की तटरेखा, 14,500 किलोमीटर के संभावित नौगम्य जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई है। जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में जारी किया गया था।

सागरमाला के घटक

- **बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास:** मौजूदा बंदरगाहों की बाधाओं को दूर करना और क्षमता विस्तार और नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास।
- **बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्द्धन:** घरेलू जलमार्गों सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से बंदरगाहों की भीतरी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना, कार्गो आवाजाही की लागत और समय को अनुकूलित करना।
- **पोर्ट-लिंक्ड औद्योगीकरण:** EXIM और घरेलू कार्गो की रसद लागत और समय को कम करने के लिए बंदरगाह-निकट औद्योगिक समूहों और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।
- **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास और आजीविका सृजन गतिविधियों, मत्स्य पालन विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना।
- **तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन:** टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग मोड के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

भारत में पोर्ट-आधारित विकास की आवश्यकता

- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बंदरगाह देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारतीय बंदरगाहों को अगले स्तर पर पहुंचने से पहले अभी भी ढांचागत और परिचालन चुनौतियों का समाधान करना होगा।
- बंदरगाहों तक अंतिम मील कनेक्टिविटी भीतरी इलाकों से माल की सुचारू आवाजाही में प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और स्टील जैसी औद्योगिक वस्तुओं की आवाजाही को तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों पर स्थानांतरित करके महत्वपूर्ण बचत हासिल की जा सकती है।
- बंदरगाहों की तुलना में उद्योगों / विनिर्माण केंद्रों का स्थान एक महत्वपूर्ण पहलू है।

परिवहन का साधन	परिवहन लागत (रुपये/टन-किमी)
सड़क	2.0-3.0
रेल	1.2-1.5
जलमार्ग	1.1-1.2
पाइपलाइन	0.1-0.5

विजन

सागरमाला कार्यक्रम का लक्ष्य न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ EXIM और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। इसमें शामिल है:

- मॉडल मिश्रण को अनुकूलित करके घरेलू कार्गो के परिवहन की लागत को कम करना।
- भविष्य की औद्योगिक क्षमताओं को तट के पास स्थापित करके थोक वस्तुओं की रसद लागत को कम करना।
- बंदरगाह के समीप अलग-अलग विनिर्माण क्लस्टर विकसित करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
- EXIM कंटेनर संचलन के समय/लागत को अनुकूलित करना।

संस्थागत ढांचा

- सागरमाला कार्यक्रम को लागू करने के लिए संस्थागत ढांचा केंद्र सरकार के लिए एक समन्वय भूमिका बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को 'सहकारी संघवाद' के स्थापित सिद्धांतों के तहत मिलकर काम करने और समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- निकायों में शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय सागरमाला अपैक्स समिति
  - सागरमाला समन्वय एवं संचालन समिति
  - राज्य सागरमाला समिति

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के संदर्भ में भारत में कुपोषण की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या सरकार की पहल भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने में विफल रही है?
2. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने हाल के वर्षों में काफी ऊंचाई हासिल की है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका का मूल्यांकन करें।
3. सहकारी संघवाद भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की नींव रहा है। भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने में क्षेत्रीय परिषदें कहाँ तक सफल रही हैं?
4. सुशासन की अवधारणा को विस्तार से बताएं। सुशासन मॉडल कैसे बेहतर और पारदर्शी सेवाएँ प्रदान कर सकता है?
5. स्पष्ट करें कि भारत और इजराइल के संबंध पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों में विवाद का कारण क्यों रहे हैं?
6. भारत में पिछड़े क्षेत्रों के विकास में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की भूमिका का मूल्यांकन करें।
7. एपीएएआर कार्यक्रम की विशेषताओं पर चर्चा करें। यह भारत में कुशल उच्च शिक्षा हासिल करने में किस प्रकार मदद करेगा?
8. सागरमाला की विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। सागरमाला पहल भारत में बंदरगाह नेतृत्व वाले विकास को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगी?
9. राज्य सूचना आयोगों में अपीलों और शिकायतों का लंबित रहना लोगों की सूचना तक पहुंच को प्रभावित करता है। विवेचना करें।
10. संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की हालिया रिपोर्ट के सन्दर्भ में सतत विकास लक्ष्य के बीच तालमेल हासिल करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है?
11. मैला ढोने की प्रथा भारत में जाति व्यवस्था का एक उपोत्पाद है जो अभी भी समाज में प्रचलित है। इस संबंध में सरकारी प्रयासों एवं सुझावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
12. एसडीजी के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को समन्वित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें।
13. अमेजन क्षेत्र में हाल ही में पड़ा सूखा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों में से एक है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए वैश्विक सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण करें।
14. भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के बनने पर चर्चा करें। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी से कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
15. वे कौन से कारण हैं जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के उभरने में योगदान दिया? इस संबंध में IN-SPACe की भूमिका पर टिप्पणी कीजिये।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को मिला नवरत्न का दर्जा

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) और राइट्स लिमिटेड (RITES)' को क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न के रूप में घोषित किया है।

मुख्य बिंदु:

- राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है जो परिवहन, रेलवे, रोलिंग स्टॉक के निर्यात, राजमार्ग, हवाई अड्डे, महानगर, शहरी इंजीनियरिंग, स्थिरता, बंदरगाह, जलमार्ग तथा ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है।
- नवरत्न का दर्जा मिलने से राइट्स को अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने, वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और विकास के लिए नए मोर्चे पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
- इरकॉन ने रेलवे निर्माण के क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है जिसमें गिट्टी रहित ट्रैक, विद्युतीकरण, सुरंग निर्माण, सिग्नल और दूरसंचार के साथ-साथ लोकोमोटिव को पट्टे पर देना, सड़कों, राजमार्गों, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय भवनों तथा परिसरों, हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण शामिल है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,750 करोड़ रुपये का समेकित वार्षिक कारोबार और 765 करोड़ रुपये का कर लाभ दर्ज किया है।
- नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने से कंपनियों को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की पीपीपी परियोजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी।

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा।

केंद्र से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- प्रत्येक कौशल्य केंद्र कम से कम दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इस कौशल्य केंद्र का नाम दिवंगत भारतीय जनता पार्टी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर रखा गया है।
- इन कौशल विकास केंद्रों से उन युवाओं के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स को प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी जाएगी जो विदेशों में अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
- इस केंद्र के माध्यम से 16 देशों ने लगभग 40 लाख कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई है।
- इसके माध्यम से बुनियादी विदेशी भाषा कौशल तथा भाषा व्याख्या के लिए एआई टूल का उपयोग जैसे सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जायेगा।
- इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी।

ज्ञान सहायक योजना

हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा ज्ञान सहायक योजना की घोषणा की गयी। इस योजना का उद्देश्य नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के साथ सरकारी स्कूलों में रिक्तियों को भरना है।

योजना से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत छात्रों के समग्र विकास के लिए ऐसे शिक्षकों का होना आवश्यक है जिनके पास शैक्षणिक विषयों के ज्ञान के अलावा अंतर-विषयक और बहु-विषयक कौशल भी हों। जैसे विज्ञान स्नातक को इतिहास का ज्ञान तथा वाणिज्य स्नातक को विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए।
- ज्ञान सहायक योजना सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए है।
- सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 15,000 तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,500 ज्ञान सहायकों को अनुबंध पर नियुक्त करने की घोषणा की थी।
- प्राथमिक विद्यालय ज्ञान सहायक 21,000 रुपये, माध्यमिक विद्यालय ज्ञान सहायक 24,000 रुपये और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्ञान सहायक 26,000 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जायेगा।

- प्राथमिक विद्यालय में ज्ञान सहायक बनने के लिए उम्मीदवार को गुजरात परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) -2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ज्ञान सहायक के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (TAT) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोनों के शिक्षकों की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए आयु सीमा 42 वर्ष है।

महसा अमिनी यूरोपीय संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित

हाल ही में ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली 22 वर्षीय कुर्द-ईरानी महिला महसा अमिनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- अमिनी ने देश की रूढ़िवादी इस्लामी धर्मतंत्र के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
- यह पुरस्कार 1988 में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या समूहों को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था।
- ईरान के अनिवार्य हेडस्कार्फ कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद 16 सितंबर, 2022 को महसा अमिनी की मृत्यु हो गई।
- सखारोव पुरस्कार के साथ 50,000 यूरो प्रदान की जाती है जो पुरस्कार मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों तथा आंदोलनों को मान्यता देने में प्रमुख स्थान रखता है।
- यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।

राजकुमार राव चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन नियुक्त

हाल ही में भारत के चुनाव आयोग (ECI) नेपांच विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अभिनेता राजकुमार राव को 'राष्ट्रीय आइकन' में से एक नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु:

- न्यूटन फिल्म में राव का किरदार छत्तीसगढ़ के एक कस्बे में मतदान केंद्र अधिकारी के रूप में है जो नक्सलियों की धमकियों सहित विभिन्न बाधाओं के बावजूद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है।
- राजकुमार राव को 2017 की फिल्म 'न्यूटन' में उनकी भूमिका के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला जो 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' श्रेणी में 90वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक भूमिका में थी।
- इस फिल्म में राव को एक सरकारी क्लर्क के रूप में दिखाया गया है जिसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कोशिश की थी।
- इससे पहले चुनाव आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और एमसी मैरी कॉम को राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी थी।

सीसीआई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य बना

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (ICN) के संचालन समूह का सदस्य बन गया है। ICN में 130 देशों की 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं।

मुख्य बातें:

- आईसीएन में 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं जो शीर्ष निकाय 'स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ' द्वारा निर्देशित है।
- आईसीएन प्रतिस्पर्धा अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखने और व्यावहारिक प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक विशेष लेकिन अनौपचारिक स्थल प्रदान करता है।
- आईसीएन एकमात्र वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित है जिसके सदस्य राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत ने एक दशक के बाद ब्रिक्स समूह के प्रतिस्पर्धा नियामकों के द्वि-वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें अन्य बातों के अलावा अविश्वास नियमों के नए आयामों पर विचार-विमर्श किया गया।

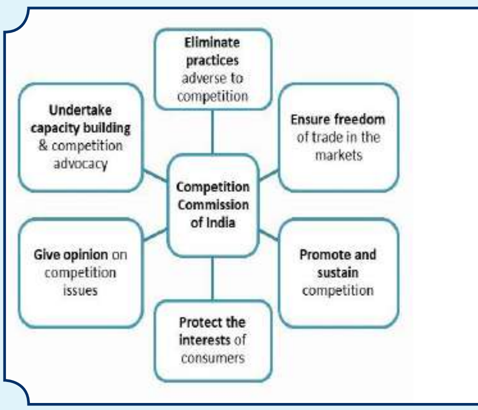

भारत व यूरोपीय संघ ने किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया जो दोनों पक्षों के बीच बढ़ते समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है।

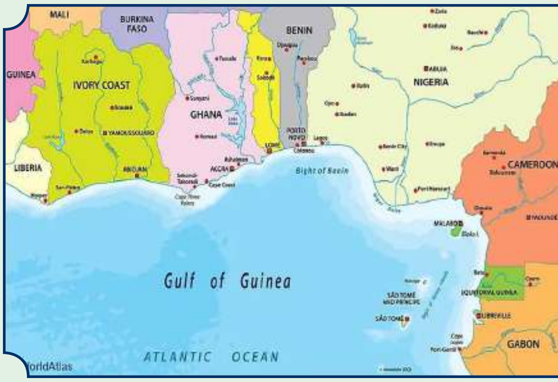

अभ्यास से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा पर यूरोपीय संघ-भारत सहयोग की व्यापकता और गतिशीलता को दर्शाता है तथा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) को बनाए रखने के लिए आम दृढ़ संकल्प का संकेत देता है।
- इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के समर्थन में नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
- भारतीय नौसेना का एक अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सुमेधा तीन यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाजों के साथ शामिल हुआ।
- इतालवी नौसेना जहाज ITS Foscari, फ्रांसीसी नौसेना जहाज FS वेंटोस और स्पेनिश नौसेना जहाज Tornado ने EU का प्रतिनिधित्व किया।
- अभ्यास के बाद अकरा (घाना) में एक ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किया गया जो परिचालन संबंधी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए समुद्र में संयुक्त अनुभव पर आधारित था।

पेंटब्रश स्विफ्ट तितली

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहली बार पेंटब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई जिसका दस्तावेजीकरण किया गया है। यहाँ 430 तितलियों की प्रजातियां पायी जाती हैं जो भारत में पाई जाने वाली तितली प्रजातियों की कुल संख्या का लगभग 25% है।

पेंटब्रश स्विफ्ट तितली के बारे में:

- यह हेस्परिडी परिवार से सम्बंधित तितली की एक प्रजाति है।
- इसकी पहचान ऊपरी अग्र पंख कोशिका में दो अलग-अलग स्थानों के आधार पर की जाती है।
- ब्लैंक स्विफ्ट जैसी अन्य निकट संबंधी प्रजातियों में कोई कोशिका धब्बा नहीं है, जबकि आकृति-आठ स्विफ्ट में दो संयुक्त कोशिका धब्बे हैं।
- इस प्रजाति के लार्वा बांस और कुछ अन्य घास प्रजातियों को खाते हैं।
- पेंटब्रश स्विफ्ट का निवास स्थान वितरण पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में आमतौर पर पाया जाता है जो उत्तराखंड में दुर्लभ है।
- तितली की यह प्रजाति धौलाधार पर्वत श्रृंखला की निचली पहाड़ियों पर देखी जाती है।
- तितली की इस प्रजाति की तस्वीर हिमाचल प्रदेश वन विभाग के डलहौजी वन प्रभाग के भट्टियाट वन रेंज द्वारा जंगली भट्टियाट परियोजना के तहत किए गए एक क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ली गई।
- तितली की इस प्रजाति की खोज 1878 में पूर्वी हिमालय में की गई थी।
- हिमाचल प्रदेश में देखी गई अन्य तितली प्रजातियाँ में एनोमलस नवाब, ब्लैंक स्विफ्ट, टेल्ड जे, सायरन आदि शामिल हैं।

हेनरी हार्विन एजुकेशन ने चेतन भगत को बनाया अपना ब्रांड एंबेसडर

हाल ही में हेनरी हार्विन एजुकेशन (जो कि एक एड-टेक प्लेटफॉर्म है जहां युवा पेशेवरों के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की विशेषज्ञता प्रदान की जाती है) ने चेतन भगत को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु:

- हेनरी हार्विन एजुकेशन प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के 11 से अधिक शहरों में फ्रेमोंट, दुबई मेनलैंड, नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं।
- एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में चेतन भगत दृढ़ता, रचनात्मकता और बौद्धिक विकास के महत्त्व पर जोर देगें जिससे युवा दिमागों को उनके लक्ष्यों के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस

हाल ही में देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023' (IMC) का 7वां संस्करण दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया।

मोबाइल कांग्रेस के बारे में:

- इस आयोजन में 1,00,000 से अधिक प्रतिभागियों, 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों और 400 से अधिक वक्ताओं की एक श्रृंखला ने भाग लिया है।
- तीन दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) सेमीकंडक्टर और डीप टेक जैसे नए डोमेन के साथ दूरसंचार के व्यापक अभिसरण का प्रदर्शन करेगी।
- इस वर्ष के IMC का विषय 'ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन' है।
- यह पहल दूरसंचार और अन्य डिजिटल डोमेन में युवा इनोवेटर्स तथा उद्योग पेशेवरों के बीच उद्यमशील विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इस कार्यक्रम में 5जी, 6जी, ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा होगी।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य उद्योग संघों के भाग लेने की संभावना है।
- आईएमसी की सह-मेजबानी दूरसंचार विभाग (DOT) और भारतीय दूरसंचार उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि निकाय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा की जाएगी।

इंटरकनेक्टेड आपदा जोखिम रिपोर्ट 2023

हाल ही में जर्मनी स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान (UNU-EHS) की इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गयी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब तथा हरियाणा पर केंद्रित है जिसमें भूजल की कमी का जोखिम टिपिंग पॉइंट 70 प्रतिशत बताया गया है।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में भूजल की कमी के अलावा तेजी से हो रहे विलुप्तीकरण, पर्वतीय ग्लेशियरों के पिघलने, अंतरिक्ष मलबे, असहनीय गर्मी और बीमा न किए जा सकने वाले भविष्य का भी विश्लेषण किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि गहनता भूजल की कमी के जोखिम के चरम बिंदु की ओर धकेलने वाला एक प्रमुख कारक है। भूजल सिंचाई दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत फसलों के उत्पादन को बनाए रखती है जिसमें चावल और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है।
- किसानों को समर्थन देने और उनकी परिचालन लागत को कम करने के लिए कुछ देश पानी पंपिंग के लिए ऊर्जा लागत पर सब्सिडी देते हैं।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) के चरण-II को मिली मंजूरी

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) चरण-II के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) परियोजना को मंजूरी दी है।

परियोजना से सम्बंधित मुख्य बातें:

- इस परियोजना को वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने का लक्ष्य है जिसकी कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है जो केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजना लागत का 40 प्रतिशत यानी 8,309.48 करोड़ रुपये है।
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- इस बिजली को निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- इस परियोजना में पांग (लद्दाख) और कैथल (हरियाणा) में 713 किमी ट्रांसमिशन लाइनें (480 किमी एचवीडीसी लाइन सहित) तथा 5 गीगावॉट क्षमता वाले एचवीडीसी टर्मिनल की स्थापना शामिल होगी।
- यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी।
- यह विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल तथा अकुशल दोनों कर्मियों के लिए बड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस (TiPV) की मौजूदगी का पता चला है जो तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तालाबों में पाली जाने वाली मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रहा है।
2. भारतीय खेल प्राधिकरण ने लद्दाख में 'खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को दी मंजूरी।
3. पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए 'होप इनिशिएटिव' शुरू किया।
4. जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है।
5. हरियाणा सरकार मक्का की खेती को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाले मक्का अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर काम करने की बड़ी योजना बना रही है।
6. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। यह सम्मान न केवल भारतीय पर्यटन की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि विशेष रूप से कच्छ के लोगों के समर्पण को भी प्रदर्शित करता है।
7. 15बी परियोजना का तीसरा स्वदेशी विध्वंसक पोत इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया।
8. विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
9. उत्तर कोरिया की ओर से अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का प्रक्षेपण किए जाने के बाद जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया।
10. केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगरतला में डेलॉइट व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से शुरू की जा रही एक कौशल विकास पहल 'हार्टलैंड त्रिपुरा' का शुभारंभ किया।
11. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल परिषद ने 'समावेशी कार्यक्रमों के लिए जॉब कोच' के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
12. भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास 'एक्सरसाइज हरिमाउ शक्ति 2023' भारत के उमरोई छावनी में शुरू हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया है।
13. मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के धुरंधर अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया।
14. भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल (SFTS) में ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग (VWT) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
15. रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
16. भारतीय पैरा-एथलीटों ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रचा। उन्होंने 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 111 पदक जीते। इससे पहले भारत ने एशियाई पैरा खेलों के 2010 संस्करण में 14 पदक, 2014 में 33 और 2018 में 72 पदक जीते थे।
17. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया।
18. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
19. भोपाल में स्थित महिला थाने को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला यह देश का पहला महिला थाना बन गया है। इसे '9001:2015' आईएसओ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
20. डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने हिंसाग्रस्त चुनाव में 52% मतों से जीत हासिल किया है।
21. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के ओसाका में जी-7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
22. पूसा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC), आईआईटी कानपुर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

ओर्कनेय द्वीप समूह

हाल ही में पुरातत्वविदों ने ओर्कनेय में एक खोज की है जिसमें 5,000 साल पुराने मकबरे के अवशेष मिले हैं।

ओर्कनेय द्वीप समूह के बारे में:

- ओर्कनेय द्वीप, द्वीपों का एक समूह है जो स्कॉटलैंड के उत्तरी तट से लगभग 10 मील दूर स्थित है।
- इस द्वीपसमूह में 70 द्वीप शामिल हैं जिनमें से केवल 20 पर ही निवास स्थल है।
- यहाँ कई पुरातात्विक स्थल हैं जिनमें नवपाषाणकालीन पत्थर के घेरे और कक्षयुक्त कब्रें शामिल हैं। जैसे-मेशोवे।
- 'हार्ट ऑफ नियोलिथिक ऑर्कनी' एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें चार महत्त्वपूर्ण नियोलिथिक शामिल हैं।
- **स्मारक:** ब्रोडगर की अंगूठी, स्टेननेस के पत्थर, मेशोवे और स्कारा ब्रे शामिल है।

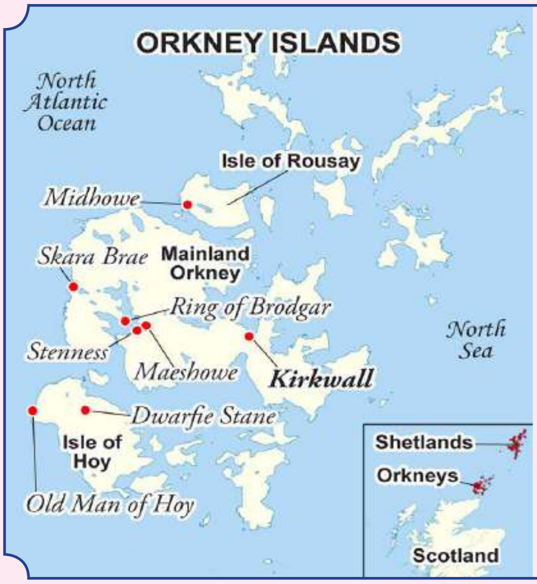

द्वीपसमूह क्या है?

- द्वीपसमूह द्वीपों का एक समूह या शृंखला है जो समुद्र, महासागर, झील या नदी जैसे पानी में बारीकी से फैला हुआ है।
- ये द्वीप आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधि, टेक्टोनिक गतिविधियों या तलछट संचय जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं।

मार्शल द्वीपसमूह

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स के साथ 20 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें 2 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मार्शल द्वीप (राजधानी-माजुरो):

- मार्शल द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में और भूमध्य रेखा के उत्तर में है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- **एटोल और द्वीप समूह:** मार्शल द्वीप मुख्य रूप से 29 प्रवाल एटोल और पांच द्वीपों से बना है।
- **द्वीप शृंखला:** मार्शल द्वीप समूह को दो प्रमुख द्वीप शृंखलाओं में विभाजित किया गया है पूर्व में रतक (Ratak) और पश्चिम में रालिक (Ralik)।
- **शार्क अभयारण्य:** इन समुद्री जीवों की रक्षा के लिए देश ने एक विशाल शार्क अभयारण्य घोषित किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- मार्शल द्वीप समूह का एक इतिहास है जिसमें स्पेनिश और जर्मन प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जा तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी प्रशासन शामिल है। इसमें परमाणु परीक्षण शामिल थे।
- राष्ट्र ने 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त संघ के समझौते के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।

अरल सागर

- हाल ही में अरल सागर (जो लंबे समय से अस्तित्व खोने के संकट से जूझ रहा है) के बारे में एक अच्छी खबर आई है।अरल सिद्रदरिया बेसिन में कई वर्षो के बाद पहली बार जल स्तर में वृद्धि देखी गई हैं। इससे पहले यह सूखने के कगार पर माना जा रहा था। अब इसके जल स्तर में वृद्धि से इसे मध्य एशिया में जल संसाधन संरक्षण की दृष्टि से अच्छा माना जा रहा है।
- अरल सागर (जो पूर्व में विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी और समृद्ध प्राकृतिक भंडारों के लिए जानी जाती थी) दशकों से सूखने के कगार पर थी। सेटेलाइट इमेज दर्शाते हैं कि पिछले 5 दशक में इसके जल स्तर में 40 गुना की कमी आई है।
- इस झील को दो भागों में वर्गीकृत (बड़ी अरल झील जो मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में है और छोटी अरल झील जो कजाखस्तान के भू क्षेत्र में पड़ती है) किया जाता है। दो ट्रांसबाउंड्री रिवर अमू दरिया और सिद्र दरिया अरल सागर में प्रवाहित होती हैं। सिद्र दरिया का उद्‌गम किर्गिस्तान के उच्च भूमि से होकर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में बहती है जिसका अंतिम गंतव्य कीजीलॉर्डा है।
- इस सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ की एक योजना के चलते हुई। 1960 में सोवियत संघ के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया था जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी है। सागर को सूखने से बचाने और उसके हिस्से उत्तरी अरल सागर को भरने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो गया था। इसके बाद 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ा था। हालांकि इन सबके बावजूद सागर की स्थिति को ज्यादा सुधारा नहीं जा सका।

रोजबैंक तेल क्षेत्र

हाल ही में ब्रिटेन ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं और 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के बावजूद एक प्रमुख उत्तरी सागर तेल परियोजना को मंजूरी दी है।

स्थान:
- रोजबैंक तेल क्षेत्र शेटलैंड द्वीप समूह के उत्तर-पश्चिम में उत्तरी सागर में स्थित है।

तेल भंडार:
- इसमें लगभग 300 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करने की क्षमता वाला महत्त्वपूर्ण अप्रयुक्त तेल भंडार है।

ब्रिटेन का तेल उत्पादन:
- इस परियोजना से ब्रिटेन के कुल तेल उत्पादन में 8% का योगदान होने की उम्मीद है।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:
- 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की यूके की प्रतिबद्धता को देखते हुए परियोजना की मंजूरी ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है।

उत्तरी सागर का भूगोल:
- उत्तरी सागर एक उथला समुद्र है जो कई यूरोपीय देशों को जोड़ता है तथा तेल और गैस उद्योग के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- यह दक्षिण में इंग्लिश चैनल और उत्तर में नॉर्वेजियन सागर के जरिए अटलांटिक महासागर से जुड़ता है।

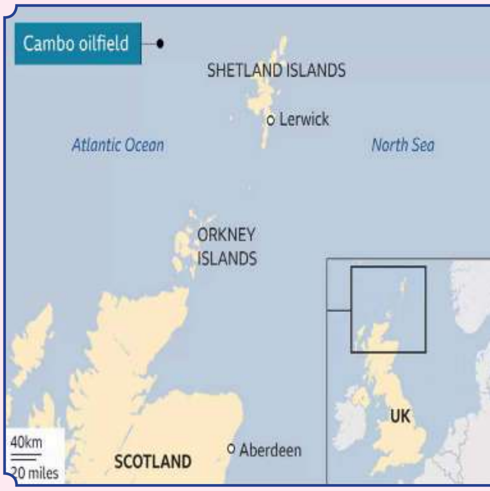

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. NexCAR19 से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक स्वदेशी रूप से विकसित CD19-लक्षित CAR-T सेल थेरेपी है।
2. NexCAR19 साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम (CRS) और न्यूरोटॉक्सिसिटी की उल्लेखनीय अनुपस्थिति के साथ एक अनुकूल सुरक्षा प्रोफाइल भी प्रदर्शित करता है।
3. यह पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

A. 1 और 2
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के 27 राज्य सूचना आयोगों में तीन लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। इससे सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लंबित अपीलों में से सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (1,15,524) में और उसके बाद कर्नाटक (41,047) में दर्ज की गई।
2. केंद्रीय सूचना आयोग और मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार तथा पंजाब के राज्य सूचना आयोग सहित छह सूचना आयोग वर्तमान में नेतृत्वहीन हैं।
3. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचना आयोगों ने 91 प्रतिशत मामलों में जुर्माना नहीं लगाया, जहां जुर्माना लगाया जाना संभावित था।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी तीन
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. हाल ही में आईपीसी को पीडीजी का सदस्य घोषित किया गया है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग फार्माकोपियल आवश्यकताओं को पूरा करना है।
2. 2020 में शुरू किए गए पायलट चरण के लिए चयनित होने वाला आईपीसी दुनिया का एकमात्र फार्माकोपिया निकाय था।
3. यह दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिए आईपीसी की निरंतर प्रतिबद्धता और क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

उपर्युक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 3

4. हाल ही में जारी किए गए खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अनुमानत: 3.8 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की फसल और पशुधन उत्पादन का नुकसान हुआ है।
2. मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों में प्रति वर्ष औसतन 16 मिलियन टन का नुकसान हुआ जो 2021 में मैक्सिको तथा भारत में मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों के कुल उत्पादन के बराबर है।
3. एशिया में घाटा कृषि वर्धित मूल्य का केवल 4 प्रतिशत जबकि अफ्रीका में यह लगभग 8 प्रतिशत था।

उपर्युक्त में से कौन कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 3

5. पोंटस टेक्टोनिक प्लेट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह टेक्टोनिक प्लेट भूमध्य सागर के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है जो दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
2. यह प्लेट पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है।
3. यह महासागर के नीचे स्थित थी जिसे पोंटस महासागर के नाम से जाना जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

6. नई परियोजनाओं में गिरावट के कारण उद्योग क्षेत्र की ऋण वृद्धि धीमी होने के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऋण वृद्धि 27.7 प्रतिशत से घटकर 10.7 प्रतिशत रह गई जबकि क्रेडिट ग्रोथ में यह गिरावट पिछली दो तिमाहियों की नई परियोजनाओं में गिरावट के बीच आई है।
2. नई परियोजनाओं का मूल्य वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में घटकर 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।
3. आधार पर क्रेडिट कार्ड का बकाया 30 फीसदी बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये हो गया जो पिछले साल 26.8 फीसदी था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2

C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

7. भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
2. रिपोर्ट के अनुसर भारत अब एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरी और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
3. जीडीपी 2020 में 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2040 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 2
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

8. प्रोजेक्ट उद्भव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है जो सदियों पुराने ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षाशास्त्र के साथ एकीकृत करना चाहती है।
2. यह प्राचीन सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकता है।
3. इसका उद्देश्य अंत:विषय अनुसंधान, कार्यशालाओं और नेतृत्व सेमिनारों के माध्यम से प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षाशास्त्र के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

9. निपाह वायरस (NiV) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
2. यह सर्वप्रथम 1998 एवं 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था।
3. यह पहली बार घरेलू सूअरों में पाया गया तत्पश्चात कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में भी देखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1 2 और 3 D. कोई नहीं

10. संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के लगभग 16 प्रतिशत लोगों में किसी न किसी प्रकार की विकलांगता है।
2. विकलांग व्यक्तियों में 84 प्रतिशत ने बताया कि उनके पास आपदाओं के लिए कोई व्यक्तिगत तैयारी योजना नहीं है।
3. रिपोर्ट में 86 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों ने बताया कि समुदाय-स्तरीय डीआरआर निर्णय लेने और योजना में उनकी कोई भागीदारी नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

11. हाल ही में मनरेगा के सक्रिय कार्यबल में 7.5% की गिरावट देखी गई है। इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत सक्रिय श्रमिकों की संख्या में अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच 7.5% की कमी देखी गई है।
2. रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मनरेगा के तहत वर्तमान दिनों में 9% की वृद्धि हुई है।
3. रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मनरेगा के तहत व्यक्तिगत दिनों में 9% की वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. कोई नहीं

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा कथन उपयुक्त सही है?

A. यह ग्लोबल मैरिटाइम समिट का चौथा संस्करण है।
B. यह आजादी के 75वें वर्ष के अमृत काल का विजन है।
C. 23,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जो नीली अर्थव्यवस्था के अनुरूप हैं।
D. इस समिट का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में हुआ।

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा कथन उपयुक्त सही है?

A. सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया।
B. हाल ही में लॉन्च की गई संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जिसका शीर्षक '2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर तथा अधिक संधारणीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना' है।
C. एसडीजी की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है जिसमें से 169 लक्ष्यों में से केवल 18% ही पूरा होने की राह पर है।
D. इनमें से कोई नहीं।

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा कथन उपयुक्त सही है?

A. इस समझौते के तहत चीन के आधिकारिक बयान में श्रीलंका के आर्थिक ऋण का उल्लेख किया गया था।

B. श्रीलंका 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए चीन के निर्यात-आयात बैंक के साथ एक समझौता किया।

C. चीन हिंद महासागर द्वीप देशों के विकास पर भारत की सागर पहल के विरोध में नहीं था।

D. इनमें से कोई नहीं।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में बाल विवाह की प्रथा को पहली बार 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के माध्यम से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था।
2. 1929 के अधिनियम में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष थी।
3. 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम ने लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की आयु सीमा को क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. केवल तीन D. कोई नहीं

16. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का क्या महत्त्व है/हैं?

1. इसका उद्देश्य नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सहायक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देना है।
2. इसका दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों पर विशेष/विशेष ध्यान है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से के आवंटन की सुविधा प्रदान करता है।
3. यह मरुस्थलीकरण से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए बॉटम टू टॉप के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

नीचे दिए गए उपर्युक्त सही कथन को चुने।

A. केवल 1 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

17. मेहरौली पुरातत्व स्थल के बारें में विचार करें:

1. इनमें जमाली कमाली मस्जिद, मेटकाफ हाउस, रजोन की बावली स्थल स्थित है।
2. मामलुक सुल्तान गियास-उद-दीन बलबन और मुगल गवर्नर शाह कुली खान का मकबरा शामिल हैं।
3. मेहरौली पुरातत्व पार्क कुतुब मीनार विश्व धरोहर स्थल के पास स्थित नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. सभी तीन D. इनमे से कोई नहीं

18. मदीरा नदी के बारे में सही कथन क्या है?

1. अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
2. अमेजन नदी के बाईं तट की सहायक नदी है।
3. बोलीविया और ब्राजील के बीच सीमा बनाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

19. निम्नलिखित में से कौन सा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की सूची में शामिल नहीं है?

A. डेंगू B. चिकनगुनिया
C. एकिनोकॉकोसिस D. अल्जाइमर

20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस प्रकार का निकाय है?

A. संवैधानिक निकाय
B. संसदीय निकाय
C. कार्यकारिणी निकाय
D. सांविधिक निकाय

21. हाल ही में चर्चा में रहे वज्र मुष्टि कलागा के बारे में विचार करें:

1. यह 14वीं-17वीं शताब्दी विजयनगर शासकों के दौरान लोकप्रिय था।
2. हथियार में नक्कल डस्टर का इस्तेमाल किया गया जो एक छोटा धातु हथियार है।

उपर्युक्त कथनो में कौन सा/ से सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर

1. **C**	4. **C**	7. **B**	10. **C**	13. **D**	16. **C**	19. **D**
2. **C**	5. **D**	8. **B**	11. **C**	14. **B**	17. **B**	20. **D**
3. **D**	6. **C**	9. **C**	12. **C**	15. **B**	18. **C**	21. **C**

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भाग-1

विषय सूची

सतत विकास

- अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट
- कीचड़ का उर्वरक के रूप में उपयोग
- नीली अर्थव्यवस्था के लिए 'चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत'
- मिथाइलोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C
- ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट
- मिशन 50k-EV 4ECO
- नीति आयोग का जल व्यापार तंत्र
- उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन
- कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) पर वैश्विक सम्मेलन
- SDG7 रिपोर्ट
- हरित क्रेडिट कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस
- भारत में जैव ईंधन पहल
- मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था
- हरित हाइड्रोजन
- लीड रेटिंग प्रणाली
- सीबीजी (एसएटीएटी) के कार्यान्वयन की समीक्षा
- विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन (एफएफवी)
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहन
- तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए कृत्रिम चट्टान

जैव विविधता

- प्रोसोपिस चिलेंसिस
- मध्य एशियाई फ्लाईवे
- समुद्री तितली
- गेको मिजोरामेंसिस
- बाओबाब
- 'भारत के पक्षियों की स्थिति 2023' रिपोर्ट
- विश्व की दूसरी सबसे गहरी ब्लू व्हेल
- जम्मू-कश्मीर में यूरेशियन ओटर
- क्रिप्टोबायोसिस
- साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेसफोंटानिया
- लाल पांडा का सीमा पार संरक्षण
- मिल्कवीड तितलियाँ
- उड़ने वाली छिपकली
- जल निकायों की पहली जनगणना
- जंबो जनगणना
- हिमालयी भूरा भालू
- उत्तरी बंगाल के जंगली ऑर्किड
- मिष्टी
- हूलॉक गिब्बन
- लुडविगियापेरुवियाना
- इबेरियन भेड़िया
- हिमालयी गिद्ध
- भारत के 75 स्थानिक पक्षी
- भारत में पक्षियों की प्रजातियाँ
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर आईपीबीईएस रिपोर्ट
- रेड सैंड बोआ
- केरल में एंटलियन की दो नई प्रजातियों

टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान

- प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष
- भारत में बाघों की स्थिति पर रिपोर्ट
- चीता परियोजना
- धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (DKTR)
- बाघ स्थानांतरण
- गजयात्रा- प्रोजेक्ट हाथी
- महादेई अभयारण्य
- 62 नए हाथी गलियारे
- जल निकायों की गणना
- इको सेंसिटिव जोन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सतत विकास

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का अनावरण किया। यह वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है।

- अरावली ग्रीन वॉल परियोजना मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने की एक योजना है।
- इस महत्त्वाकांक्षी पहल का लक्ष्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को कवर करने वाली प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1,400 किमी लंबा तथा 5 किमी चौड़ा हरित बेल्ट बफर बनाना है।
- अरावली ग्रीन वॉल परियोजना महान उद्देश्यों से प्रेरित है जो गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करती है।
- यह अरावली पहाड़ी श्रृंखला के साथ रणनीतिक वनीकरण के माध्यम से खराब भूमि को बहाल करेगा जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करेगा।
- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाना अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के प्रमुख घटक हैं।
- देशी पेड़ लगाकर परियोजना का लक्ष्य कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देना, वन्यजीवों के लिए आवास प्रदान करना और क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार करना है।
- सतत विकास को बढ़ावा देने, आय और रोजगार के अवसर पैदा करने तथा लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा व सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए वनीकरण, कृषि वानिकी और जल संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।

खाद के रूप में कीचड़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओपन-एक्सेस जर्नल फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन साइंटिस्ट्स में प्रकाशित एक पेपर में कहा गया है कि थर्मली वातानुकूलित सीवेज कीचड़ मिट्टी के गुणों में सुधार के लिए एक उत्कृष्ट उर्वरक के रूप में कार्य करता है।

- इस उर्वरक का प्रमुख लाभ आवश्यक और सीमित फॉस्फोरस संसाधनों का सतत पुन: उपयोग है।
- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने कीचड़ को जैव-उर्वरक में बदलने की तकनीक विकसित की है। जैव उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी को जैविक कार्बन और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। यह प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थ को उपयोगी जैव-उर्वरक में पुनर्चक्रित करने में भी मदद करती है।
- कीचड़ सीवेज उपचार संयंत्रों से फिल्टर किया गया गाढ़ा अवशेष है जो कार्बनिक रसायनों से भरपूर होने के साथ-साथ भारी धातुओं, औद्योगिक अपशिष्टों और जीवाणु संदूषकों (Contaminants) का भंडार होता है।

नीली अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान चेन्नई में नीली अर्थव्यवस्था के लिए उच्च-स्तरीय सिद्धांत प्रकाशित किए गए।

- यह सिद्धांत टिकाऊ और लचीली नीली/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी महासागर-आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है, समुद्री चुनौतियों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय

समन्वय को मजबूत करता है और समुद्री वित्त को बढ़ाता है।

- देशों ने अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के साथ-साथ हानिकारक मछली पकड़ने के तरीकों को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। इन देशों ने अंटार्कटिक संधि प्रणाली के अंतर्गत अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण आयोग (सीसीएएमएलआर) का भी समर्थन किया।

नीली अर्थव्यवस्था की परिभाषा:

- नीली अर्थव्यवस्था या समुद्री अर्थव्यवस्था एक शब्द है जिसका उपयोग महासागरों और समुद्रों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक नीली अर्थव्यवस्था को 'अर्थव्यवस्था, आजीविका और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग' के रूप में परिभाषित करता है।

मेथनोट्रॉफ

चर्चा में क्यों?

हाल के अध्ययन से पता चला है कि मिथाइलोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C, एक मेथनोट्रॉफ है जो संभावित रूप से प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन को हटा सकता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है।

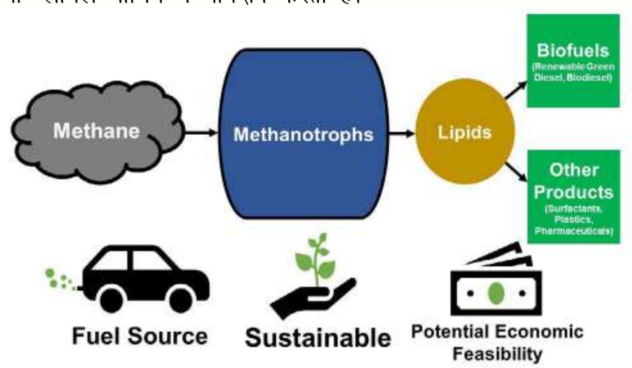

- मेथेनोट्रॉफ्स मीथेन को कार्बन-डाई-ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। वे मीथेन के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं जो दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) है और कार्बन-डाई-ऑक्साइड की तुलना में 26 गुना अधिक शक्तिशाली है। चावल के खेतों में मेथेनोट्रॉफ जड़ों या मिट्टी-पानी के इंटरफेस के पास सक्रिय होते हैं।

मेथनोट्रॉफ्स के बारे में:

- एक प्रकार के बैक्टीरिया में प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों से मीथेन को हटाने की क्षमता होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर इसका प्रभाव कम हो जाता है।
- बैक्टीरियल स्ट्रेन मिथाइलोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस का उपभोग करता है।
- यह कुल ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है।

ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट का 2023 संस्करण ब्रेकथ्रू एजेंडा को पूरा करने के लिए की गई प्रगति और आवश्यक कार्यों की जांच करता है जो 2021 में ग्लासगो में COP26 में 48 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता है।
- इसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करने, निवेश को बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए देशों द्वारा कार्यों को संरेखित करना है। बिजली, सड़क परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन, कृषि, इमारतें और सीमेंट सामूहिक रूप से ऐसे प्रमुख सात क्षेत्र हैं जो वैश्विक GHG उत्सर्जन का 60% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
- यह रिपोर्ट दर्शाती है कि स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ समाधानों पर मौजूदा प्रयास अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश तथा तैनाती के स्तर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

मिशन 50K-EV4ECO

चर्चा में क्यों?

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने मिशन 50K-EV4ECO नामक एक पहल लॉन्च किया है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए देश में 50,000 ईवी की खरीद को वित्तपोषित कराती है।

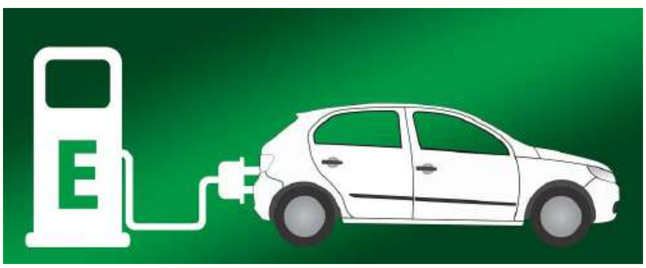

- इस मिशन के तहत सिडबी ईवी की खरीद और बैटरी स्वैपिंग

सहित चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पात्र छोटे तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई) को सीधे ऋण प्रदान करेगा।

- यह वाहन एग्रीगेटर्स को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण सहायता के माध्यम से इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया तथा चार पहिया वाहनों की खपत बढ़ाने पर केंद्रित है।

नीति आयोग का जल व्यापार तंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय जल उपयोगकर्ताओं के लिए जल व्यापार तंत्र का प्रस्ताव दिया है।

- जल व्यापार एक जल बाजार तंत्र है जो पानी को एक ऐसी वस्तु मानता है जिसका उपयोगकर्ताओं के बीच उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार किया जा सकता है। इसके तहत प्रत्येक क्षेत्र को पानी का अधिकार आवंटित किया जाता है। वे अपनी जरूरतों के अनुसार इसका उपयोग करते हैं, जब उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो खरीदते हैं और जब उन्हें इसकी कम आवश्यकता होती है तो बेचते हैं।

दूसरा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

9 यूरोपीय देश उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने पर सहमत हुए। बेल्जियम के ओस्टेंड में दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में एक डेक्लेरेशन हस्ताक्षरित किया गया जिसके तहत उन्होंने 2030 तक उत्तरी सागर में कम से कम 120 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा के उत्पादन सहित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

- ओस्टेंड में दूसरा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन पहले उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का अनुसरण करता है जो मई 2022 में एस्बर्ज (डेनमार्क) में आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख पहलों के बारे में:

- हस्ताक्षरकर्ता देशों का लक्ष्य 2050 तक अपनी कुल अपतटीय पवन क्षमता को दोगुना करके कम से कम 300 गीगावॉट तक करना है।
- इस घोषणा का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा शामिल समुद्री क्षेत्र के भीतर अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा और कनेक्टिविटी की तैनाती में तेजी लाना है।
- यह अपतटीय पवन और नवीकरणीय हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ-साथ बिजली और हाइड्रोजन इंटरकनेक्शन तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं पर केंद्रित है। घोषणा में उन देशों द्वारा सह-वित्तपोषण की संभावना का भी संकेत दिया गया है जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है।

उत्तरी सागर के बारे में:

- उत्तरी सागर ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बीच स्थित है। यूरोपीय महाद्वीपीय शेल्फ पर एक एपिरिक सागर है जो दक्षिण में इंग्लिश चैनल और उत्तर में नॉर्वेजियन सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है।

कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

'एक मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर' विषय के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन आईएफजीई- सीबीजी प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा आयोजित किया गया जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित था।

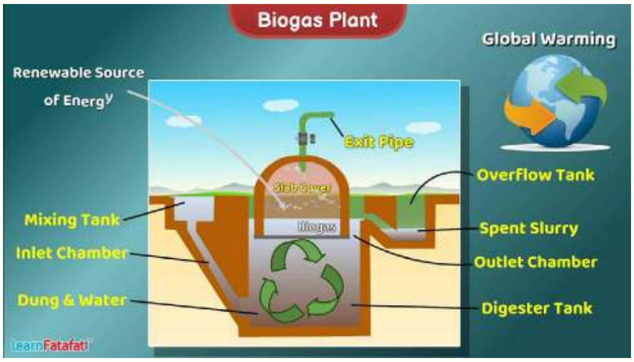

सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में:

- सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल के बारे में उद्योग को जानकारी देना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां नीति संशोधन की आवश्यकता है।

भारत का लक्ष्य:

- भारत 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित है

तथा उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्तमान नेतृत्व और सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से कई पहल की गई है। उत्सर्जन में कमी लाने में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इसे SATAT योजना (किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प) द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। सीबीजी में सीएनजी के समान उच्च कैलोरी मान और गुण होते हैं जिसे वैकल्पिक हरित नवीकरणीय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। देश के भीतर बायोमास उपलब्धता की प्रचुरता को देखते हुए ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सीएनजी की जगह ले सकता है।

ट्रैकिंग SDG7 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ट्रैकिंग SDG7: ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट' अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई।

- रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी7) को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डालती है। .

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट से पता चलता है कि हाल के वर्षों में कुछ प्रगति के बावजूद, दुनिया अभी भी SDG7 हासिल करने से बहुत दूर है।
- 2020 में लगभग 759 मिलियन लोगों के पास बिजली की पहुंच नहीं थी जो 2018 में 860 मिलियन से कम है। कई प्रमुख आर्थिक समस्याएं जैसे-अनिश्चित व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति का उच्च स्तर, मुद्रा में अस्थिरता, कई देशों में वित्तीय संकट, वित्त की कमी, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं, सख्त बजटीय परिस्थितियां और आसमान छूती कीमतें वैश्विक एसडीजी 7 कार्यान्वयन में बाधा बन रही हैं।

एसडीजी 7 के बारे में:

- एसडीजी 7 का लक्ष्य स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में है जो कृषि, व्यापार, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) पेश किया है जो व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है जिसे एक समर्पित एक्सचेंज पर कारोबार किया जा सकता है।

- यह एक अभिनव बाजार-आधारित तंत्र है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह योजना परंपरा और संरक्षण में निहित पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है।

LiFE आंदोलन के बारे में:

- LiFE का विचार भारत द्वारा 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान पेश किया गया था।
- यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा देता है जो 'नासमझ और बेकार उपभोग' के बजाय 'सचेत तथा जानबूझकर उपयोग' पर केंद्रित है।

अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पहली बार 30 मार्च 2023 को मनाया

गया था जो UNEP और UN-हैबिटेट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

- इसका उद्देश्य शून्य अपशिष्ट और जिम्मेदार उपभोग तथा उत्पादन प्रथाओं और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो सतत विकास प्राप्त करने में योगदान देता है।
- यह दिन हमारी प्रथाओं पर पुनर्विचार करने और जलवायु परिवर्तन, प्रकृति हानि तथा प्रदूषण के ट्रिपल ग्रहीय संकट को दूर करने का आह्वान करता है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भारत वर्तमान में हर साल 62 मिलियन टन कचरा (पुनर्चक्रण योग्य तथा गैर-पुनर्चक्रण योग्य दोनों) उत्पन्न करता है जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4% है। ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा और ई-कचरा प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ हैं।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए)

चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA) लॉन्च किया गया जो जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए 30 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का एक मंच है। जीबीए स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की दिशा में भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है।

- जीबीए का लक्ष्य एक उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन की उन्नति और व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।

जैव ईंधन के बारे में:

- कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो कम समय (दिन, सप्ताह या महीने) में कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है।
- जैव ईंधन ठोस, तरल या गैसीय किसी भी प्रकृति का हो सकता है।
- **ठोस पदार्थ:** लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद
- **तरल:** बायोएथेनॉल और बायोडीजल
- **गैसीय:** बायोगैस

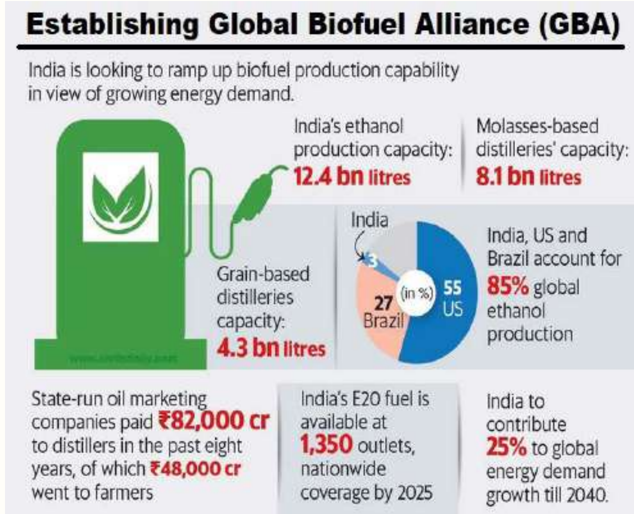

मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था

- नीति आयोग के 'मेथनॉल इकोनॉमी' कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना और कोयला भंडार व नगरपालिका के ठोस कचरे को मेथनॉल में परिवर्तित करना है।
- हालांकि मेथनॉल में पेट्रोल और डीजल की तुलना में ऊर्जा सामग्री थोड़ी कम होती है, फिर भी परिवहन क्षेत्र (सड़क, रेल तथा समुद्री), ऊर्जा क्षेत्र (डीजी सेट, बॉयलर, प्रोसेस हीटिंग मॉड्यूल, ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन शामिल) और खाना पकाने में (एलपीजी की जगह आंशिक रूप से मिट्टी का तेल और लकड़ी का कोयला) इन दोनों ईंधन की जगह ले सकता है।
- गैसोलीन में 15% मेथनॉल के मिश्रण से गैसोलीन/कच्चे तेल के आयात में कम से कम 15% की कमी हो सकती है। इसके अलावा इससे पार्टिकुलेट मैटर, एनओएक्स और एसओएक्स के मामले में जीएचजी उत्सर्जन में 20% की कमी आएगी जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था मेथनॉल उत्पादन/अनुप्रयोग और वितरण सेवाओं के माध्यम से लगभग 5 मिलियन नौकरियां भी पैदा करेगी। इसके अतिरिक्त एलपीजी में 20% डीएमई (डाइ-मिथाइल ईथर, मेथनॉल का व्युत्पन्न) मिलाकर सालाना 6000 करोड़ रुपये बचाए जा सकते हैं। इससे उपभोक्ता को प्रति सिलेंडर 50-100 रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने एलपीजी के साथ 20% डीएमई मिश्रण को अधिसूचित किया है तथा सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एम-15, एम-85, एम-100 मिश्रण के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।
- मेथनॉल एक कम कार्बन तथा हाइड्रोजन वाहक ईंधन है जो उच्च राख वाले कोयले, कृषि अवशेषों, थर्मल पावर प्लांटों से CO2 और

प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन का लक्ष्य घरेलू उपयोग के लिए 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करना है।

हरित हाइड्रोजन के बारे में:

- हरित हाइड्रोजन पवन, सौर और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसमें कार्बन-मुक्त अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में एक प्रमुख भागीदार बनने की क्षमता है जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकती है। उत्पादित हाइड्रोजन को संग्रहीत किया जा सकता है जिसका उपयोग परिवहन, उद्योग और कृषि के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

LEED रेटिंग प्रणाली

- LEED (ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व) दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। LEED प्रमाणीकरण स्वस्थ, अत्यधिक कुशल और लागत-बचत वाली हरित इमारतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो पर्यावरणीय, सामाजिक तथा शासन लाभ प्रदान करता है।

SATAT योजना

चर्चा में क्यों?

सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है जिसको हासिल करने के लिए SATAT योजना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

- कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) पर एसएटीएटी योजना उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को सीबीजी का उत्पादन तथा आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था जिसका लक्ष्य 2023-24 के अंत तक 5,000 संयंत्र लगाना है।

योजना का लाभ:

- वाहन-उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ किसानों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए विकासात्मक प्रयास।
- खेतों में पराली जलाने और कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले शहरी वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटना।
- कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार तथा उद्यमिता बढ़ाने के पीएम के दृष्टिकोण को साकार करना।
- नगरपालिका ठोस कचरे का कुशल उपचार और निपटान करना।
- सीबीजी पौधों से उत्पादित किण्वित जैविक खाद (एफओएम) का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा देना।

विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा विकसित दुनिया के पहले भारत स्टेज-6 (बीएस6) स्टेज-II, विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया। यह वाहन 85% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चलने में सक्षम है जिसमें इलेक्ट्रिक पावरहाउस की सुविधा है।

विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन के बारे में:

- विद्युतीकृत फ्लेक्स फ्यूल वाहन एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दोनों को एकीकृत करता है जो उच्च इथेनॉल उपयोग तथा बेहतर ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के एकीकरण से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता

कम हो जाती है तथा इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से टिकाऊ परिवहन और भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में योगदान मिलता है।

- भारत ने 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 5 साल पहले ही 2025-26 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है जिसमें लगभग 5000 ईंधन स्टेशन पहले से ही ई20 ईंधन का वितरण कर रहे हैं।

चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 श्रेणियों के तहत संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ-साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत (भद्राद्री कोठागुडेम जिला) तेलंगाना को प्रदान किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम को दिया गया है।

पुरस्कार के बारे में:

- पुरस्कारों का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में पहला 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' लॉन्च किया था।
- यह देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, प्रयासों तथा 'जल समृद्ध भारत' के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और पूर्वानुमानों पर डेटा के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में:

- इलेक्ट्रिक वाहनों में आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए वाहन एक बड़े ट्रैक्शन बैटरी पैक का उपयोग करता है।
- भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार एक अभूतपूर्व तेजी के लिए तैयार है जिसमें 2030 तक अनुमानित वृद्धि 152.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2030 तक लक्ष्य निजी कारों में 30% ईवी का प्रयोग, वाणिज्यिक वाहनों में 70% तथा दोपहिया और तिपहिया वाहनों में 80% का लक्ष्य हासिल करना है।
- ईवी क्रांति को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख पहलों में से एक 2015 में शुरू की गई फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एण्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) योजना है। यह योजना ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है जिससे निर्माताओं और खरीददारों दोनों को लाभ होता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) ने 2025 तक भारतीय सड़कों पर 6-7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा है जो टिकाऊ परिवहन की प्रतिबद्धता को अधिक मजबूत करता है।
- प्रदूषण पर अंकुश लगाने और तेल आयात को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME 2) योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। 10,000 करोड़ रुपये के महत्त्वपूर्ण व्यय के साथ इस योजना का लक्ष्य ईवी को अपनाने में तेजी लाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- 8 अगस्त, 2023 तक भारतीय सड़कों पर 2.8 मिलियन से अधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 28,30,565 इकाईयाँ चल रही हैं।

तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए कृत्रिम चट्टान

चर्चा में क्यों?

टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के 'एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों' के तहत एक उप-गतिविधि के रूप में 126 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाईयों को मंजूरी दी है।)

- कृत्रिम चट्टानें इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास और/या सुधार, उत्पादकता बढ़ाने तथा आवास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है।

इस पहल का लाभ:

- प्राकृतिक चट्टानों के समान, एआर का उपयोग मछलियों को एकत्रित करने और मछलियों को रहने तथा बढ़ने के लिए घर प्रदान करने, तटों पर लहर से होने वाले नुकसान को कम करने, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन में मदद करने और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के लिए किया जाता है।
- मूंगा, शैवाल और प्लवक जैसे समुद्री जीवन के लिए एक मजबूत सब्सट्रेट प्रदान करना जिससे वे जुड़ सकें। वे समुद्री पशुपालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं तथा मछली के लिए अंडे देने और नर्सरी के मैदान के रूप में काम करते हैं।
- मनोरंजक मत्स्य पालन, स्नॉर्कलिंग, इको-पर्यटन को बढ़ाना, गोताखोरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनाना और संघर्षों को कम करना इत्यादि शामिल है।

जैव विविधता

प्रोसोपिस चिलेंसिस (Prosopis Chilensis)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि प्रोसोपिस चिलेंसिस (एक विदेशी आक्रामक पौधा) मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व (जीओएमबीआर) की खाड़ी में 21 द्वीपों में देशी वनस्पति को खतरे में डाल रहा है।

प्रोसोपिस चिलेंसिस के बारे में:

- प्रोसोपिस चिलेंसिस को चिली मेसकाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटे से मध्यम आकार का फलदार पेड़ है जो 12 मीटर ऊंचाई और 1 मीटर व्यास तक बढ़ता है। यह एक सूखा प्रतिरोधी पौधा है जो चार दक्षिण अमेरिकी देशों अर्थात् अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू के शुष्क क्षेत्रों का मूल निवासी है।

मध्य एशियाई फ्लाईवे (सीएएफ)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्यारह देश प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए एक संस्थागत ढांचे पर सहमत हुए हैं। मध्य एशियाई फ्लाईवे (सीएएफ) के नाम से जाने जाने वाले ढांचे का उद्देश्य समन्वित तरीके से प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के लिए प्रयासों को मजबूत करना है।

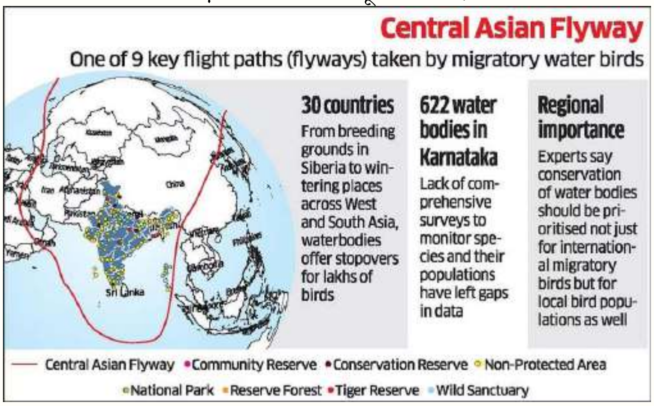

मध्य एशियाई फ्लाईवे के बारे में:

- मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों को कवर करता है। यह प्रवासी पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियों का घर है जिनमें साइबेरियन क्रेन और व्हाइट फ्रंटेड गूज (White Fronted Goose) जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं।
- इन 30 देशों में से 11 देश मध्य एशियाई फ्लाईवे के भीतर प्रवासी पक्षियों को बचाने के समन्वित प्रयासों के लिए आगे आए हैं। इन देशों में भारत, आर्मेनिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, मंगोलिया, ओमान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

समुद्री तितलियाँ

चर्चा में क्यों?

दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिक) में समुद्री तितलियों की आबादी जलवायु परिवर्तन के कारण घट रही है जिससे वे बेहद असुरक्षित हो गई हैं।

समुद्री तितलियों के बारे में:

- समुद्री तितलियों का वैज्ञानिक नाम थेकोसोमाटा है जो होलोप्लांकटोनिक (ऐसे जीव जो अपना पूरा जीवन पानी में तैरते हुए बिताते हैं) गैस्ट्रोपॉड मोलस्क से संबंधित हैं।
- उनके पास मांसल पैर हैं जो उन्हें ठोस सतहों पर फिसलने के बजाय पानी में तैरने की अनुमति देते हैं।
- वे सभी महासागरों में पाए जाते हैं लेकिन ठंडे पानी में अधिक विविध और प्रचुर मात्रा में होते हैं।

गेको मिजोरमेन्सिस (Gecko Mizoramensis)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में म्यांमार सीमा के पास गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई।

गेको मिजोरमेंसिस के बारे में:

- यह गेको जीनस पाइचोजून (Pytchozoon) की एक उपजाति है।
- दुनिया भर में इसकी 13 प्रजातियाँ हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाई जाती हैं।
- इस प्रजाति से पहले मिजोरम में केवल एक प्रजाति- पाइचोजून लियोनोटम या स्मूथ-बैक्ड ग्लाइडिंग गेको पाई जाती थी।
- इसका निवास स्थान मिजोरम के साथ-साथ बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के कुछ हिस्सों तक पाया जाता है।
- यह पेड़ों पर रहने वाला रात्रिचर प्राणी है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता रहता है।

बाओबाब ट्री (Baobab Tree)

चर्चा में क्यों?

भील जनजातियों के विरोध के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वन विभाग धार के प्रसिद्ध बाओबाब ट्री को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दे सकता है जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं।

बाओबाब ट्री के बारे में:

- बाओबाब लंबे समय तक जीवित रहने वाले पर्णपाती 20 से 100 फीट ऊंचे चौड़े तने और कॉम्पैक्ट शीर्ष वाले बड़े पेड़ होते हैं।
- बाओबाब पेड़ को उल्टा पेड़ भी कहा जाता है।
- बाओबाब एक प्रागैतिहासिक प्रजाति है जो 200 मिलियन वर्ष पहले मानव जाति और महाद्वीपों के विभाजन दोनों से पहले की है।

भारत में पक्षियों की स्थिति 2023 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स (SoIB) 2023 जारी किया गया जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ पक्षी प्रजातियों के बढ़ने के बावजूद कई पक्षी प्रजातियों में काफी गिरावट देखी गई है।

- SoIB 2023 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS), भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) सहित 13 सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का अपनी तरह का पहला सहयोगात्मक प्रयास है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- इस रिपोर्ट में भारतीय पक्षियों की 942 प्रजातियों का आंकलन किया गया।
- पिछले दशकों में देश भर में मोर की बहुतायत में 150% की वृद्धि देखी गई।
- पिछले दशकों में 39% प्रजातियों में स्पष्ट गिरावट देखी गई है।
- 178 प्रजातियों को उच्च संरक्षण प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- IUCN रेड लिस्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए इंडियन रोलर सहित 14 प्रजातियों की सिफारिश की गई।

दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों ने दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है जोकि 900 फीट गहरा है और मेक्सिको तट पर सबसे गहरा ब्लू होल पाया गया है।

- दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल (जिसे 2016 में दक्षिण चीन सागर में खोजा गया था) को ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है।

ब्लू होल के बारे में:

- ब्लू होल एक बड़ी समुद्री गुफा या सिंकहोल है जो सतह पर खुला होता है और कार्बोनेट बेडरॉक (चूना पत्थर या मूंगा चट्टान) से बने एक बैंक या द्वीप के रूप में विकसित होता है।
- उनके अस्तित्व की खोज 20वीं सदी के अंत में मछुआरों और मनोरंजक गोताखोरों द्वारा की गई थी।

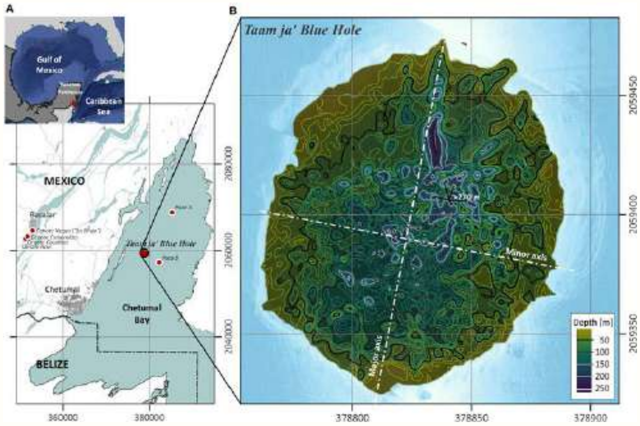

- ब्लू होल में आमतौर पर ताजा, समुद्री या मिश्रित रसायन का ज्वारीय प्रभाव वाला पानी होता है।
- वे अपनी अधिकांश गहराई तक समुद्र तल से नीचे तक फैले हुए हैं और जलमग्न गुफा मार्गों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं।
- प्रसिद्ध उदाहरण ड्रैगन होल (दक्षिण चीन सागर में) और कैरेबियन में ग्रेट ब्लू होल और डीन ब्लू होल पाये जाते हैं।

यूरेशियन ओटर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू और कश्मीर में चिनाब जलक्षेत्र की नीरू धारा में तीन यूरेशियन ऊदबिलाव (Otter) देखे गए।

यूरेशियन ओटर के बारे में:

- यह एक अर्ध-जलीय मांसाहारी स्तनपायी है।
- यह तीन महाद्वीपों 'यूरोप, एशिया और अफ्रीका' में पाया जाता है।
- भारत में यह उत्तरी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में पाया जाता है।
- यह विभिन्न प्रकार के जलीय आवासों में रहता है जिनमें उच्च भूमि तथा तराई की झीलें, नदियाँ, दलदली जंगल और तटीय क्षेत्र शामिल हैं।

संरक्षण की स्थिति:

- **आईयूसीएन:** खतरे के करीब
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-II

क्रिप्टोबायोसिस (Criptobiosis)

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिकों ने साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट से 46,000 साल पुराने राउंडवॉर्म को पुनर्जीवित किया। शोध के अनुसार, नेमाटोड क्रिप्टोबायोसिस नामक

धीमी चयापचय (Metabolism) की स्थिति में जीवित रहे थे।

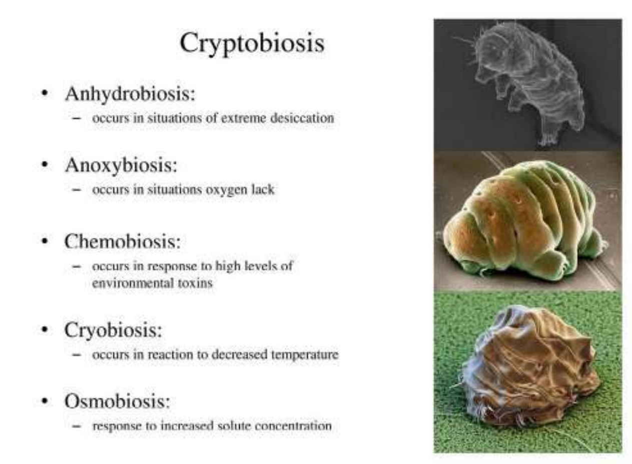

- कुछ जीवों में प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवन प्रक्रियाओं को निलंबित करने की क्षमता होती है जिसे क्रिप्टोबायोसिस या निलंबित एनीमेशन कहा जाता है जो जीवित रहने की स्थिति है। पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर निलंबित एनीमेशन के तहत जीव पुनर्जीवित हो जाते हैं।

साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेसफोंटानिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गांधीनगर स्थित गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जीईईआर) फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने साल्सोला ओपोसिटिफोलिया डेसफोंटानिया नामक साल्टवॉर्ट की एक नई प्रजाति की खोज की है।

साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेसफोंटानिया के बारे में:

- साल्सोला ऑपोजिटिफोलिया डेसफोंटानिया, अमरैंथेसी परिवार से संबंधित साल्टवॉर्ट की एक प्रजाति है।
- साल्टवॉर्ट भारतीय रेगिस्तान के अत्यधिक खारे क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला हेलोफाइट है।
- यह एक बारहमासी झाड़ी है जो गुजरात के कच्छ जिले के खारे तथा शुष्क से अर्ध-शुष्क वातावरण में उगती है।
- यह एक से दो मीटर तक लंबा हो सकता है जिसका आधार चिकना, बेलनाकार, लकड़ी जैसा होता है।
- यह एक हेलोफाइट है जिसमें बाल नहीं होते हैं।
- इस पौधे की पत्तियाँ तने में एक दूसरे के विपरीत बढ़ती हैं।
- साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेसफोंटानिया भारत में खोजी गई साल्सोला जीनस की छठी प्रजाति है।
- साल्सोला परिवार के पौधों की पत्तियों में नमकीन रस जमा रहता है।
- साल्सोला ओपोसिटिफोलिया का उपयोग सोडा ऐश के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
- साल्सोला प्रजाति का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है।

थारोसॉरस इंडिकस

चर्चा में क्यों?

आईआईटी रूड़की के वैज्ञानिकों ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर बेसिन के पास थार रेगिस्तान में पाए गए मध्य जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्मों की पहचान की है।

थारोसॉरस इंडिकस के बारे में:

- थारोसॉरस इंडिकस डाइक्रेओसॉरिड परिवार और सुपरफैमिली डिप्लोडोकोइडिया से संबंधित है।
- 167 मिलियन वर्ष पुराना, डाइक्रेओसॉरिड न केवल भारत में पाया जाने वाला अपनी तरह का पहला है, बल्कि यह अब तक पाया गया सबसे पुराना डाइक्रेओसॉरिड भी है।
- वैज्ञानिकों ने डायनासोर का नाम थारोसॉरस इंडिकस रखा जिसमें थारो की उत्पत्ति थार रेगिस्तान से हुई, सॉरस की उत्पत्ति ग्रीक 'सॉरोस' या छिपकली से हुई जबकि इंडिकस की उत्पत्ति भारतीय मूल से हुई।
- यह परिवार अनोखा था जिसके सदस्य छोटे थे जिनकी गर्दन और पूंछ अन्य लंबी गर्दन वाले सॉरोपोड्स की तुलना में छोटी थीं।
- सोरोपोड्स पहली बार पृथ्वी पर लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के दौरान दिखाई दिए थे।
- वे डायनासोरों के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक थे जो 65 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस अवधि के अंत तक जीवित रहे, जब डायनासोर विलुप्त हो गए।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, डाइक्रेओसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म पहले ही उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका और चीन में पाए गये हैं, लेकिन भारत में ऐसे जीवाश्म ज्ञात नहीं थे।

दीपक वर्मा समिति

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने जंगली जानवरों के आयात, स्थानांतरण, खरीद, बचाव

और पुनर्वास के संबंध में आवश्यक जांच करने एवं तथ्य-खोज अभ्यास करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को बढ़ा दिया है। इस समिति का दायरा पहले त्रिपुरा और गुजरात तक ही सीमित था।

लाल पांडा का सीमा पार संरक्षण

चर्चा में क्यों?

एसबीआई फाउंडेशन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग जिले में लाल पांडा सीमा पार संरक्षण के लिए समझौता किया।

लाल पांडा के बारे में:

- यह लाल-भूरे बालों और सफेद रेखा वाले कानों वाला एक छोटा स्तनपायी है।
- इसे लघु पांडा के नाम से भी जाना जाता है।
- **वैज्ञानिक नाम:** ऐलुरस फुलगेन्स (Ailurus Fulgens)
- **विशिष्टता:** भले ही यह कार्निवोरा वर्ग से संबंधित है लेकिन यह विशाल पांडा की तरह शाकाहारी जीव है।
- यह आमतौर पर पूर्वी हिमालय के ठंडे, पहाड़ी क्षेत्रों में 2,200 मीटर से 5,000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर रहता है। यह मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी वनों को पसंद करता है।
- हिमालय के पूर्वी भाग में इस प्रकार का आवास केवल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में सिंगालिला तथा नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यानों में उपलब्ध है।
- भारत में लाल पांडा के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त निवास स्थान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्किम) है।
- यह पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (पीएनएचजेडपी) में पूर्व-स्थिति संरक्षित है।
- पीएनएचजेडपी भारत का एकमात्र चिड़ियाघर है जो लाल पांडा के संरक्षण और प्रजनन के लिए नामित है।

मिल्कवीड तितली

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन ने दक्षिणी भारत में मिल्कवीड तितलियों के प्रवास पैटर्न पर प्रकाश डाला है।

मिल्कवीड तितलियों के बारे में:

- वे ब्रश-फुटेड तितली परिवार (निम्फालिडे) की तितलियों के समूह में से एक हैं।
- समूह में लगभग 300 प्रजातियाँ होती हैं जिनमें प्रतिष्ठित मोनार्क तितली भी शामिल है।

वितरण:

- अधिकांश प्रजातियाँ पुरानी और नई दुनिया दोनों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पुरानी दुनिया यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया को संदर्भित करती है, जबकि नई दुनिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन को संदर्भित करती है।
- हालाँकि समूह के कुछ प्रसिद्ध सदस्य जैसे-मोनार्क तितली और रानी तितली समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी रहते हैं।

विशेषताएँ:

- बड़े, रंगीन वयस्कों के लंबे, आमतौर पर भूरे या नारंगी पंख होते हैं जिन पर काले और सफेद पैटर्न अंकित होते हैं।
- वे धीरे-धीरे उड़ते हैं लेकिन कुछ जैसे-मोनार्क तितली काफी दूर तक जाते हैं।
- वे मुख्य रूप से मिल्कवीड और कभी-कभी नाइटशेड खाते हैं।
- इन पौधों में तीखा, दूधिया रस होता है जो संभवत: लार्वा और बाद के चरणों को शिकारियों के लिए अरुचिकर बना देता है। यह एक विशिष्ट रंग के साथ मिलकर उनकी रक्षा करता है।

जल निकायों की पहली गणना

चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना -'सिंचाई गणना' के तहत छठी लघु सिंचाई गणना (संदर्भ वर्ष 2017-18) के साथ जल निकायों की पहली गणना की। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता आदि सहित विषय के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र करके एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है।

मुख्य निष्कर्ष:

- जल निकायों की पहली गणना में देश में कुल 24,24,540 जल निकाय बताए गए थे जिनमें से 23,55,055 जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में और 69,485 जल निकाय शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- शहरी क्षेत्रों में जल निकायों का कम अनुपात है क्योंकि शहरी

क्षेत्रों में विस्तार और ढांचागत विकास हुआ है जिसके कारण जल निकायों की कमी हो सकती है। जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं।

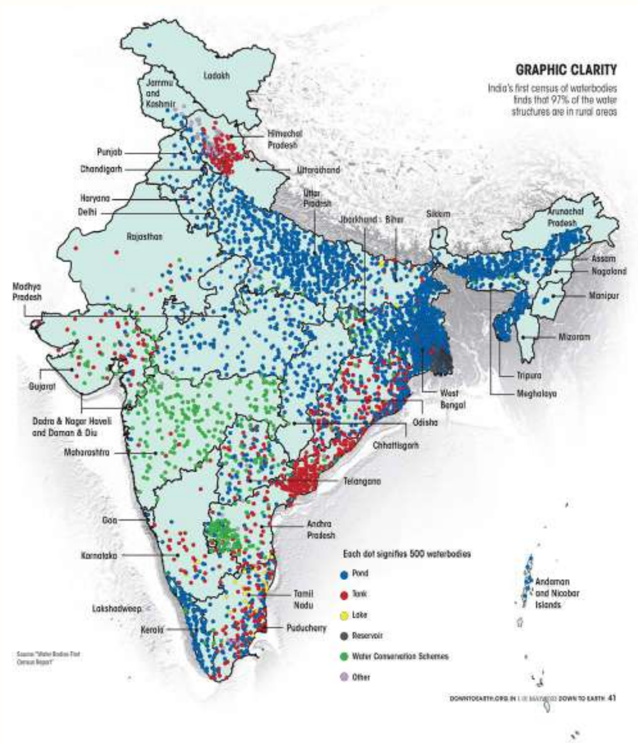

- सिंचाई या अन्य उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक, मछलीपालन, घरेलू/पीने, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि) के लिए पानी के भंडारण हेतु उपयोग की जाने वाली सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाईयाँ हैं जिनमें कुछ या कोई चिनाई का काम नहीं है को पानी के रूप में माना जाता है।

हिमालयी भूरा भालू

चर्चा में क्यों?

कश्मीर में हिमालयी भूरे भालू की आबादी कई चुनौतियों का सामना कर रही है जिससे उनके अस्तित्व और मानव सुरक्षा दोनों को खतरा है।

हिमालयी भूरे भालू के बारे में:

- हिमालयी भूरे भालू भूरे भालूओं की एक उप-प्रजाति हैं जो पाकिस्तान से भूटान तक हिमालय के ऊंचे इलाकों में रहते हैं।
- उनके पास मोटे फर (Fur) होते हैं जो अक्सर रेतीले या लाल-भूरे रंग के होते हैं।
- वे 2.2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं जिनका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है।
- **IUCN लाल सूची**- गंभीर रूप से लुप्तप्राय
- भूरा भालू (उर्सस आर्कटोस) को सबसे कम चिंता (Least Concern) वाली श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 - अनुसूची 1
- वे सर्वाहारी होते हैं।
- वे रात्रिचर होते हैं जिनकी गंध तीव्र रूप से विकसित होती है।
- वे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और भूटान सहित उत्तर-पश्चिमी तथा मध्य हिमालय में पाए जाते हैं।

उत्तरी बंगाल के जंगली ऑर्किड

चर्चा में क्यों?

डुआर्स और दार्जिलिंग पहाड़ियों में पाए जाने वाले एपिफाइटिक ऑर्किड मानवीय हस्तक्षेप तथा वनों की कटाई के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर इन खूबसूरत और सुगंधित फूलों के लुप्त होने का खतरा है।

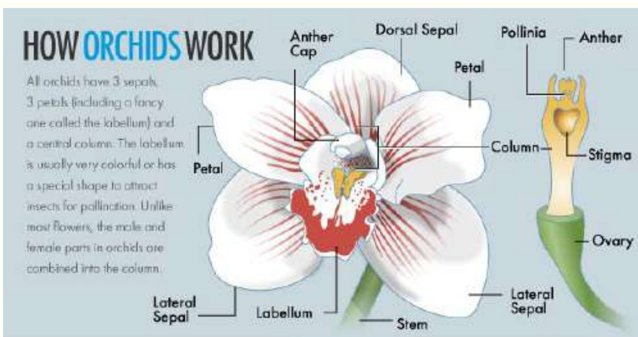

आर्किड के बारे में:

- ऑर्किड वे पौधे हैं जो ऑर्किडेसी परिवार से संबंधित हैं।
- वे फूल वाले पौधे हैं जो अक्सर रंगीन और सुगंधित होते हैं।
- ऑर्किड वायु गुणवत्ता का प्राकृतिक संकेतक हैं क्योंकि वे प्रदूषित हवा में नहीं उगते हैं। वे मधुमक्खियों और अन्य कीड़ों जैसे परागणकों को अपने रस की ओर खींचते हैं जिससे क्रॉस-परागण में मदद करते हैं।

ऑर्किड को मोटे तौर पर तीन जीवन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है:

- » एपिफाइटिक से तात्पर्य पत्थरों पर उगने वाले पौधों सहित अन्य पौधों पर उगने वाले पौधों से है जिन्हें अक्सर लिथोफाइट कहा जाता है।
- » स्थलीय या भूमि पर उगने वाले पौधे।
- » माइकोहेटरोट्रॉफिक में वे पौधे आते हैं जो संवहनी पौधे की जड़ों से जुड़े माइकोरिजल कवक से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं।

- पूरे ऑर्किड परिवार को CITES (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) के परिशिष्ट II के तहत सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए जंगली ऑर्किड के किसी भी व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मिष्टी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

2023-24 के केंद्रीय बजट में मिष्टी (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes- MISHTI) के तहत समुद्र तट के किनारे और नमक वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए एक पहल की घोषणा की गई।

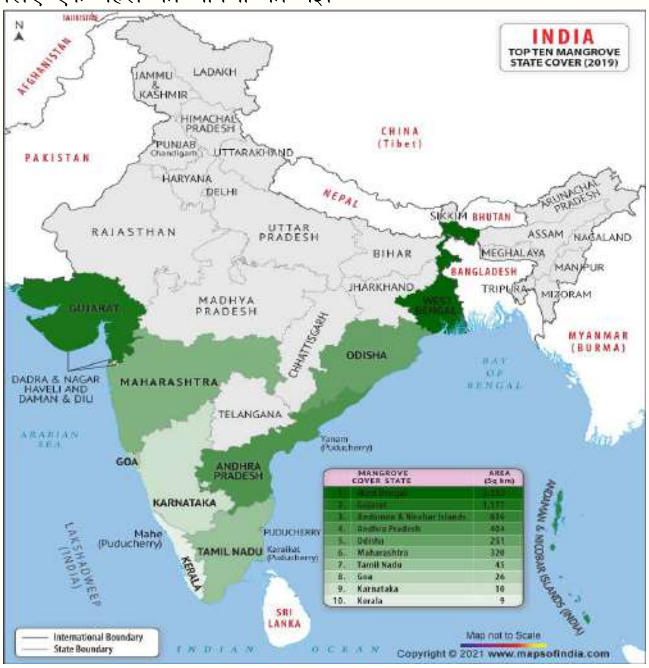

- मिष्टी एक नया कार्यक्रम है जो भारत के समुद्र तट और नमक वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।
- इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय मैंग्रोव वनों का गहन वनीकरण करना है।

कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति:

- बजट में कहा गया है कि मिष्टी कार्यक्रम को मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) व CAMPA (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) निधि और अन्य स्रोत के माध्यम से लागू किया जाएगा।

हूलॉक गिब्बन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क (जीजीएन) ने चीन के हैनान प्रांत के हाइकोउ में बैठक आयोजित की जिसमें इन प्राइमेट्स के सामने आने वाली गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला गया।

- ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय गिब्बन दिवस 2020 कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था क्योंकि 20 गिब्बन संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधि पहली बार गिब्बन संरक्षण पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए थे।

हूलॉक गिब्बन के बारे में:

- गिबन्स (जो सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेजी के लिए जाना जाता है) दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं।
- उनके पास अन्य वानरों के समान उच्च बुद्धि, विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूत पारिवारिक बंधन हैं।
- वे दुनिया भर में पाई जाने वाली 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जनसंख्या और निवास स्थान:

- हूलॉक गिब्बन की वर्तमान आबादी लगभग 12,000 होने का अनुमान है।
- वे पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिणी चीन के जंगली इलाकों में पाए जाते हैं।

संरक्षण की स्थिति:

- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध
- **पश्चिमी हूलॉक गिब्बन:** लुप्तप्राय
- **पूर्वी हूलॉक गिब्बन:** असुरक्षित
- दोनों प्रजातियाँ भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं।

लुडविगिया पेरुवियाना

चर्चा में क्यों?

लुडविगिया पेरुवियाना नामक एक आक्रामक खरपतवार तमिलनाडु के

वलपराई में हाथियों के आवास और चरागाह क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहा है।

लुडविगिया पेरुवियाना के बारे में:

- लुडविगिया पेरुवियाना (जिसे प्रिमरोज विलो भी कहा जाता है) जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में मूल रूप से पाया जाता है।
- यह एक जलीय पौधा है जिसे संभवत: इसके आकर्षक हल्के पीले फूलों के कारण सजावटी प्रजाति के रूप में पेश किया गया था।
- लुडविगिया पेरुवियाना अपेक्षाकृत लंबा होता है, लगभग 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है।
- एक जलीय पौधे के रूप में यह आर्द्रभूमि और जल निकायों में पनपता है।
- लुडविगिया पेरुवियाना के आक्रमण से हाथियों के आवासों के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया है जिससे आवश्यक खाद्य स्रोतों का विकास बाधित हो गया है।

हिमालयी गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के असम चिड़ियाघर में पहली बार मायावी (Elusive) हिमालयी गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया।

Long-billed vulture (*Gyps indicus*) | White-backed vulture (*Gyps bengalensis*) | Slender-billed vulture (*Gyps tenuirostris*) Source: http://orientalbirdimages.org

हिमालयी गिद्ध के बारे में:

- हिमालयी गिद्ध पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी गिद्ध प्रजातियों में से एक है जो एक प्रभावशाली पंख फैलाव और दुर्जेय उपस्थिति का दावा करता है।
- इसके पंखों पर काले और भूरे रंग का प्रभुत्व है जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में इसे छिपाने में मदद करता है।
- गिद्ध की शक्तिशाली झुकी हुई चोंच और गहरी दृष्टि इसे एक कुशल मेहतर बनाती है जो सड़े-गले पदार्थों को साफ करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वे भारत, नेपाल, भूटान और चीन में पाए जाते हैं, जहां यह चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले वातावरण में पनपता है।

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN लाल सूची: खतरे के करीब (Near Threatened)
- उद्धरण: परिशिष्ट II

पारिस्थितिक महत्त्व:

- एक शीर्ष शिकारी हिमालयी गिद्ध जानवरों के अवशेषों का कुशलतापूर्वक निपटान करके अपने निवास स्थान के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह उन बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करता है जो सड़ते शवों से उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र संतुलन में यह योगदान करती हैं।

भारत के 75 स्थानिक पक्षी

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 'भारत के 75 स्थानिक पक्षी' शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया जिसमें बताया गया कि देश में पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी स्थानिक हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसकी सूचना नहीं है।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1,353 पक्षी प्रजातियों का घर है जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग 12.40% प्रतिनिधित्व करता है। इन 1,353 पक्षी प्रजातियों में से 78 (5%) देश में स्थानिक हैं।

स्थानिक पक्षियों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में योगदान:

- स्थानिक पक्षी प्रजातियाँ परागण, बीज फैलाव, कीट नियंत्रण और प्राकृतिक कीट विनियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला मालाबार ग्रे हॉर्नबिल बीज फैलाव के माध्यम से वन पुनर्जनन में योगदान देता है।
- निकोबार द्वीप समूह के लिए स्थानिक निकोबार मेगापोड, घोंसले के व्यवहार में एक अनूठी भूमिका निभाता है।
- उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन करता है जो वन्यजीवन और मानव आबादी दोनों को लाभ पहुंचाते हैं।

आक्रामक विदेशी प्रजाति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने 'आक्रामक विदेशी प्रजाति रिपोर्ट' जारी की है। रिपोर्ट को जर्मनी के बॉन में आईपीबीईएस के 143 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- दुनिया भर के क्षेत्रों और बायोम में कई मानवीय गतिविधियों द्वारा 37,000 से अधिक विदेशी प्रजातियों को लाया गया है।
- इनमें से 3,500 से अधिक हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं जो लोगों के लिए प्रकृति के योगदान और जीवन की अच्छी गुणवत्ता को गंभीर रूप से खतरे में डालती हैं।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ भूमि और समुद्री उपयोग में परिवर्तन, जीवों के प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के साथ-साथ विश्व स्तर पर जैव विविधता के नुकसान के पांच प्रमुख प्रत्यक्ष

चालकों में से एक हैं।

- लगभग 6% विदेशी पौधे, 22% विदेशी अकशेरुकी 14% विदेशी कशेरुकी और 11% विदेशी रोगजनकों को आक्रामक माना जाता है जो प्रकृति तथा लोगों के लिए एक बड़ा खतरा हैं।
- हाल ही में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य 6 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को खत्म करना या कम करना' है।

रेड सैंड बोआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी (डब्ल्यूसीएस)-इंडिया की 'भारत में रेड सैंड बोआ का अवैध व्यापार 2016-2021' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने रेड सैंड बोआ के व्यापार का खुलासा किया है।

- यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन रेड सैंड बोआ के अवैध व्यापार के बारे में गंभीर चिंता तथा संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट में 2016 और 2021 के बीच रेड सैंड बोआ से जुड़ी जब्ती की कुल 172 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है जिससे अवैध व्यापार की खतरनाक स्थिति का पता चलता है।
- अवैध व्यापार 18 भारतीय राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 87 जिलों तक फैला है। महाराष्ट्र और यूपी में इसकी सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं।
- 59 मामलों के साथ महाराष्ट्र का दबदबा है जिसमें पुणे, ठाणे, मुंबई उपनगरीय जैसे शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश 33 घटनाओं पर बारीकी से नजर रखता है जो अक्सर नेपाल की सीमा के पास (जैसे-बहराईच और लखीमपुर-खीरी जैसे जिलों में) होती हैं।

रेड सैंड बोआ के बारे में:

- यह दुनिया में सबसे बड़ा सैंड बोआ है।
- ये विषैले नहीं होते हैं।
- ये रात्रिचर होने के अलावा अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे बिताते हैं।

केरल में एंटलियन की दो नई प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल में दो नई मृग प्रजातियों अर्थात् नेमोलियन घोषी और नेमोलियन मैडायेंसिस की खोज की गई।

एंटलियन प्रजाति के बारे में:

- ये दो नई मृग प्रजातियाँ न्यूरोप्टेरा क्रम के मायर्मेलेओन्टिडे (Myrmeleontidae) परिवार से हैं।

- एंटिलियन आमतौर पर अपने गड्ढे बनाने की आदत के लिए जाने जाते हैं।
- एंटीलियंस को उनके लंबे तथा विशिष्ट एंटीना द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।
- जीनस नेमोलियन को पहली बार ओरिएंटल क्षेत्र से रिपोर्ट किया गया है।
- यह केरल से रिपोर्ट की गई 5वीं और 6वीं एंटीलियन प्रजाति है, जबकि भारत से 125वीं और 126वीं प्रजाति है।
- ये दुनिया भर में मुख्य रूप से शुष्क तथा रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- अनुसंधान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की वित्तीय सहायता से आयोजित किया गया था।

टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान

'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवीनतम बाघ गणना डेटा जारी किया। पीएम ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (आईबीसीए) का भी शुभारंभ किया। आईबीसीए इस श्रेणी के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों -बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा तथा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में:

- जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से शुरू की गई यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की एक चालू योजना है।
- केंद्र प्रायोजित यह योजना विभिन्न राज्यों 'असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल' में लागू है।

भारत में बाघों की स्थिति पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया गया है।

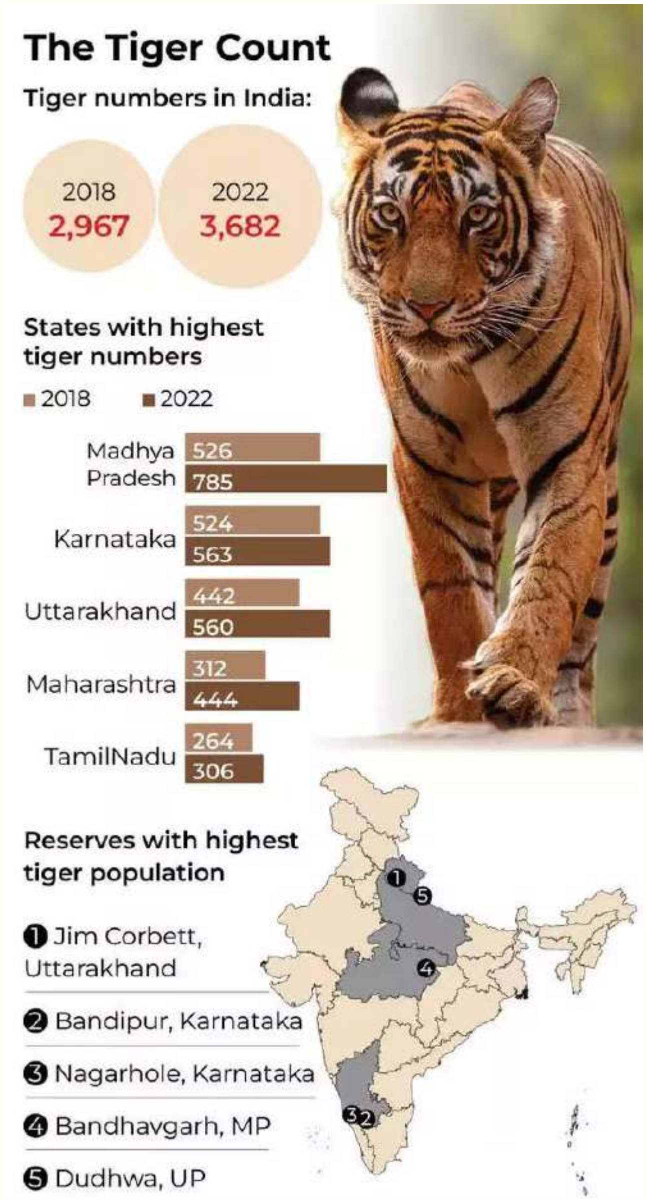

- भारत में जहां 2014 में बाघों की संख्या 1,400 थी, वहीं अब

2,967 तक पहुंच गई है।

- भारत दुनिया के 70% बाघों का घर है।
- भारत के लगभग एक तिहाई बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर रह रहे हैं।
- 50 में से लगभग 17 रिजर्व अपनी आबादी को बनाए रखने की क्षमता के चरम पर पहुंच रहे हैं।
- उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में बड़ी बिल्लियों (231 बाघों) का सबसे बड़ा निवास स्थान है।
- कॉर्बेट के बाद कर्नाटक में नागरहोल (127) और बांदीपुर (126) का स्थान आता है।

प्रोजेक्ट चीता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश में कूनो वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनरुत्पादन परियोजना में रेडियो कॉलर के उपयोग के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित झटके लगे हैं जिसमें चीतों के गर्दन में घाव और सेप्टीसीमिया, बैक्टीरिया द्वारा रक्त के संक्रमण का अनुभव हुआ है। रेडियो कॉलर का उपयोग जंगली जानवरों को ट्रैक करने और निगरानी करने के लिए किया जाता है।

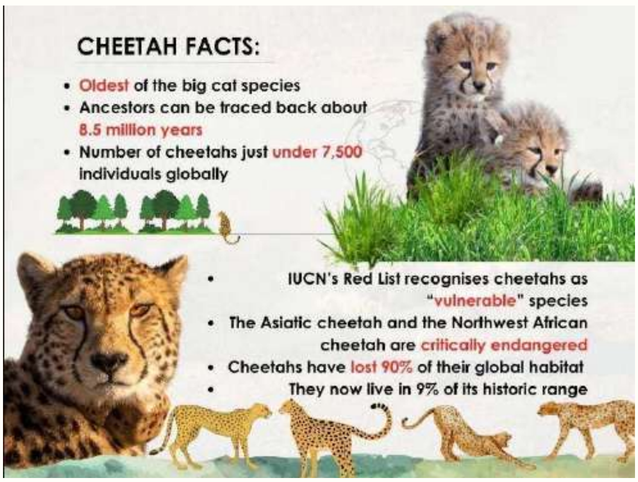

भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना के बारे में:

- भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर, 2022 को शुरू हुई जिसका उद्देश्य चीतों की आबादी को बहाल करना था जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित किया गया था।
- इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का स्थानांतरण शामिल है।
- 20 रेडियो-कॉलर वाले चीतों को दक्षिण अफ्रीका (12 चीते) और नामीबिया (8 चीते) से कुनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था।
- विशेषज्ञ समूह ने सुझाव दिया है कि भारतीय आबादी स्थिर होने से पहले अगले दशक में दक्षिण अफ्रीका से कम से कम 50 और चीतों की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी दृढ़ता से सिफारिश किया कि भारतीय अधिकारियों को पुनरुद्धार के लिए वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने हेतु शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए।

धौलपुर-करौली: भारत का 54वां टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने राजस्थान राज्य में धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर और सरिस्का के बाद यह राजस्थान राज्य में पांचवां बाघ अभयारण्य होगा।

टाइगर रिजर्व के बारे में:

- एक संरक्षित क्षेत्र जिसे बाघों के संरक्षण के लिए नामित किया जाता है उसे टाइगर रिजर्व कहा जाता है। हालाँकि, एक बाघ अभयारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के बारे में:

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एल (1) के तहत किया गया है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यह भारत में बाघ संरक्षण कार्य में अग्रणी रहा है जिसका कार्य क्षेत्र जमीनी सुरक्षा पहल से लेकर नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बाघों तथा उनके आवास की विज्ञान पर आधारित निगरानी, बाघ अभयारण्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन, बाघ अभयारण्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सामुदायिक विकास सुनिश्चित करते हुए वन्यजीवों हेतु ऐसा स्थान विकसित करना है जहां वे सुरक्षित रहे सकें।
- प्राधिकरण को डब्ल्यूएलपीए, 1972 की धारा-38 ओ(1) से शक्ति प्राप्त होती है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में कार्य होता है।

भारत में बाघ स्थानांतरण परियोजना

चर्चा में क्यों?

भारत की पहली बाघ स्थानांतरण परियोजना उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रही।

टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में:

- 2018 में शुरू की गई बाघ पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व की बाघ आबादी को बढ़ावा देना है। दो बाघों को 'कान्हा से महावीर और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से सुंदरी, को सतकोसिया' ले जाया गया।

परियोजना के लक्ष्य:

- भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या कम करके क्षेत्रीय संघर्षों को कम करना।
- उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से बसाना जहां उनकी आबादी कम हो गई थी।

महादेई वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों?

गोवा में महादेई वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया जो भारत में 55वां बाघ अभयारण्य बन जाएगा। गोवा सरकार ने अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने के अदालती आदेश को पलटने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

62 नए हाथी गलियारे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने 62 नए हाथी गलियारों की पहचान की है जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हाथी गलियारा के बारे में:

- हाथी गलियारें को भूमि की एक पट्टी के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो हाथियों को दो या दो से अधिक अनुकूल आवासों के बीच आवाजाही में सक्षम बनाता है।
- गलियारों की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है और उन्हें सत्यापित करने के लिए जमीनी सत्यापन विधियों का उपयोग किया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल 26 गलियारों के साथ शीर्ष स्थान पर है जो कुल का 17% है।
- पूर्वी मध्य भारत का योगदान 35% (52 कॉरिडोर) है, जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्र का योगदान 32% (48 कॉरिडोर) है।
- दक्षिणी भारत में 21% (32 गलियारे) हैं और उत्तरी भारत में सबसे कम 12% (18 गलियारे) हैं।

कॉरिडोर उपयोग की स्थिति:

- केंद्र सरकार द्वारा जारी हाथी गलियारा रिपोर्ट में भारत के 15 हाथी रेंज वाले राज्यों के हाथी गलियारों में 40% की वृद्धि देखी गई है।

भारत में हाथी:

- हाथी प्रमुख प्रजाति के साथ-साथ भारत के प्राकृतिक विरासत पशु भी हैं।
- भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। देश में हाथियों की आबादी 30,000 से अधिक होने का अनुमान है।
- भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कर्नाटक में है।

संरक्षण की स्थिति:

- **प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन (सीएमएस):** परिशिष्ट I
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची I
- **संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची:** लुप्तप्राय
- **अफ्रीकी वन हाथी:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय
- **अफ्रीकी सवाना हाथी:** लुप्तप्राय

सुप्रीम कोर्ट ने ईएसजेड पर आदेश संशोधित किया

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वनों के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के संबंध में अपने पिछले फैसले को संशोधित करते हुए कहा कि ईएसजेड पूरे देश में एक समान नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसे विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

- अदालत ने कहा कि ईएसजेड संरक्षित क्षेत्रों के लिए 'शॉक अवशोषक' के रूप में कार्य करेगा और अतिक्रमण, अवैध खनन, निर्माण तथा अन्य गतिविधियों को रोकेगा जो पर्यावरण और वन्यजीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- अदालत ने केंद्र और राज्यों को 6 महीने के भीतर ईएसजेड को अधिसूचित करने तथा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में:

- MoEFCC की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी के भीतर आने वाली भूमि को पर्यावरण-नाजुक क्षेत्र या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) के रूप में घोषित करना चाहिए।
- जबकि 10 किमी का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है जिसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है।
- 10 किमी से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ईएसजेड के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण और 'संवेदनशील गलियारे' हैं।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS
MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 70

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029